खण्ड-197, अंक-6
गुरूवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(2 सितम्बर, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी ,श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंग प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय , श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बैचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचंन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअवतार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ, श्री
वज्रंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामम्नोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुरसिंह, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २ सितम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कवाल टाउन्स में १५० रुपया तक मासिक आय वालों के लिये सस्ते अनाज की दूकानों से अन्न खरीदने की योजना

**१—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कवाल टाउन्स में जो फेयर प्राइस शाप्स खोली गयी हैं उनसे आम लोगों को गेहूं खरीदने की इजाजत है ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—वैसे तो सरकार के जारी किये गये आदेश के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को फेयर प्राइस शाप्स से गेहूं खरीदने की इजाजत है जिनकी मासिक आय १५० रु० अथवा उससे कम है लेकिन चूंकि यह योजना अभी कार्यान्वित नहीं हुई है इसलिये यह हो सकता है कि और लोग भी गेहूं खरीद रहे हों । यह अनुभव किया जाता है कि जब यह योजना लागू हो जायगी तो केवल उन्हीं लोगों को लागू होगी जिनकी मासिक आय १५० रु० या उससे कम होगी ।

**२—श्री शब्बीर हसन—यदि नहीं, तो वे कौन लोग हैं जिन्हें यह सुविधा नहीं है और उन्हें इस सुविधा से क्यों वंचित रखा गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—दूसरे लोग बाजार से खाद्यान्न खरीद सकते हैं ।

श्री शब्बीर हसन—सवाल यह है कि क्या सरकार कोई ऐसी लिस्ट बना रही है कि जिससे मालूम हो जायगा कि किन लोगों की आमदनी १५० रुपये से ज्यादा है और किन की कम है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो जिले में आम तौर से पता लग जाता है और पूंछ कर या जानकारी कर के जिनके सुपुर्द यह काम है वह पता लगा ही लेते हैं कि किस की आय करीब-करीब कितनी है ।

श्री शब्बीर हसन—क्या इस के लिये कोई हल्के मुकर्रर किये जायंगे कि किस हल्के के लोग किस दुकान से गल्ला लें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, वह तो किये गये हैं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगें कि जब टोटल राशनिंग नहीं है तो यह १५० रुपये तक की आय वालों की सूची कैसे बन सकेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---टोटल राशनिंग का प्रश्न नहीं पैदा होता, जिनकी आय १५० रुपये से कम है उन्हीं को आम तौर से गल्ला देने की कोशिश की जाती है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---१५० रुपये तक की आय वालों को गेहूं या यह सस्ता अनाज मिल जाय, इसका कोई अन्दाजा सरकार ने लगाया है कि इसके लिये कितने अनाज की जरूरत पड़ेगी ?

न्याय मन्त्री(श्री सैयद अली जहीर)---यह तो, जैसा कि बारबार कहा जा चुका है, रिलीफ मेजर्स हैं, जितना गल्ला अवेलेबिल होगा और जहां तक हो सकेगा वह लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जायगी । कितने गल्ले की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी इस के आखिरी फिगर्स बताना मुश्किल है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह व्यवस्था केवल शहरों के लिये ही है या गांवों के लिये भी है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह अब तक तो महज शहरों के लिये है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५० रुपये तक की आय वालों का ठीक पता लगाने का उनके पास कोई विश्वासजनक तरीका है ?

श्री सैयद अली जहीर---आम तौर से लोग जो अपना बयान देते हैं या कहते हैं कि हमारी आमदनी १५० रुपये से कम है उन का यकीन किया जाता है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को मालूम है कि बनारस कवाल टाउन में ऐसे लोगों की तादाद करीब पांच लाख के हैं और वहां सरकार की ओर से जो राशन मिल रहा है वह तीन लाख आदमियों से भी कम को प्राप्त हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, यह फिगर हमारे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या यह सच है कि बनारस में अभी १९ तारीख को जिलाधीश ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें यह जानकारी दी गयी थी लेकिन उसके मुताबिक अभी तक काम नहीं हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे इस मीटिंग की भी इत्तिला नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---(जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी अपनी वह योजना बतायेंगे जो पूरे तौर से अभी तक लागू नहीं हो पायी है ?

श्री सैयद अली जहीर---वह फैमिली कार्ड्स का बनना और उनका वितरण होना ही है जिस पर अभी पूरे तौर से अमल नहीं हो सका है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कवाल टाउन्स में फेयर प्राइस शाप्स की तादाद कुछ बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर---जब फैमिली कार्ड्स बन जायंगे और यह पता चलेगा कि उनके लिये काफी दूकानें नहीं हैं तो उस वक्त विचार इस पर जरूर किया जायगा कि और दूकानें खोली जांय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैमिली कार्ड्स वगैरह बन जाने की कब तक संभावना है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे उम्मीद है कि महीने के अन्दर सब काम हो जायगा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किसी भी कवाल टाउन में १५० रुपये से कम आमदनी के लोगों की तादाद जानने का काम शुरू कर दिया गया है और कहां तक हो पाया है ?

श्री सैयद अली जहीर---उसमें एक महीना और लगेगा, तकमील होने में ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के मुहल्ला चौक के दुमंजले पर रहने वाली जनता के कोई आंकड़े सरकार के पास हैं ताकि डेढ़ सौ रुपये से कम आमदनी वालों को गल्ला दिया जाय और ज्यादा वालों को न दिया जा सके ?

श्री सैयद अली जहीर---वह तो मैंने बता दिया कि जो बयान दिया जायगा गल्ले के लिये आमदनी का, उसका यकीन करेंगे ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले के परगना खेड़ा बजेहड़ा, तहसील तिलहर और तहसील जलालाबाद में जो ५-६ साल से बाढ़ से फसल बरबाद हो रही है तो वहां भी ऐसे ही गल्ले की दूकानें खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह मूल प्रश्न तो केवल कवाल टाउन्स के लिये है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में यह जो नियम उन्होंने बनाया है कि डेढ़ सौ तक की आमदनी वालों को गल्ला दिया जाय, यह स्कीम क्या लागू हो गयी है ? अगर नहीं, तो कब लागू हो जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर---वह तो मैंने अभी जवाब दिया कि बहुत हद तक तो लागू हो गयी है, लेकिन मुमकिन है कि कुछ हिस्से बाकी हों, वहां पर हो जायेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि शाहजहांपुर में और दूसरे शहरों में जो समाचार-पत्रों में समाचार निकला है कि आमदनी वालों की लिमिट १५० से ७० रुपया करने जा रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, अभी तक सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है । मुकामी तौर से वहां के लोगों ने क्या किया है, जब इत्तला मिलेगी तो जरूर विचार करेंगे ।

लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि नगरों में गेहूं के मूल्य में बढ़ती

**३---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि शहरों में गेहूं का दाम बढ़ कर २८ रु० मन तक पहुंच गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---गेहूं के भावों में वृद्धि अवश्य हुई है परन्तु लखनऊ, कानपुर व इलाहाबाद नगरों में गेहूं दड़ा का भाव २४ रु० प्रति मन से अधिक नहीं हुआ ।

**४---श्री नारायणदत्त तिवारी---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस बढ़ोत्तरी को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उन उपायों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख सदन में समय-समय पर किया जा चुका है निम्नलिखित विशेष उपाय किये गये हैं :--

(१) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रदेश से चावल, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का के निर्यात पर २९ अगस्त, १९५८ से प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

(२) केन्द्रीय सरकार ने गेहूं के ६०,००० टन मासिक कोटे के अतिरिक्त सितम्बर के लिये २५,००० टन गल्ला और एलाट किया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह भी सिफारिश की कि यह व्हीट जोन जो यू० पी० बना दिया गया है यह तोड़ दिया जाय ? अगर की है तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक जोन का सवाल है, इसके ऊपर तो अर्से से बात-चीत चल रही है । शुरू में यह कहा गया था, और इस पर विचार भी हुआ था, कि जोन तोड़ा जाय, लेकिन जब केन्द्रीय सरकार से अभी बात-चीत हुई तो उन्होंने यह कहा कि जोन सिर्फ एक जगह का नहीं तोड़ा जा सकता, अगर तोड़ा जायगा तो कुल हिस्सा जितना नार्दर्न इंडिया का है, सब का तोड़ दिया जायगा और इस मौके पर जब कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो रही है, हम समझते हैं कि जोन का तोड़ना मुनासिब न होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २५ हजार टन गल्ला और एलाट किया जा रहा है इसमें कौन-कौन से अनाज शामिल हैं और क्या उसके कुछ अतिरिक्त दुकानें खोला जाने वाला है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री सैयद अली जहीर---२५ हजार टन अनाज में १० हजार टन गेहूं है और १५ हजार टन चावल है । इसके लिये दुकानें खोली जायंगी और यह बांटा जायगा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि २८ तारीख को फतेहगढ़ में जो गल्ला लूटा गया उसका मुख्य कारण यही था कि २८ रुपया मन गेहूं दुकानदार बेच रहे थे ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय न्याय मंत्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी यह सूचना कि लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर आदि शहरों में २४ रुपये मन ही गेहूं का भाव है कौन सी तारीख तक की है ?

श्री सैयद अली जहीर---३१ अगस्त तक की तो यकीनी है, मुमकिन है कल के भाव पर भी गौर किया गया हो ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि परसों ३१ अगस्त को इलाहाबाद में अच्छा गेहूं फुटकर ३० रुपये मन बिक रहा था ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि फुटकर का तो यह हिसाब है कि दुकान-दुकान पर उसकी कीमत अलग-अलग होती है । यह तो दुकानदार पर है कि वह क्या दाम चार्ज करे । लेकिन आमतौर से जो मंडियों का भाव है वह यही है जो मैंने बताया ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २५ हजार टन अनाज गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलेगा उसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने मांग कितने की की थी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो सरकार-सरकार के बीच का मामला है । मांग हम करते हैं, बातचीत होती है । कोई यह थोड़े ही है कि हम तादाद मुअय्यन कर दें कि इतना मिलना चाहिये या वह तादाद मुअय्यन कर दे कि इतना मिलेगा ।

श्री गेंदासिंह---उत्तर प्रदेश की सरकार की मांग को अन्न मंत्री जी बताना क्यों मुनासिब नहीं समझते ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं इसलिये उसको बताना मुनासिब नहीं समझता हूं कि वह चीजें तो हर वक्त बदलती रहती हैं और समय-समय पर जैसी जरूरत समझी जाती है वैसी मांग की जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--- क्या यह सही है कि यू० पी० सरकार ने प्रदेश में दोबारा कंट्रोल और राशनिंग स्थापित किये जाने की सिफारिश भी की है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से महज २० हजार टन की मांग की थी और उसने २५ हजार टन दिया ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो मेरे खयाल में राजनारायणजी के दिमाग की बात है, इसमें कोई असलियत नहीं है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूंगा कि मंत्रियों को यह नसीहत दी जाय कि उचित उत्तर दिया करें। अगर हमारा दिमाग खराब है तो उनका भी दिमाग खराब है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं जैसी जिरह आप करेंगे तो वैसा ही उत्तर पायेंगे ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो १५ हजार टन चावल प्राप्त किया गया है वह किस क्षेत्र में वितरण करने का विचार है ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां-जहां जरूरत होगी वहां-वहां उसका वितरण किया जायगा ।

यू० पी० सिविल सेक्रेटरियट एसोसियेशन के डेपुटेशन की मुख्य मंत्री से मुलाकात

**५---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--- क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि २० अगस्त, १९५८ को यू० पी० सिविल सेक्रेटरियट एसोसियेशन का डेपुटेशन मुख्य मंत्री जी से मिला था ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--- जी हां ।

**६---श्री कल्याणचन्द मोहिले--- क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या उक्त डेपुटेशन ने कोई मेमोरेन्डम दिया था ? यदि हां, तो उस मेमोरेन्डम में खास-खास कौन सी मांगें थीं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- डेपुटेशन ने कोई मेमोरेन्डम नहीं दिया था। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--- क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो डेपुटेशन मिला था उसने कोई मांग रखी थी ? यदि हां, तो उसकी खास-खास मांगें क्या थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उसने कोई मांग नहीं रखी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या वह डेपुटेशन केवल मुख्य मंत्री से मिलने गया था, और उसका कोई कार्य नहीं था ? यदि कोई कार्य था तो वह क्या था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वे मुझको दर्शन देने आये थे। हां, बातचीत के सिलसिले में उन्होंने यह कहा कि हम लोग बहुत लायल हैं गवर्नमेंट के प्रति और हम लोग बराबर इस बात की कोशिश करते हैं और करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड सर्विस का है और जनता की सेवा करने का है उसमें बराबर तरक्की करते रहें। कभी-कभी हम लोगों को चिन्ता हो जाती है और तरह-तरह की खबरें उड़ जाया करती हैं कि कुछ कमी होगी, कुछ रिडक्शन होगा। मैंने भी उनसे बड़े प्रेम से बात की और मैंने कहा कि हम जानते हैं कि आप बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन कभी खबरें उड़ती मिल जायं तो उन पर विश्वास न करके मुझसे तथा चीफ सेक्रेटरी से मिल लिया करें।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में जो फर्क है उस सम्बंध में उन्होंने बातचीत की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह दर्शन देने आये थे या करने आये थे ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मंत्री जी की नम्रता का जवाब इस प्रश्न के पूछने से नहीं दिया जा सकता है।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पर्सनल स्टाफ ने उनको पहले जानकारी नहीं करायी थी कि यह डेपूटेशन किस कार्य से मिलने वाला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पर्सनल स्टाफ का कोई सवाल नहीं है। मुझे मालूम था कि लोग आने वाले हैं और मुझ से मिलने वाले हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस डेपूटेशन ने अपने लिये सेकेन्ड पे कमीशन की मांग की थी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं हुई।

तारांकित प्रश्न

*१-३---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी में लगने वाली पाइप लाइन के सम्बंध में अध्यक्ष नगरपालिका की शिकायत

*४---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास अध्यक्ष, झांसी नगरपालिका तथा अन्य व्यक्तियों से इस आशय की शिकायतें आई हैं कि उनके विभागीय इंजीनियरों की देख-रेख में वहां जो पाइप लाइन लगाई जा रही है उसके पाइप कमजोर होने के कारण फट जाते हैं तथा गत १८ जून को १४ इंच की नई मेन लाइन बर्स्ट हो जाने के कारण वहां जल-संकट उत्पन्न हो गया था ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां।

*५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री के पास उक्त कार्य के सम्बन्ध में इस आशय की भी शिकायतें आयी हैं कि मुद्दत से पड़े हुए पाइपों में पड़ी हुई मिट्टी व पत्थरों को बगैर साफ किये ही लगा देने के फलस्वरूप पानी रुक जाने पर पाइपों को खोद कर व साफ कर के लगाने के कारण जनता को बड़ी असुविधा हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ?

*६--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या स्वायत्त शासन मंत्री को वहां के कमिश्नर की भी उक्त मामलों में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे मंगाने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। सरकार इस मामले में कमिश्नर महोदय से रिपोर्ट मंगा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में गत वर्ष नगरपालिका के अध्यक्ष का ध्यान एम० एल० ए० के द्वारा आकर्षित किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--माननीय लक्षणराव कदम ने एक शिकायत की थी; उसी के आधार पर कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गयी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त लापरवाही करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं आयी है। लेकिन जिस कम्पनी का संबंध है, जिसने पाइप लाइन सप्लाई की थी, वह नमूना ले गयी थी और पाइप बर्स्ट हो गये थे और उसका कहना यह है कि उनके मैटीरियल में कोई खराबी नहीं थी लेकिन वह उनको बिला कीमत नगरपालिका को दे देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिकायत कब की थी और कब रिपोर्ट मंगायी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--तिथि तो निश्चित मालूम नहीं है लेकिन कुछ दिन पहले ही की थी और कमिश्नर के पास तुरन्त भेज दी गयी।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह पाइप लाइन कितनी जगह से बर्स्ट हो चुकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--चार पांच ऐसे पाइपों पर असर पड़ा था और वह तुरन्त ठीक कर दिये गये।

आगरा जिले में कोल डिपो

*७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा शहर में कितने कोल डिपो हैं ? वे किन-किन के पास हैं और हर एक का कोटा कितना-कितना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--आगरा शहर में ३९ कोल डिपो हैं। यहां के कोल डिपो होल्डरों और उनके कोयले के छमाही (अप्रैल से सितम्बर, १९५८) आवन्टन के आंकड़ों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०३-५०४ पर)

*८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कोल डिपो वालों में (१) पुरुषार्थी तथा (२) स्वाधीनता संग्राम के सैनिक कितने-कितने हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--आगरा शहर में ३९ कोल डिपो होल्डरों में से १० पुरुषार्थी और १३ स्वाधीनता संग्राम के सैनिक हैं।

*९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा जिला में तहसीलवार कितने और कौन-कौन कोल डिपो वाले हैं तथा उनमें से हरएक का कोटा क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--- आगरा शहर में ३९ कोल डिपो के अलावा केवल फीरोजाबाद तहसील में १० कोल डिपो होल्डर हैं। इसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०५ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--- क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोल डिपो का आबंटन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिनके पास पहले से जीविका का साधन है उनको कोल डिपो का आबंटन न किया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--- श्रीमन्, यह कि जीविका का साधन कोल डिपो में है या नहीं यह दूसरे प्रकार का प्रश्न है किन्तु कोल डिपो का आबंटन करते समय यह विचार किया जाता है कि कोल डिपो इस प्रकार से चले कि जिससे जनता को कोयला मिल सके और उसका उपयोग हो सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--- स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों को कोल डिपो का आबंटन करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है या नहीं कि अगर दूसरे जरिये से उनको हज़ार रुपये की आमदनी हो, और भी उनके पास कई चीजों के परमिट हों तो कोल डिपो दिया जाय या न दिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों को इसीलिये कोल डिपो दिया जाता है जिससे वह अपनी जीविका का प्रबन्ध कर सकें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आगरा में स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों के नाम पर कुछ ऐसे लोगों को कोल डिपो दिये गये हैं जिनके पास और भी परमिट हैं और जीविका के अन्य साधन, वकालत वगैरह उनके पास हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे ज्ञान में नहीं है, यह चीज। अगर माननीय सदस्य कोई बतायेंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड की सीवेज यूटीलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई दर बढ़ने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

*१०---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड की Sewage utilization scheme के अन्तगत दिये गये पानी की सिंचाई की दर गत दो तीन माह में बढ़ा दी गयी है। यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास ग्रामों से आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, १ अप्रैल, १९५८ से, सन् १९५२-५३ के दरों पर ३३ १/३ प्रतिशत बढ़ती की गयी है। यह बढ़ती मुख्यतः स्कीम पर चालू खर्च को पूरा करने लिये की गयी है क्योंकि लगातार कई वर्षों से इस स्कीम का खर्च आमदनी से अधिक होता रहा है, जिसके कारण हैं--बिजली की बढ़ी हुई दर, सरकारी ऋण पर सूद और Sinking fund charges तथा चैनेल्स, गूल्स, सड़कों और नालियों के रखरखाव का खर्च। सिंचाई की दरों में उपरोक्त ३३ १/३ प्रतिशत बढ़ती भारत सरकार के Sewage and compost के विशेषज्ञ डा० आर० पी० तलाटी की सलाह लेने के पश्चात् की गयी, जो उन्होंने सीवेज फार्म पर जगह-जगह की फसल, मिट्टी और सिंचाई के सीवेज के नमूनों की जांच कर के दी। इसके अलावा यह बढ़ती काश्तकारों और बोर्ड के नुमाइन्दों से कई बार परामर्श करने के बाद ही की गयी है। इस सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र ग्रामों स सरकार के पास प्राप्त नहीं हुआ है।

*११—श्री मोतीलाल अवस्थी—उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि (अ) ऊसर (ब) बोर्ड के फार्मों में सींची जाने लगी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस योजना के अन्तर्गत इस समय कुल १,५२० एकड़ भूमि सींची जाती है, जिसमें करीब ७२० एकड़ बोर्ड की जमीन है और लगभग ८०० एकड़ काश्तकारों की। इसके अतिरिक्त लगभग २८५ एकड़ बोर्ड की ऊसर जमीन है जिसे अभी सींचा जाना बाकी है।

*१२—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत जाजमऊ सीवेज फार्म से सन् १९५७ व १९५८ में कितने गैलन (अ) सीवेज, (ब) साफ पानी, पम्प किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसका विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	पानी पम्प किया गया— (संख्या लाख गैलन में)		टिप्पणी
	सीवेज	साफ पानी (गंगा जी से)	
१९५६-५७	११,०९०	७,१३०	
१९५७-५८	१७,४९०	..	इस वर्ष चूंकि गंगा से पानी लेने की चैनेल्स पक्की बनायी जा रही थीं, अतः गंगा का पानी नहीं दिया जा सका। अब यह कार्य पूर्ण हो गया है और गंगा जी से पानी पम्प करना आरम्भ हो गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार को यह पता है कि पारसाल अनावृष्टि के कारण जो फसल खराब हुई उसे देखते हुए यह आबपाशी की बढ़ोत्तरी किसानों के अधिक-अन्न-उपजाओ कार्य में बाधा डाल रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—हर साल तो फसल खराब नहीं होती है। जिस वर्ष फसल खराब हुई होगी उस वर्ष इस सम्बन्ध में जरूर खयाल कर लिया गया होगा। इस वक्त की जो दरें हैं वह बिलकुल सही हैं, लखनऊ से भी कम हैं और मथुरा से भी कम हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार को यह पता है कि आर० पी० तलाटी सिवेज कम्पोस्ट विशेषज्ञ के पास कानपुर जिला परिषद् के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें यह प्रार्थना की गयी थी कि यह बढ़ोत्तरी खरीफ अन्न उपजाओ आन्दोलन में बाधक हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रस्ताव की जानकारी तो माननीय सदस्य को ही होगी। लेकिन बोर्ड ने १९५७ में २०० रुपया कर दिया था और उनके ही परामर्श से अब २०० से लेकर १६० रुपया कर दिया है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी विशेषज्ञ द्वारा इस बात की जांच करा ली है कि सीवेज का पानी जाने से ऊसर भूमि का तेजाब बढ़ेगा या इसमें कुछ घटोत्तरी होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। जहां तक सरकार का ज्ञान है इस पानी से भूमि को लाभ ही होता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या यह सही है कि इस वर्ष ८०० एकड़ के काश्तकारों ने आबपाशी का पानी नहीं लिया जिससे आबपाशी को आमदनी कम हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस वर्ष से आपका आशय अगर १९५८-५९ से है तो उसका प्रश्न पूछा नहीं गया और न मुझे उसकी जानकारी है।

हल्द्वानी की जल-कल-प्रसार योजना में प्रगति

*१३---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हल्द्वानी नगर में पेय-जल की कमी को दूर करने के हेतु परिचालित जल-कल प्रसार-योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---हल्द्वानी के परिचालित जल-कल योजना में अब-तक यह प्रगति हुई है कि उक्त नगर के लिए तात्कालिक सहायतार्थ जो योजना निर्मित हुई थी वह लगभग पूर्णरूपेण सम्पन्न हो चुकी ह।

*१४---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या उक्त योजना में water filtering plant और pipelines के द्वारा laycut किये जाने का प्रस्ताव भी शामिल है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस तात्कालिक सहायतार्थ योजना में कितना खर्चा हुआ और इससे पर-कैपिटा कितना पानी हल्द्वानी की जनता को मिलने लगेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उसकी लागत ही बतला दी जाय कि कितनी लागत लगी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुल योजना में ११,६१,००० रुपया खर्च होगा लेकिन जहां तक प्रस्तावित योजना है उसके लिये सरकार ने २,९२,८२५ रुपया ऋण दिया था और इस वर्ष यह आशा थी कि कुछ और दिया जायगा परन्तु अभी तक कुल कितना व्यय हुआ है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस योजना के पूरा होने के बाद कितने गैलन पानी वहां के लोगों को मिल सकेगा ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---चीफ इंजीनियर, एल० एस० जी०, ने वाटर फिल्टरिंग प्लान्ट और पाइप लाइन्स द्वारा ल आउट करके जो पाइप के फैलाये जाने की योजना बनायी थी, उसक फलस्वरूप कितना रुपया दिया जाने वाला है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जैसे कि हमारी कुल योजना इस समय संगठन में है वाटर फिल्टरिंग प्लांट और पाइप लाइन आर्गेनाइजेशन की उस सबको मिलाकर वह ११.६१ लाख की है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह सारी योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो रुपया मिलने के ऊपर है।

जलकर के विरोध में गोरखपुर से कथित प्रार्थना-पत्र

*१५--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में Watertax लगाये जाने के विरोध में वहां के नागरिकों ने चालू वर्ष में प्रार्थना-पत्र भेजे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--जी नहीं।

नवनिर्मित बिलसी नगरपालिका के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

*१६--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बदायूं की बिलसी नोटिफाइड एरिया म्युनिसिपैलिटी में बदल दी गयी है और नयी म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, यदि 'म्युनिसिपल कमेटी' से माननीय सदस्य का मतलब म्युनिसिपल बोर्ड से ही है।

श्री टीकाराम--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव कब होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी परिसीमन अन्तिम नहीं हुआ है। वहां पर इसका अभी नोटिफिकेशन हुआ है। परिसीमन हो जाने के बाद यह आशा की जाती है कि नवम्बर में चुनाव करा दिया जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या स्वशासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर इस समय किस प्रकार व्यवस्था चलायी जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जो पुरानी नोटिफाइड एरिया कमेटी थी, वही काम कर रही है। म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट के मातहत जिलाधीश को अधिकार है कि चाहे वह स्वयं काम चलाये या किसी दूसरे अफसर को नियुक्त कर दे या किसी अन्य कमेटी को नियुक्त कर दे जो उसका काम चलाये। वहां पर जिलाधीश ने जो पुरानी नोटिफाइड एरिया कमेटी थी उसके जरिये काम चलाया।

ग्राम सभा नूरन नगर मदरसा, जिला लखनऊ के प्रधान के उप-चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

*१७--श्री सुरथबहादुरशाह--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम सभा नूरन नगर मदरसा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, के वर्तमान प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया गया ? यदि हां, तो निर्वाचन की तिथि कौन-सी रखी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ है। दिनांक २० सितम्बर, १९५८ प्रधान पद के उप-चुनाव के लिये निश्चित किया गया है।

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या स्वशासन मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि चुनाव में देर होने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--१३ जून, १९५८ को अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है। उसक बाद प्रधान ने वहां रिप्रेजेन्टेशन किया था। यह इतना समय तो नहीं है जिसको यह कहा जाय कि बहुत समय लगा दिया।

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस अविश्वास के प्रस्ताव से और रिप्रेजेंटेशन से क्या ताल्लुक था ?

श्री रामस्वरूप यादव—हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह सरकार या जिस विभाग से संबंधित हो उससे यह कहे कि यह जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह अवैधानिक है । तो इसी तरह से जिसके खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है उन्होंने लिख कर दिया है कि यह अवैधानिक कार्यवाही मेरे खिलाफ हुई ह और यह वैधानिक नहीं है ।

मेरठ जिले के बाढ़क्षेत्र में कोयले का वितरण

*१८—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १९५७ में बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में ईंटों के भट्ठों को अधिक कोयले का कोटा देने के विषय में सरकारी आदेश भेजा गया था ? यदि हां, तो उसके मातहत मेरठ जिले में कितने भट्ठों को कहां-कहां और अधिक कोटा दिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां । सन् १९५७ में मेरठ जिले को १,००० वैगन कोयले चूर का कोटा बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में वितरण के लिये दिया गया । इसी प्रकार २,५०० वैगन का कोटा सन् १९५६ में दिया गया । इस प्रकार कुल मिलाकर १९५६ और १९५७ में ३,५०० वैगन का कोटा दिया गया । सन् १९५६ वाले कोटे में से ३६७ वैगन तथा १९५७ वाले कोटे में से ८७३ वैगन प्राप्त हुए । इनके वितरण की सूची † संलग्न है । सन् १९५६ और १९५७ में प्राप्त वगनों क वितरण की अलग अलग सूचियां जिलाधीश से अभी तक नहीं मिल सकी हैं ।

मेरठ जिले में चूने की फर्जी भट्ठियां

*१९—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या डी० एस० ओ० मेरठ ने जनता की शिकायतों के आधार पर १९५७ में चूने की भट्ठियों की इन्क्वायरी की थी ? यदि हां, तो उस इन्क्वायरी के आधार पर कितनी भट्ठियां फर्जी निकलीं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इस इन्क्वायरी के आधार पर १२ भट्ठियां फर्जी निकलीं ।

*२०-२२—श्री भगवतीसिंह विशारद—[८ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ३१-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२३-२४—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिये मांग

*२६—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या प्रदेशीय सरकार की ओर से भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि गढ़वाल जिले में औद्योगिक विकास तथा पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिये ऋषिकेश से कर्ण-प्रयाग तक रेलवे लाइन बनायी जाय ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी नहीं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी को मालूम है कि अंग्रेजी काल से ही गढ़वाल की जनता द्वारा इस रेलवे लाइन की मांग की जा रही है और इसलिये १९३० में इस रेलवे लाइन का सर्वे भी हो चुका है और एलाइनमेंठ भी हो चुका है ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री गिरधारीलाल--इतना तो मुझे मालूम है कि वहां की जनता काफी समय से इसकी मांग करती रही है, लेकिन एलाइनमेंट और सर्वे की मेरे पास कोई इत्तला नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या निर्माण मंत्री जी को मालूम है कि विगत दो, तीन वर्षों के अन्दर भारत सरकार के जिम्मेदार मंत्री और चुनाव में भूतपूर्व उपमंत्री श्री अलगेसन और भारत सरकार के एक अन्य मंत्री श्री बी० एम० दातार ने गढ़वाल की सार्वजनिक सभाओं में कहा है कि यह मांग जायज है, सही है और व्यावहारिक भी है ?

श्री अध्यक्ष--इस प्रश्न का सम्बंध केन्द्र से है, यहां नहीं किया जा सकता । वहां लोक सभा में हो सकता था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रेलवे लाइन के अलावा वहां पर्यटन उद्योग बढ़ाने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--जितनी भी जरूरी कार्यवाही है, वह सब की जा रही है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इसकी आवश्यकता को देखते हुये केन्द्रीय सरकार से निवेदन करेंगे कि वह इसकी डिटेल्ड सर्वे करायें ?

श्री गिरधारीलाल--इस वक्त राज्य सरकार की हिम्मत यह दरख्वास्त करने की इसलिये नहीं है क्योंकि पंचवर्षीय योजना में पूरे हिन्दुस्तान में उनको १,५०० या २,००० मील रेलवे लाइन बिछानी है और ऐसी हालत में इन इलाकों को लेना, मैं समझता हूं, वह मंजूर नहीं करेंगे । इसलिये इसको नहीं लिया गया ।

*२७--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)-[हटा दिया गया ।]

इलाहाबाद वाटर वर्क्स के कर्मचारियों की तनख्वाह में बीमा के लिये कटौती के विरुद्ध मेमोरेण्डम

*२८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या इलाहाबाद वाटर-वर्क्स के कर्मचारियों से बीमा के लिये उनकी तनख्वाहों में से प्रतिमास कोई कटौती की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, कर्मचारियों के वेतन से मई, १९५८ से कटौती प्रतिमास हो रही है ।

*२९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के वाटर वर्क्स कर्मचारियों ने सरकार के पास तनख्वाह न काटने के सम्बन्ध में कोई मेमोरेन्डम भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार के पास वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की ओर से आप आये थ । इन कर्मचारियों के वेतन से कटौती न करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार के आदेश प्राप्त हो जाने से कि इलाहाबाद जल कल को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के प्राविधानों से छूट नहीं दी जा सकती, कोई आगे की कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह अधिनियम इलाहाबाद वाटर वर्क्स के लिये ही है या और नगरपालिकाओं में भी लागू है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जहां कहीं भी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञप्ति निकाल देती है वहां यह लागू हो जाता है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कटौती से कितने आदमी प्रभावित हो रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--कर्मचारियों की संख्या के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन कर्मचारियों को जब म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से पहले ही मुफ्त चिकित्सा मिल रही है तो इस बीमा योजना के द्वारा उनका वतन काटने की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--केन्द्रीय सरकार ने उचित समझा, बावजूद इस बात के कि वहां के लोगों ने लिख कर भी दिया, यही उचित समझा गया कि वहां यह योजना लागू की जाय ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाटर-वर्क्स के किस श्रेणी के कर्मचारियों पर या कम से कम कितने वेतन वाले कर्मचारियों पर यह योजना लागू की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह अधिनियम १९४८ के शैड्यूल के पृष्ठ ३८ पर दी हुई दर से लागू किया गया है ।

*३०--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--[१९ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३१--श्रीमती चन्द्रावती--[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले की निघासन तहसील में वन विभाग के अन्तर्गत कत्थे के पेड़ों के काटे जाने की शिकायत

*३२--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, तहसील निघासन, में दौलतापुर, बम्हनपुर, नौगवां आदि गांवों में वन विभाग की कितनी एकड़ भूमि है और उसमें सन् १९५७ तथा १९५८ ई० में कितने कत्थे के दरख्त वन विभाग की ओर से कटवाये गये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--६३,९७६ एकड़ भूमि है । सन् १९५७ व १९५८ में कोई कत्थे के दरख्त वन विभाग की ओर से नहीं कटवाये गये ?

*३३--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त गांवों में जो वन विभाग की भूमि है उसमें कितने-कितने दरख्त किस-किस प्रकार के हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस सूचना के एकत्रित करने में जो समय व श्रम लगेगा वह प्रश्न के महत्व के अनुकूल नहीं है ।

श्री बंशीधर शुक्ल--क्या मंत्री जी महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर बताने की कृपा करेंगे कि दौलतापुर, बम्हनपुर, नौगवां में कितना जंगल है और यहां से पिछले साल कितने पेड़ काटे गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रश्न तो जिला खीरी की तहसील निघासन में दौलतापुर, बम्हनपुर, नौगवां आदि गांवों का था। उसका मतलब यही था कि पूरी तहसील का पूंछना चाहते हैं और उसके अनुसार उत्तर दिया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारे नियमों के अनुसार इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि मंत्री लोग इस प्रकार का जवाब दें कि अमुक प्रश्न का उत्तर देना समय और श्रम या खर्चे के अनुकूल नहीं है । वह केवल यही कह सकते हैं कि हम जवाब देना पब्लिक इन्टरेस्ट में उचित नहीं समझते । इसके अलावा, जब आप सवाल स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें उत्तर देना लाजमी हो जाता है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार का उत्तर कि, समय या खर्चा या श्रम अधिक लगेगा, जो समय समय पर दिया जाता है, कहां तक

पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुकूल है । मैंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस भी देखी, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । हमारे नियमों में केवल एक ही बात है कि गोपनीय है या सार्वजनिक हित में नहीं है, इसलिये हम उत्तर नहीं देते ।

श्री अध्यक्ष---मैं १०, १२ साल से देख रहा हूं कि यहां उत्तर देने की यही प्रथा रही है, चाहे यह कहीं और हो या न हो । यह कोई अनुचित भी नहीं है; इतना ही उत्तर देने से कि उत्तर देना सार्वजनिक हित में नहीं है, बहुत से लोगों को तसल्ली नहीं होती, इस कारण उत्तर में कहा जाता है कि क्या बात सार्वजनिक हित में नहीं है। इसलिये यह बताते हैं कि इतना खर्चा और मेहनत उत्तर देने में खर्च करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

श्री राजनारायण---जो वह बताते हैं उससे भी तसल्ली नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष---तसल्ली तो किसी जवाब से भी नहीं होती, लेकिन इससे कुछ तो होती है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---प्रश्न में एक निश्चित क्षेत्र के लिये पूछा गया है कि वहां कितने पेड़ काटे गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसमें 'आदि' लिखा है, लेकिन इन गांवों के क्षेत्र के लिये उत्तर यही है कि कत्थे का कोई पेड़ नहीं काटा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वन विभाग ने नहीं काटे हैं तो क्या किसी कत्था फैक्टरी ने काटे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है ।

खीरी जिले में वन विभाग के अन्तर्गत भूमि

*३४---**श्री बंशीधर शुक्ल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो भूमि वन विभाग खीरी के अन्तर्गत है उसमें कितने में जंगल है, कितनी परती पड़ी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---खीरी जिले में ६५८ वर्ग मील भूमि वन विभाग के अन्तर्गत है । इस सब में जंगल हैं और कोई परती नहीं है ।

श्री बंशीधर शुक्ल---सरकार ने कहा है कि परती नहीं है । अगर ऐसा है तो निघवा में खेती का कार्य क्यों किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---जंगल की तारीफ महज यही नहीं है कि वहां पेड़ ही हों । घास या छोटे-छोटे पेड़ हैं या कोई और जमीन है जिसे हम फारेस्ट की तरह से इन्तजाम करते हैं वह सब फारेस्ट की डेफीनीशन में आ जाती है । कोई परती जमीन जिसे फैलो लैन्ड कहते हैं हमारे यहां नहीं रहती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस कुल जमीन में से घास वाली जमीन कितनी है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह खयाल किया जाता है कि ६२·५ स्क्वेयर मील घास वगैरह की है । इसमें कुछ घास है और बाकी ४०,००० एकड़ जमीन में पेड़ हैं ।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैलानी का इलाका जिसमें लोग खेती करने के लिये उत्सुक हैं वह वन विभाग में है या अलग है ?

श्री सैयद अली जहीर---वन विभाग का कब्जा उसी जमीन पर है जो वन विभाग के अन्दर है । बाहरवाली पर हमारा कब्जा नहीं है ।

*३५---**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)---[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६-३७--श्री राजकुमार शर्मा--[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८--श्री व्रजविहारी महरोत्रा (जिला कानपुर)--[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

सीतापुर जिले में पंचायत मंत्रियों की मुअत्तली

*४०--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ व सन् १९५८ ई० में कितने पंचायत मंत्री सीतापुर जिले में मुअत्तल किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--सन् १९५७ में २ तथा १९५८ में १० पंचायत मंत्री मुअत्तल किये गये ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--ये पंचायत मंत्री किन-किन कारणों से मुअत्तल किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--विभागीय शिकायतें थीं उनके आधार पर मुअत्तल किये गये। सबका निर्णय भी हो चुका है, केवल एक का मामला विचाराधीन है ।

*४१--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--[१६ सितम्बर, १९५८ के लिय स्थगित किया गया ।]

महानगर स्कीम, लखनऊ पर व्यय

*४३--श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार महानगर स्कीम के सिलसिले में निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी :

(क) कुल जमीन को प्राप्त करने में कितनी धनराशि लगी,

(ख) कुल कितनी जमीन प्राप्त की गई और उसमें कितने प्लाट बने,

(ग) प्लाट्स कितने में बिके और बेचने वाले फर्म मोहन को० (Mohan Co.) को कितना कमीशन मिला,

(घ) प्लाट्स को बनाने, सड़कों पर बिजली देने, स्कूल भवन बनाने तथा सीवर लगाने के लिये कितनी धनराशि रखी गई और अब तक कितना व्यय हो गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--(क) महानगर योजना में कुल जमीन को प्राप्त करने में ३१-७-१९५८ तक १२,२४,७१५ रु० ३२ नया पैसा व्यय किया जा चुका है ।

(ख) महानगर योजना के अन्तर्गत ७९३ एकड़ भूमि प्राप्त की गई तथा १,०६२ प्लाट बने ।

(ग) लगभग सभी प्लाटों की बिक्री हो चुकी है और उनकी बिक्री से ३१-७-१९५८ तक ३०,२९,५३५ रुपया ३३ नया पैसा की आय हुई है । बेचने वाली फर्म मोहन को० लिमिटेड को ३१-७-१९५८ तक १,७८,५९५ रुपये ७५ नये पैसे की धनराशि कमीशन के रूप में दी गयी ।

(घ) महानगर योजना के विकास के लिये बजट में ५६,९४,८३८ रुपये का व्यय अनुमान है तथा ३१–७–१९५८ तक ३५,६३,८६९ रुपये व्यय किये जा चुके हैं । व्यय अनुमान में स्कूल भवन बनाने का अनुमान नहीं है । सड़कों पर बिजली देने के लिये २,२५,००० रुपये का अनुमान है तथा ३१–७–१९५८ तक २४,७८२ रुपया व्यय किया जा चुका है । सीवर तथा ड्रेनेज लगाने के लिये १३,५०,००० रुपये का अनुमान है तथा ३१–७–१९५८ तक ७,४०,६६४ रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

*४४––राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)––[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४५––श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)––[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में ग्राम पंचायत मंत्रियों को सालाना तरक्की मिलने में विलम्ब

*४६––श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में ग्राम पंचायत के सेक्रेटरियों (मंत्रियों) को जो सालाना तरक्की दी जाती थी वह सन् १९५५ ई० से आज तक दी गई या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव––जिला बाराबंकी के पंचायत मंत्रियों की सन् १९५७ तक की सालना तरक्की स्वीकृत की जा चुकी है तथा सन् १९५८ की सालाना तरक्की यथासमय दिये जाने के आदेश हो चुके हैं ।

श्री जंगबहादुर वर्मा––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ से पहले सालाना तरक्की दी जाती थी, और १९५५ से १९५७ की सालाना तरक्की क्यों नहीं दी गई ? अस्वीकार करने का क्या कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव––१९५७ की दे दी गई है। देर का कारण यह था कि उनकी सेवा-पुस्तिकायें पूर्ण नहीं थीं । १९५८ के बारे में इसलिये आदेश दे दिये गये हैं कि देरी नहीं होनी चाहिये ।

*४७–४८––श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)––[४ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८९–९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४९––श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)––[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

सरजू फैरी का ठेका पुराने ठेकेदार सर्वदीन सिंह को न मिलना

*५०––श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा पी० डब्लू० डी० ने सरजू फैरी का ठेका इस वर्ष कब और कितने का दिया ?

श्री गिरधारी लाल––कमिश्नर फैजाबाद ने इस फेरी का ठेका ७–६–१९५८ को १,११२.५८ रुपये माहवार पर स्वीकार किया ।

*५१––श्री बलदेवसिंह––उपर्युक्त में सब से अधिक टेन्डर कितने का था ?

श्री गिरधारीलाल––१,११२.५८ रुपए माहवार ।

श्री बलदेवसिंह––क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सब से अधिक टेन्डर किस व्यक्ति का था और उसको ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--सब से अधिक टेन्डर सर्वदीन सिंह का था जो कि १,११२.५८ रुपये का था। वैसे सालाना टेंडर ४०,०१२ रुपये का होता है।

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सब से अधिक टेंडर देने वाले व्यक्ति को ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--उसको इसलिये ठेका नहीं दिया गया कि उसको जो कलेक्टर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना चाहिये था, वह नहीं दिया।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह टेंडर पी० डब्ल्यू० डी० परामर्शदात्री समिति के सामने भी रखा गया था या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल--मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी।

श्री बलदेवसिंह--क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह सर्वदीन सिंह ठेकेदार १५ साल से उसी घाट का पुराना ठेकेदार है और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी ?

श्री गिरधारीलाल--१५ साल की इत्तला तो मेरे पास नहीं है लेकिन १९५६-५७ में ठेका सर्वदीन सिंह के पास था।

श्री सुरथबहादुर शाह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कलेक्टर ने क्यों उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया ?

श्री गिरधारीलाल--कुछ न कुछ बात होगी। जो आने-जाने वाले हैं, वे उससे सेटिस्फाइड न होंगे, इस प्रकार की और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, जिनकी मुझे इत्तिला नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सर्वदीन सिंह के खिलाफ कोई बैड एंट्री भी हुई थी ?

श्री गिरधारीलाल--बैड एंट्री का सवाल नहीं है। बहुत से आदमी जो पी० डब्लू० डी० या और महकमों में काम करते हैं, उनके मुताल्लिक सरकारी विभागों में कुछ इम्प्रेशन होता है, उन्हीं की बुनियाद पर यह किया जाता है।

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस व्यक्ति ने मंत्री महोदय को भी दरख्वास्त दी थी कि कुल मतालबा साल भर का एडवान्स जमा कर दूंगा, मेरे विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं है, इसकी जांच करा ली जाय ?

श्री गिरधारी लाल--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

*५२--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५४--**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (अनुपस्थित)--[माननीय सदस्या के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण ९ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न सख्या २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५५--**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती के मुंहचुरवाघाट पर पीपे के पुल की निर्माण योजना

*५६--**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बस्ती में बूढ़ी राप्ती पर मुंहचुरवा घाट-पुल वह कब बनाने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--मुंहचुरवा घाट पर पीपे के पुल का निर्माण-कार्य द्वितीय योजना काल में ही आरम्भ हो जाना चाहिये।

श्री. रामलखन मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए जिला प्लानिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से इसको प्राथमिकता देने के लिये दो वर्षों से लगातार इसको भेजा था ?

श्री गिरधारीलाल--प्राथमिकता दी गयी थी, इसीलिये इसको योजना के अन्तर्गत रखा गया।

श्री रामलखन मिश्र---क्या आदरणीय मंत्री जी को ज्ञात है कि तहसील के तीन भाग जो हैं, वे स्टेशन तक सामान ले जाने में इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल--जरूर इस मार्ग का प्रयोग करते होंगे तभी तो इस पुल के बनाने की जरूरत भी पड़ रही है।

श्री रामलखन मिश्र---क्या आदरणीय मंत्री जी इसके व्यय के अनुमान को प्रकट करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--१,५०,००० रुपये।

*५७-५८---श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)--[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

अस्थायी पंचायत इन्स्पेक्टर्स

*५९--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे पंचायत इंस्पेक्टर हैं जिनकी सर्विस तीन वर्ष से अधिक है और जो अब तक कनफर्म नहीं हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रदेश में ६१ ऐसे पंचायत इंस्पेक्टर हैं जिनकी सर्विस तीन वर्ष से अधिक है और जो अब तक कनफर्म नहीं हुये।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन पंचायत इंस्पेक्टरों के कनफर्मेशन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है और कब तक ये कनफर्म हो जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--इनमें १३ पंचायत इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनका काम सन्तोषजनक नहीं पाया गया है, उनको एक वर्ष का समय दिया गया है। एक वर्ष के बाद में उन पर विचार किया जायगा। दस इंस्पेक्टरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्यवाही हो रही है, उसके खत्म हो जाने के बाद उनके ऊपर विचार होगा। बाकी के बारे में विचार हो रहा है और जब विचार हो जायेगा, तभी वे कनफर्म किये जायेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचायत इंस्पेक्टरों के बारे में कोई ऐसा नियम नहीं है कि साल भर की अवधि के बाद उनको कनफर्म हो जाना चाहिये ?

श्री रामस्वरूप यादव---पहले तो सभी पंचायत इंस्पेक्टर टेम्पोरेरी स्थान पर थे। इसके बाद सरकार ने धीरे-धीरे उनके स्थानों को परमानेंट किया है, उसी के हिसाब से उनका कनफर्मेशन हुआ। जैसा कि मैंने उत्तर में बतलाया, अभी बहुत सी जगहें बाकी हैं, जिनके ऊपर विचार हो रहा है, विचार हो जाने के बाद वह पूरा हो जायगा।

*६०-६१---श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६३—श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४-६५—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय वन, जिला गोरखपुर, में शिकार के लिये लाइसेन्स

*६६—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में वन विभाग द्वारा राजकीय वन शिकार खेलने के लिये सन् १९५५-५६ और १९५६-५७ में कुल कितने स्थायी और अस्थायी लाइसेन्स दिये गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सन् १९५५-५६ में ४ स्थायी और ३१ अस्थायी तथा सन् १९५६-५७ में ५ स्थायी और ३५ अस्थायी लाइसेन्स वन विभाग द्वारा दिये गये।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये लाइसेंस किस योग्यता के आधार पर दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उसमें योग्यता की तो कोई खास बात नहीं है। आधार यह है कि जो वहां पर शूटिंग के लिये जायं, वहां शिकार खेलें और यदि कोई दरख्वास्त दे तो उसको विभिन्न प्रकार के लाइसेंस दिये जाते हैं। कोई १५ दिन का होता है, कोई ए क्लास का होता है जो अधिक समय के लिये होता है।

कानपुर नगर डेवलपमेंट बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत करबला निवासियों की पुनर्वासन व्यवस्था

*६७—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह कानपुर नगर डेवलपमेंट बोर्ड स्कीम नं० २६ के अन्तर्गत करबला निवासी जनता के मकानों को एक्वायर कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

*६८—श्री गरीबदास—यदि हां, तो उपर्युक्त जनता के मकान बनाने के लिये भूमि की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यहां से हटाये गये लोगों को विशेष रियायती दरों पर पुराना कानपुर स्कीम के अन्तर्गत प्लाट दिये गये हैं। जो मिलों में काम करते हैं उनको मजदूर क्वार्टरों में प्राथमिकता दी जाती है और अन्य लोगों के लिये स्लम क्लीयरेन्स स्कीम के अन्तर्गत मकान बनवाये जा रहे हैं।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम के मातहत जिन लोगों के मकानों को हटाया गया है, उनको कब हटाया गया और उनकी संख्या क्या थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये, श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस स्थान के जिन व्यक्तियों की जमीनें ली गयी हैं, या जिनके मकानों को लिया गया है, उन लोगों को नो लास नो प्राफिट के अनुसार सरकार वहीं पर जमीन देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा तो नहीं है, उनको रियायती दर पर जहां भी जमीन होगी वहीं पर दी जायगी। यहां के लिये तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि जमीन बचेगी भी कि नहीं बचेगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मनानीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो उन्होंने रियायती दर जमीन देने की बतायी है वह क्या दर है जिस हिसाब से कि उनको जमीन दी जायगी और जिनकी एक्वायर की गई है उनको कम्पेंसेशन किस हिसाब से दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, कम्पेंसेशन तो जो डेवलपमेंट बोर्ड ऐक्ट के अनुसार है उसी के हिसाब से दिया गया है। रियायती दर से किस हिसाब से दी जायगी वह छोटे-छोटे प्लाट केवल ३, ४ रुपये प्रति गज के हिसाब से दिये जा चुके हैं उन लोगों के लिए जो लेना चाहते थे और जो कि इनमें से हटाये गए थे।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो करबला से हटाये गए हैं वह किस श्रेणी के लोग हैं और जो जमीन दी जायगी वह किस श्रेणी के लोगों को दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—हर प्रकार के लोग हैं और जो हटाये गए हैं उन्हीं को दी जायगी। श्रेणी का क्या सवाल है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बतायेगी कि एक्वायर करने की फाइनल कार्यवाही किस तरीख को खत्म हो गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, एक्वायर करने की कार्यवाही तो खत्म हो चुकी। बहुत से मकान हटाये भी जा चुके हैं और सड़क भी काफी हिस्से तक बन गई।

*६९—**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)—[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*७०—**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)—[हटा दिया गया।]

एटा जिले को सांभर नमक का कोटा न मिलना

*७१—**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सांभर झील नमक का कोटा जिला एटा को सन् १९५७ में कितना दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एटा जिले को सन् १९५७ में सांभर नमक का कोई कोटा नहीं दिया गया।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में कोटा न देने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, एटा जिले को कांधला से नमक मिलता है। सन् १९५७ में कांधला से नमक मिला था और वह वर्ष के वर्ष बदल जाता है कभी कांधला से, कभी कहीं और से।

सहारनपुर जिले में हरिजन आनरेरी मैजिस्ट्रेट न होना

*७२—**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं और कितने व्यक्ति जज के पास असेसर नियुक्त हैं ? उक्त आनरेरी मैजिस्ट्रेटों और असेसरों में हरिजन कितने प्रतिशत हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ७२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कुल १४ आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं। असेसर कोई नहीं है। आनरेरी मैजिस्ट्रेटों में हरिजन कोई नहीं है।

श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो १४ आनरेरी मैजिस्ट्रेट इस समय काम कर रहे हैं यह कितने वर्षों से हैं? क्या गत १० वर्षों में कोई हरिजन भी रहा है? यदि हां, तो कब और कितने दिनों तक और कौन व्यक्ति?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, प्रत्येक आनरेरी मैजिस्ट्रेट का कार्यकाल अलग-अलग रहा है। मेरे पास इस समय यह तो सूचना नहीं है कि इनमें से प्रत्येक कब से है, यह सूचना अवश्य है कि प्रत्येक की अवधि किस दिन समाप्त हो रही है। हरिजन का जहां तक प्रश्न है, यदि कोई हरिजन आनरेरी मैजिस्ट्रेट मिले तो उनको लिया जा सकता है, लेकिन यह कि कोई हरिजन है इसलिए वह अवश्य आनरेरी मैजिस्ट्रेट हो शायद ऐसी नीति सरकार की नहीं है।

गोरखपुर जिले में मलौनी बांध टूटने से क्षति

*७३—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सन् १९५५ ई० की बाढ़ से मलौनी बांध, जिला गोरखपुर, टूट गया था? यदि हां, तो उससे कितनी हानि हुई?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—हानि का अनुमान लगभग ४,२५,९४० रुपये है।

पेय जल की नितान्त आवश्यकता वाले गावों के लिये जिलाधीशों को योजना बनाने का आदेश

*७४—**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने गढ़वाल जिले के नागपुर परगने की तल्ला नागपुर एवं कालीपार पट्टियों की पेय जल परिस्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रदेश के समस्त जिलाधीशों को लिखा जा रहा है कि वे अपने जिले के गांवों के लिए, जहां पेय जल की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है, जिला नियोजन समिति से परामर्श लेकर योजनाएं बनाएं, यदि सम्बन्धित जिलाधीश ने इन क्षेत्रों की योजनाओं को सम्मिलित कर लिया तो उन पर विचार किया जायगा।

*७५—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—[२८ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*७६—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

अलीगढ़ जिले में सासनी-विजयगढ़ सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*७७—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ की सासनी-विजयगढ़ सड़क कितने मील पक्की होने को शेष है और यह कब तक पूरी हो सकेगी?

श्री गिरधारीलाल—लगभग ६ ३/८ मील कच्ची है और इसको पक्की करने की कोई योजना इस समय नहीं है।

*७८—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षा में इस सड़क के कट जाने से जो दो बड़े-बड़े गड्ढे हो गये थे उनका कब तक सड़क के सम धरातल तक निर्माण हो सकेगा?

श्री गिरधारीलाल—वर्षा के बाद अन्तरिम जिला परिषद् अलीगढ़, जिसके अधीन यह सड़क है, इस कार्य को करेगी।

अतारांकित प्रश्न

१–३—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

४–५—श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)—[१६ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।)

कतिपय कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास चार कामरोको प्रस्ताव आये जिनको मैंने अपने कमरे में ही अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि वह कुछ तो महत्वपूर्ण नहीं थे और कुछ अर्जेन्ट नहीं थे। मैं उनको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं समझता हूं। और जो प्रश्न प्रस्तावकों ने उठाये हैं उनमें से अगर कुछ भी महत्व रखते हों तो कल जो बहस होगी उसमें माननीय सदस्य उठा लें। मैं उनको पढ़ कर सुनाने की भी आवश्यकता नहीं समझता हूं।

सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—(जिला अल्मोड़ा) श्रीमन्, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी प्रोग्राम बताने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमन्, जो कार्य सूची आज के लिये दी गयी है वह जहां तक मैं समझता हूं ९ तारीख तक चली जायगी, बिजनेस कमेटी ने जो समय निर्धारित किया है उसके अनुसार, क्योंकि कल और परसों, दो दिन अविश्वास के प्रस्ताव में समय चला जायगा। तो कार्य सूची के अनुसार नगर निगम विधेयक पेश हो जायगा और वह ९ तारीख से बराबर आगे चलता रहेगा। बीच में काम यह होगा कि १५ तारीख को सप्लीमेंटरी और ऐक्सेस डिमान्ड्स दोनों सदन के सामने उपस्थित किये जायेंगे और उसी वक्त यू० पी० टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ पार्वस अमेंडमेंट बिल, जो विधान परिषद् से पारित हो चुका है, वह सदन के सामने रखा जायगा।

१७ तारीख को ऐक्सेस डिमांड्स पर बहस होगी और वह पारित होंगी। १८ तारीख को सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स पर बहस होगी और वह पारित होगी और फिर उसके आगे नगर निगम विधेयक चलता रहेगा। छुट्टी की जहां तक बात है, तो ५ तारीख को जन्माष्टमी की छुट्टी है और ६, ७, दो दिन सदन और बन्द रहेगा, उसके बाद ८ तारीख को सदन बैठेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स और ऐक्सेस ग्रान्ट्स के सिलसिले में जो समय नियत किया गया है वह कम है। पिछली बार भी इसकी शिकायत थी और उस समय यदि मुझे ठीक याद है तो यह कहा गया था कि आइन्दा इस बात का ध्यान रखा जायगा कि इन अनुदानों पर विचार करने के लिये इस सदन को काफी समय मिले। मुझे यह नहीं मालूम कि वह कितनी ग्रान्ट्स होंगी। लेकिन यह मैं मान्यवर से निवेदन करूंगा कि जहां तक इन दो ग्रान्ट्स का सवाल है उनके लिये एक एक दिन का समय नियत करने की बात पक्की न समझी जाय।

श्री अध्यक्ष—नियम १५७ यह है :

"The Speaker may, from time to time, in consultation with the Leader of the House, allot one or more days for presentation of a statement of demands for grants in respect of supplementary or additional or excess expensiture under Article 205....."

[श्री अध्यक्ष]

इसलिये जो आपने अभी जिक्र किया इस विषय में मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं बातचीत कर लूंगा और यदि कोई उसमें परिवर्तन हुआ, जो अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूचना दी है उसमें, तो बाद में सदन को बता दिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं यह सूचना चाहता हूं कि जो ग्रान्ट्स पेश हो रही हैं क्या इनमें से कोई ऐसी ग्रान्ट्स भी हैं जिनमें खर्चा हो चुका है और अब ग्रान्ट्स लायी जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष---जब ग्रान्ट्स सामने आयेंगी तो मालूम हो जायगा। इस समय कोई बात पूछने का मौका नहीं है।

परिवहन राज्य मंत्री द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, कल मैंने आपकी आज्ञा से एक जानकारी चाही थी। नेशनल हेरेल्ड अखबार में प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र छपा था। उसमें बताया गया था कि डाक्टर सीताराम ने जो असेम्बली में स्टेटमेंट दिया था वह करेक्ट कर दिया गया जो १७० गाड़ियों के सम्बन्ध में था कि सरकारी अधिकारियों के लिये खरीदा गईं। तो उसका करेक्शन प्रेस कान्फ्रेंस में किया था। मुझे इसकी कोई ठीक सूचना नहीं है, केवल अखबार में ही देखा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कोई करेक्शन असेम्बली के बाहर किया है ? कौन सी फिगर्स सही थीं, जो असेम्बली में बतायीं वे या जो कांफ्रेंस में बतायीं वे ?

श्री अध्यक्ष---माननीय डाक्टर सीताराम जी, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नारायणदत्त तिवारी जी ने जो प्रश्न यहां पर किया है उस सम्बन्ध में मैं दो बातें सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के माननीय सदस्यगण ३० तारीख की प्रेस कांफ्रेंस के पश्चात् ३१ तारीख के अखबारों देखने का प्रयास किये होंगे। जहां तक अखबारों की बात है मैं समझता हूं कि पायनीयर में सब बातें ठीक ठीक दी गई हैं और दूसरे अखबारों में भी दी गई हैं। जहां तक हेराल्ड की बात है, उसमें भी और बातें हैं लेकिन जो २ बातें अभी श्री नारायण दत्त जी ने कहीं कि १७६ गाड़ियां खरीदी गयीं, ऐसा हेराल्ड में लिखा है, यह बात ठीक नहीं है क्योंकि श्री देवकी नन्दन विभव के प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि इन ५२६ में से ३५६ गाडियां ट्रान्सपोर्ट विभाग के लिये खरीदी गयीं और बाकी १७० गाड़ियां विभागों के लिये खरीदी गयीं। इस तरह से हेराल्ड में जो १७६ छपा है वह भ्रम पैदा करता है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन, सर।

श्री अध्यक्ष---अभी तो वह स्वयं ही इन्फार्मेशन दे रहे हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह---अगर कोई बात समझ में न आये तो उस के विषय में इन्फार्मेशन....

श्री अध्यक्ष---जब वह सूचना देना खत्म कर दें तब आप पूछें।

डाक्टर सीताराम---दूसरी बात थी करेक्शन के बारे में। जिस प्रश्न का भी उत्तर यहां दिया जाता है अगर उसमें कोई बात होती है तो असेम्बली में ही उसका करेक्शन होता

है, बाहर कहीं और नहीं होता, यही यहां की पार्लियामेंटरी पद्धति है। तो हेराल्ड में वह करेक्शन नहीं था, डिटेल्ड इन्फार्मेशन थी ....

श्री अध्यक्ष---स्पष्ट हो गया अब कि गाड़ियों की संख्या १७६ के बजाय १७० ठीक है और मंत्री जी द्वारा कोई करेक्शन नहीं था, वह हेराल्ड को खुलासे में सूचना दी गई थी और हेराल्ड से मतलब नेशनल हेराल्ड है, वह कोई दूसरा पत्र नहीं है।

*उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब न्याय उप-मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी होगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर कल मैंने अपने बिचार व्यक्त करते हुये इस बात को और संकेत किया था कि इसको अब कोई आवश्यकता नहीं है। जो कारण और जो उद्देश्य मंत्री जी ने उपस्थित किये थे उनके संदर्भ में सन् १९४७ में जिस समय कि शुरू शुरू में इस अधिनियम का प्रचलन हुआ था उसको देखने से भी उसका औचित्य आज नहीं रह गया है। मैंने उस वक्त यह भी निवेदन किया था कि सन् १९४७ में इस ऐक्ट को इसलिये प्रचलित किया गया था कि उस समय हमारे सूबे में शरणार्थी भाइयों का प्रवाह हुआ था और वह हमारे यहां दूसरे प्रदेशों से आये थे और उनको बसाने के लिये और रहने की व्यवस्था के लिये यह आवश्यक था कि सरकार के पास इस प्रकार के कोई न कोई अधिकार होते जिनके द्वारा वह निवास स्थानों की समुचित व्यवस्था कर सके। अब सौभाग्य की बात है कि धीरे धीरे शरणार्थियों का प्रवाह रुका और अब हमारे यहां शरणार्थियों की कोई विशेष समस्या नहीं रह गई है। इस समय जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि सरकारी कार्यालय और सरकारी कर्मचारियों के आवासों के संबंध में इस तरह के बिल की आवश्यकता है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर इतने अधिक कार्यालय खुल गये हैं कि अब विशेष किसी कार्यालय के खोलने की कोई आवश्यकता रह नहीं गयी है। प्रदेश में राजधानी लखनऊ से लेकर जिले के हर एक स्थान में उनकी शाखाएं, उपशाखाएं तक स्थापित हो गयी हैं और यदि सरकार को इस बात की कोई आवश्यकता है तो उसको चाहिये कि वह रेंट कंट्रोल एविक्शन अधिनियम के अन्तर्गत इस तरह की जगह को प्राप्त करें।

मान्यवर, इस समय जो कानून प्रचलित है, जिसके सम्बन्ध में यह विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसमें बहुत सी खामियां भी हैं। इसमें व्यापक परपजेज के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी स्थान को अपने लिये हस्तांतरित कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "पब्लिक परपजेज" शब्द इतना व्यापक है, जिसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अवश्य कुछ ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं कि जिससे प्रदेश की जनता को हानि पहुंच सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अब इस समय इस तरह के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

कल, उन्होंने अपने भाषण में एक बात की ओर संकेत किया था कि अभी हमें फूडग्रेन्स को जमा करने के लिये गोदामों की या ऐसे ही स्थानों की प्रयोग के लिये आवश्यकता है।

---

*२२ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

†१ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

मैं इस सबन्ध में उनसे यह निवेदन करूंगा कि आज हमारे सामने स्थान की समस्या नहीं है। आज हमारे सामने तो फूडग्रेन्स की समस्या है। आज स्थान खाली पड़े हैं और यदि इसे बहुत ही व्यापक रूप से कहा जाय तो इस प्रदेश की जनता के पेट खाली पड़े हुए हैं। इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और इस तरह का जो एक टेम्पोरेरी विधेयक था जो किसी दूसरे उद्देश्य के लिये यहां पर प्रचलित किया गया था अब उसको लगातार प्रचलित न रख करके वापस लेने की कृपा करें।

न्याय उप मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---अध्यक्ष महोदय, मैंने कल प्रारम्भ में यह निवेदन किया था कि इस विधेयक के संदर्भ में भी एक दूसरा व्यापक विधेयक आने वाला है जिसको, जब कि वह सदन के सामने आयेगा तो इस सदन के माननीय सदस्यों को देखने का और उसके सम्बंध में उसका विवेचन करने का पूरा अवसर होगा। कृपापूर्वक माननीय सदस्यों ने, जो मूल अधिनियम है, उसके सम्बंध में भी यहां बहुत सी चर्चा की। मैं चाहता था कि उसके सम्बंध में विशेष चर्चा इस सदन के सामने न करूं, किन्तु क्योंकि यह मांग की गयी है कि इसमें अवधि न बढ़ायी जाय, इसलिये मेरे लिये यह आवश्यक हो गया है कि जो तर्क उपस्थित किये गये हैं उनको संक्षेप में मैं कुछ उत्तर दूं। वैसे इसकी अब आवश्यकता है या नहीं और इसके सम्बंध में अब किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, यह जो टेम्पोरेरी ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट है, इसके लिये सदन के सामने मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार १९५४ में १९४ आवास इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत किये गये थे। १९५५ की पहली जनवरी तक उनकी संख्या १२१ रह गयी, यानी पर्याप्त संख्या में उनको छोड़ दिया गया। फिर १९५६ की पहली जनवरी तक वह कवल ११४ रह गये, और १९५७ की पहली जनवरी तक उनकी संख्या फिर १२३ हो गयी। लेकिन १९५८ की पहली जनवरी तक उनकी संख्या केवल ९० है। इससे मैं केवल यह दिखाना चाहता था कि किस प्रकार कम से इस अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत जिले के अधिकारी यह प्रयास करते हैं कि कम से कम आवासों का अधिकरण किया जाय; कम से कम मकान और दूसरी इमारतें ली जायं। मैं यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करूंगा कि यह विधेयक और मूल अधिनियम एक प्रकार की उस परिस्थिति के द्योतक हैं जिसे एमर्जेन्सी की परिस्थिति कहने में शायद कुछ विशेष कठिनाई न हो। मेरे मित्र विशारद जी ने शायद वह बात गलत समझी या उनके सामने यह अधिनियम न हो। यह अधिनियम कभी भी इसके लिये नहीं बनाया गया कि शरणार्थियों के लिये एकोमोडेशन का अधिग्रहण किया जाय बल्कि इसके विपरीत स्थिति यह थी कि रेफ्यूजीज के इस प्रदेश में आने से जो आवास की कमी पड़ी उसका मुकाबला करने के लिये इस अधिनियम को बनाया गया। यानी जब रेफ्यूजीज आये तो उन्होंने बहुत से आवास ले लिये जिसकी वजह से कमी पड़ी और जो आवश्यकतायें थीं उनकी पूर्ति स्वाभाविक रूप से और दूसरे कानूनों से होना सम्भव नहीं हुआ तब यह अधिनियम बनाया गया। मैं केवल उनकी इत्तला के लिये ऐक्ट के शुरू में जो एक ही सेन्टेन्स है उसको पढ़ दूंगा।

"Whereas for reason of shortage of accommodation in the United Provinces which has become very acute due to large influx of refugees it is expedient to provide....."

यानी रेफ्यूजीज के लिये एकोमोडेशन रेक्वीजीशन करने के लिये यह अधिनियम नहीं बनाया गया बल्कि इसके बिलकुल विपरीत जैसा कि इस विधेयक में है जो कि टेम्पोरेरी रेन्ट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत या उसका सहारा ले कर जो कार्य पूरा नहीं किया जा सकता उसको पूरा करने के लिये एक प्रकार से यह पूरक विधेयक है।

इसके सम्बंध में जो तर्क यहां उपस्थित हुये, जैसा कि मैंने पहले प्रारम्भ में अभी कहा, बहुत संक्षेप में उनका भी उत्तर देने की आवश्यकता है। यह कहा गया कि पब्लिक परपज इसमें डिफाइन नहीं है। मेरे मित्र गोविन्द सिंह जी इस समय हैं नहीं, लेकिन मुझे यह ज्ञान ह

कि वे वकालत करते हैं और वह यह जानते हैं कि यदि किसी विशेष अधिनियम में किसी शब्द विशेष की व्याख्या नहीं होती तो उसमें जनरल क्लाजेज ऐक्ट लागू हो जाता है और उसमें जो व्याख्या दी होती है उसी के अनुसार कार्य होता है। "पब्लिक परपज" जनरल क्लाजेज ऐक्ट में डिफाइन्ड है और उसके अतिरिक्त समय-समय पर दूसरे अधिनियमों में भी उसकी व्याख्या की गयी है। उसी प्रकार से यह भी कहा गया कि इसमें जो यह एक प्रकार का नियम बनाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नहीं मिले तो गजट द्वारा उसको सूचना दी जाय; यह भी सूचना सदन को आधी और अपर्याप्त दी गयी। इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति न मिले और उसका मिलना सम्भव न हो या उसके मिलने में कठिनाई पड़ती हो, देर लगती हो, तो उन परिस्थितियों में गजट के द्वारा उसको सूचित किया जायगा और उसके अलावा यह भी है कि—

"and by affixing a copy thereof on any conspicuous part of accommodation.";

तो केवल गजट में प्रकाशित होने की बात तो नहीं है।

फिर यह भी कहा गया कि इसके विरोध में कोई रिवीजन या अपील नहीं है। मैं केवल इतना कह सकूंगा कि यह भी बात गलत है। बल्कि जो दफा ६ में कार्यवाही होती है यानी जो यह तय होता है कि कितना मुआवजा दिया जाय, उसमें अदालत का निर्णय अन्तिम होता है और इसके अतिरिक्त इस कानून के अन्तर्गत जो किया जाता है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, कोई रिवीजन नहीं होता, कोई अपील नहीं होती, ऐसा इसमें कोई प्रावीजन नहीं है और न किसी भी स्थान पर इस प्रकार की बात लागू की गयी है।

जहां तक एक बात यह भी कही गई थी कि रिपेयर्स की कोई व्यवस्था नहीं है और कम्पेंसेट करने की भी नहीं है। मैं अपने भाई का ध्यान इसी की धारा १० की ओर दिलाऊंगा जिसमें रिपेयर्स के लिये पूरी व्यवस्था है और जिलाधीश को अधिकार होता है और अगर आवश्यकता हो तो वह मकान मालिक से रिपेयर्स के लिये कहता है। अगर वह नहीं करता है तो जिलाधीश खुद कराते हैं। श्रीमन्, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया, मैं समझता था कि इस सम्बंध में बहुत अधिक वादविवाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बहुत छोटी सी चीज है और जो कुछ वाद विवाद किया जा सकेगा तो जिस समय व्यापक विधेयक आयेगा उस समय किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को लोकमत जानने के लिये जनता में एक मास तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, जिसे उसकी परिधि भी विस्तृत करने का अधिकार हो। उक्त प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू० पी० ऐक्ट २५, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या "1958" के स्थान पर संख्या "1963" रख दी जाय।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, मैंने जैसा कि अभी आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन में निवेदन किया, इस तरह के विधेयक की वर्त्तमान समय में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने अभी सदन में आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही विस्तृत रूप से दूसरा बिल लायेंगे और इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी बतलाया कि जिस समय इस विधेयक का प्रचलन किया गया था उस समय शरणार्थी भाइयों की वजह से नहीं बल्कि जगह की कमी की वजह से किया गया था। मैं निवेदन करूंगा कि जगह की कमी का कारण क्या था। एक ही मुख्य कारण था जिसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है कि —

"Whereas for reason of shortage of accommodation in the United Provinces, which has become very acute due to large influx of refugees."

उन्होंने इसमें बतलाया है कि जगह की कमी इसलिये हुई थी कि यहां पर शरणार्थी भाइयों का आना जारी था और उस समय जिस समय यह बिल सदन में प्रस्तुत हुआ था, कहा गया था कि —

"To provide accommodation for the refugees who are still arriving in thousands and for other essential demands."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इसलिये प्रचलित किया गया था कि शरणार्थी भाइयों के आने की वजह से उनके बसाने के लिये कठिनाई हो रही थी। उसको दूर करने के लिये इस तरह का विधेयक प्रचलित किया गया था। उसका मुख्य कारण यही था। कुछ अंशों में जगह की भी कमी हो गई थी, उसकी पूर्ति के लिये भी इसका प्रचलन हुआ। लेकिन यह द्वितीय बात थी। पहली बात तो यही थी कि शरणार्थी भाइयों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये इस तरह का अधिनियम प्रचलित किया जाय और इसीलिये उस समय सभी ने—मैंने उस समय की असेम्बली और काउंसिल की कार्यवाही देखी है—इस तरह के अधिनियम का स्वागत किया था। सभी आवश्यकता समझते थे कि शरणार्थी भाइयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस तरह के अधिकार सरकार के पास होने चाहियें। लेकिन आज वह परिस्थिति नहीं है। आज इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के अधिकार सरकार के हाथ में रहें। आज केवल यही कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों के लिये और सरकारी कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था करने के लिये इस तरह के अधिकार सरकार के हाथ में रहने आवश्यक हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो तालिका हम सब लोगों को सुनाई उसमें १९५४ में १९४ थे, १९५५ में घट कर १२१ हो गये, १९५६ में ११४, १९५७ में १२३, १९५८ में ९० घट कर रह गये। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इसमें कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी थे जो १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले थे जिनके आवास की समस्या हल करने के लिये मकानों को एक्वायर किया गया? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आज इस सेक्रेटेरियेट के लगभग ८०० ऐसे चपरासी हैं जिनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन सरकार की ओर से इन छोटे-छोटे कर्मचारियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस तरह के जो मकान हस्तगत किये जाते हैं वह केवल बहुत ऊंचे वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये, जो गजेटेड अफसर होते हैं या इसी श्रेणी के अफसर होते हैं उनके रहने की व्यवस्था के लिये इस तरह का प्रयोग किया जाता है।

दूसरी बात सरकारी कार्यालयों के सम्बन्ध में कही गई। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर चुका हूं कि आज इतने सरकारी कार्यालय खुल गये हैं कि आवश्यकता नहीं रह गई है। अगर रह गई है तो केवल एक कार्यालय बाकी रह गया है जिसको इन्क्वायरी आफिस कहा जा सकता है। अगर इसके लिये कोई कानून इस तरह का रखा जा रहा है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि

इस तरह का काम हर जिले में जो सूचना कार्यालय है वहां से भी इसका संचालन हो सकता है । कोई ऐसे कार्यालय नहीं रह गये हैं जिनकी स्थापना जिले के स्तर से राजधानी तक न हो चुकी हो । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी ३० सितम्बर, १९५८ के बाद पांच साल तक १९६३ तक के लिये अवधि बढ़ाने का जो प्रस्ताव कर रहे हैं मैं उसका विरोध करना चाहता हूं और चाहता हूं कि अपने इस संशोधन को वह वापस ले लें जिससे इस प्रकार के अधिनियम के प्रचलित होने की आवश्यकता समाप्त हो जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। मैं अभी इस सम्बन्ध में चर्चा कर चुका हूं । मेरे मित्र ने दो एक बातें कह दीं । उन्होंने खासतौर से यह कहा कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनके लिये कितने आवास गृह अधिग्रहण किये गये और कितने बड़े कर्मचारियों के लिये। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि बड़े कर्मचारियों और छोटे कर्मचारियों में भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके लिये आज भी आवासगृह न लखनऊ में और न दूसरे स्थानों में ही हैं । कोई छोट बड़े का बहुत बड़ा अन्तर है नहीं, क्योंकि हम लोगों के यह ज्ञान में है और सम्भवतः मेरे मित्र विशारद जी के भी ज्ञान में हो कि सचमुच बहुत से बड़े कर्मचारी भी हैं जिनके लिये आवासगृह की बहुत बड़ी समस्या है । उनको भी मिल सकना मुश्किल पड़ रहा है । लेकिन ज्यादातर इस ऐक्ट का प्रयोग सरकारी कर्मचारियों के आवासगृह के लिये नहीं किया गया। यदि इसका प्रयोग कभी हुआ है और जैसा कि मैंने बताया ९० घर ऐसे हैं जिनका १९५४, ५५, ५६, ५७ में अधिग्रहण किया गया और उनमें से जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, काफी घर वापस किये जा चुके हैं लेकिन जो हैं उनमें बहुत कुछ ऐसे हैं जिनका जनसेवा के कार्य के लिये अधिग्रहण किया गया है । यदि मेरे मित्र यह मानते हैं कि आज इस प्रदेश में आवास गृहों की कमी है, यदि वह यह मानते हैं कि उनका उपलब्ध करना कठिन है, जिनके लिये मैंने कल आंकड़े दिये थे कि यह बहुत बड़ी समस्या है इस प्रदेश के लिये, तो हमारे मित्र को इस का समर्थन करना चाहिये। नये आवास गृह आज बनने नहीं पा रहे हैं । उनके लिये ईंटों की कमी है । ईंटों की कमी इसलिये है कि कोयले की कमी है । कोयले की कमी ट्रान्सपोर्ट की वजह से है । यदि किसी प्रकार से ईंटों की कमी पूरी हो जाती है और सीमेन्ट की कमी पूरी हो जाती है तो लोहे की कमी हो जाती है और लोहा नहीं मिलता है । कुछ दूसरे लोग जो मकान बनाया करते थे उनके मन में कुछ इस प्रकार की शंका आ गई है कि शायद वह मकानों से उतना लाभ नहीं उठा सकते जितना कि वह पहले उठाते थे । यदि कोई बनाता है वह प्रायः इसलिये बनाता है कि वह स्वयं उसमें रहे । यह सब कठिनाइयां हैं । यदि यह कठिनाई है तो इसके लिये इस विधेयक की आवश्यकता है या नहीं यह मैं सदन के ऊपर हो छोड़ता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस कठिन परिस्थिति में बहुत से जनसेवा के कार्यालयों के लिये दूसरे प्रकार के आवास गृहों की आवश्यकता पड़ती है। कदाचित् यह बिलकुल उचित नहीं होगा यदि इस प्रकार के विधेयकों को आज समाप्त कर दिया जाय और उसकी अवधि को समाप्त कर दिया जाय । इसलिये मैं एक दफा फिर यह निवेदन करूंगा कि यह सदन इस विधेयक को स्वीकार करके इसकी अवधि बढ़ाये ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

यू० पी० ऐक्ट २५ १९४७।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २५, १९४७।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर १९५८ को समाप्त हो जायगा और यह इष्टकर है कि उक्त ऐक्ट को ३० सितम्बर, १९६३ तक जारी रखने की व्यवस्था की जाय;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८" कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--मैं अवस्थी जी से यह कहना चाहता हूं कि उस रोज जो उन्होंने विरोध करने के लिये सूचना दी थी वह कार्य सूची में छपी नहीं थी कि वह विरोध करेंगे । इस कारण मैंने उनको इजाजत नहीं दी थी लेकिन जब उन्होंने प्रश्न उठाया तो मैंने कहा था कि मैं इसकी जांच करूंगा कि उन्होंने यदि नोटिस दिया था तो वह क्यों नहीं छपा । राजनारायण जी ने भी उस समय कहा था कि इसमें आइन्दा के लिये कोई निश्चित नीति अख्तियार कर लेनी चाहिये । तो उनका एतराज सफल हुआ और भविष्य के लिये मैंने यह नीति निर्धारित कर दी कि जब कोई किसी खंड का विरोध करना चाहे तो उसको यह बतला देना चाहिये कि मैं उस खंड का विरोध करूंगा । आइन्दा जब सदस्यगण ऐसा करेंगे तो उन का नाम कार्यसूची में दे दिया जायगा और उनको विरोध का मौका मिल जायगा । मुझे इस बात का खेद है कि हमारे दफ्तर की गलती से उस रोज विरोध की सूचना कार्यसूची में दी नहीं गई थी । आइन्दा ऐसी सूचना छप जाया करेगी ।

उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८*

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ (The U.P. Ware House Bill, 1958) जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय । अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का अंग है जिसको इस बिल के रूप में मुझे इस सदन के सामने रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । आज के जमाने में, जैसा हम मौजूदा हालत में देख रहे हैं, हालत यह है कि पैदा करने वाले को पैदा की हुई चीज की कीमत ठीक ठीक नहीं मिलती ।

*२२ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में छपा ।

आज जो गेहूं २०, २२, २४ और २५ रुपये मन बिक रहा है वह दाम पैदा करने वाले किसान को नहीं मिल रहा है। जब किसान पैदा करता है और वह उसे बाजार में लाता है तो उसका दाम सस्ते से सस्ता होता है और ज्यों ही वह माल किसान के पास से निकल जाता है उन चीजों का दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने कई जगह मिसाल के तौर पर कहा, किसान पूरी लागत उसमें लगाता है, पूरी मेहनत करता है, पूरा खतरा उठाता है, जितने रिस्क्स हैं वह सब लेता है, चाहे वह ओले की हो, बाढ़ की हो, सूखे की हो या बैल के मरने की हो, जितने भी उस व्यापार में खतरे हैं वह सब किसान को उठाने पड़ते हैं। सारी लागत उसकी, बीज उसका जमीन उसकी, जमीन की मालगुजारी उसकी, आबपाशी का दाम उसका, खाद उसका, इस तरह से सारी लागत उसकी, साल भर वह देखभाल उसकी करता है, लेकिन जैसे वह आलू पैदा करता है तो इतने सारे खतरे उठाने के बाद भी उसको उसका दाम ५, ६ रुपये मन से ज्यादा का नहीं मिल पाता। कभी कभी ४ और साढ़े चार का दाम ही मिलता है और खरीदने वालों को उसका दाम २०, २५ और ३० रुपये मन तक का मिलता है। ८ आने, १० आने और १२ आने सेर का दाम हम आलू का देते हैं। तो जिस समुदाय ने सारी लागत लगायी, मेहनत की और सारा खतरा मोल लिया उसको अपनी पैदा की हुई चीज का पूरा दाम नहीं मिलता। यह एक बड़ा भारी सवाल हमारे सामने है। मैंने अभी आलू की मिसाल दी। पैदा करने वाले को ५ और ६ रुपये मन का दाम मिलता है और खाने वाले को २०, २५ और ३० रुपये का दाम देना पड़ता है। यह समस्या आज हमारे सामने है। मेरी यह राय है कि हमारे जितने भी आन्दोलन हैं ज्यादा पैदा करने के, 'ग्रो मोर' के, वह उसी वक्त हो सकते हैं कि जब पैदा करने वाले उसकी पैदा की हुई चीज का ठीक ठीक दाम मिले। क्या हम आलू इसलिये ज्यादा पैदा करते हैं कि वह खाने वाले को २०, २५ रुपये मन मिले और पैदा करने वाले को उसका दाम ५, ६ रुपये मन मिले? और बीच का सारा मार्जिन बीच में गायब हो जाय? बीच वाले को जो उस चीज को पैदा करता है उससे तिगुने दाम मिल जाते हैं। यह तिगुने दाम उसको मिल जाते हैं कि जो दौलत पैदा नहीं करता। १०० मन आलू अगर किसान के खेत से निकलता है तो खाने वाले तक पहुंचने में वह छटांक आधी छटांक कम हो जायगा, बढ़ नहीं सकता, उसमें कोई इजाफा नहीं होता, लेकिन फिर भी पैदा करने वाले से दुगुने, तिगुने दाम वह बीच वाले ले लेते हैं। किसान के घर से जब फसल निकल जाती है तब उसके दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उसमें काफी मुनाफा बीच के लोग खाते हैं। आज भी वही समस्या हमारे सामने है। इसका मुकाबला करने के लिये, इस समस्या से किसान को छुटकारा दिलाने के लिये और इसके लिये उसको उसकी चीज के पूरे दाम मिल जांय, जो योजना है, उसका एक अंग यह वेअर हाउसेज की योजना है, जिसका बिल आपकी आज्ञा से मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

जब पैदा करने वाले के यहां कोई चीज पैदा होती है तो वह सस्ती क्यों बेचता है? कोई किसान आज इतना बेवकूफ नहीं है। क्या वह यह नहीं जानता है कि चैत बैसाख में हमारा गेहूं सस्ते से सस्ता बिकता है। किसी भी किसान पर अगर इस मौके पर १,००० रु० होता है तो वह यही सोचता है कि इस रुपये का मैं गेहूं भर लूं जिससे दो महीने बाद १,१०० १,२०० रुपया हो जांय। जब ऐसी बात है तो फिर वह क्यों बेचता है? कारण उसका यही है कि उसको उसे रोकने की शक्ति नहीं है। जो भी कुछ उसका देना होता है वह उसी वक्त देना होता है। चाहे वह मालगुजारी हो, चाहे आबपाशी हो, या और कोई रुपया हो, उसको सब उसी वक्त देना होता है। इसलिये किसान के लाभ की जो भी बातें हम करते हैं उनमें से यह भी बहुत जरूरी है कि किसान का जब फसल तैयार हो तो उसके लिये कोई ऐसा काम करे जिससे उसको सस्ता गल्ला बेचने पर मजबूर न होना पड़े। उसमें ताकत पैदा की जाय कि वह उसको रोक सके।

इसके लिये एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके कई अंग हैं। एक तो यह कि जो साधन किसान के लिये उसको फसल पैदा करने के जुटाये जा रहे हैं, वह नाकाफी हैं। किसान

[श्री मोहनलाल गौतम]

को उससे ज्यादा की जरूरत है । फसल को अच्छी करने के लिये आवश्यक है कि किसान के पास उसके लिये काफी साधन हों । यानी बीज उसको आसानी से मिल सके, खाद उसको आसानी से मिल सके, पैसा उसको आसानी से मिल सके, आबपाशी का इन्तजाम वह आसानी से कर सके, ये चीजें उसको वक्त पर और सस्ती से सस्ती मिल सकें । अगर बीज समय पर न मिल कर बाद में मिलता है तो यह आसानी नहीं होगी । उसको वक्त पर और सस्ते दाम पर मिलना भी आवश्यक है ।

एक बात तो यह हुई, जिस पर हम ध्यान देना चाहते हैं, कि किसान को उसकी फसल की लागत के लिये जो सुविधा आज दी जा रही है, उसको ज्यादा बढ़ाया जाय, चाहे वह बीज की शक्ल में हो, चाहे फर्टिलाइजर की शक्ल में हो और चाहे वह रुपये की शक्ल में हो । आज तक जो कुछ हमने किया है उसको हम नाकाफी समझते हैं।

अब तक हम उसको शार्ट टर्म लोन ही देते चले आये हैं । लेकिन अब यह योजना भी चालू की गयी है कि उसको मीडियम टर्म लोन भी दिया जाय । अब तक उसको जो लोन दिया जाता था वह केवल एक साल के लिये दिया जाता था लेकिन अब और जो इसके अलावा लोन दिया जायगा वह ५ साल तक की मियाद का होगा । वह उन लोन्स के लिये होगा जिनको वह एक साल में अदा नहीं कर सकता है । मान लीजिये कि वह एक बैल ४०० रुपये का खरीदता है । अब उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह एक साल के अन्दर उस रुपये को अदा कर देगा । इसलिये उसको मीडियम टर्म लोन देकर ५ साल तक अदा करने की सहूलियत दे दी जायगी । लेकिन कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकते हैं जिनके लिये वे अगर क्रेडिट लें तो उसे ५ साल में भी अदा न कर सकें । उसके लिये लैंड मार्गेज बैंक की योजना तैयार है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही तीन हफ्ते के अन्दर लैंड मार्गेज बैंक की स्थापना यू० पी० में ही जायगी । तो इस प्रकार किसानों को अपनी काश्त के लिये जो लागत की जरूरत है वह तीन रूप में शार्ट टर्म, मीडियम टर्म और लांग टर्म की शक्ल में मिल सकेगी और हम समझते हैं कि काफी तादाद में इफरात के साथ मिल सकेगी । यह तो उसके साधन जुटाने की बात हुई ।

जहां हम यह चाहते हैं कि वह ज्यादा चीज पैदा करे वहां यह भी चाहते हैं कि जो चीज पैदा करे उसे सस्ता न बेच दे । अगर वह सस्ता बेच देगा तो फिर उसको क्या लाभ होगा ? यह सवाल है । मैं भी उस सवाल से सहमत हूं । इसलिये दूसरी मेरी यह योजना है कि उसके लिये मार्केट का भी इन्तजाम होना चाहिये । अगर उस मार्केट के जरिये वह अपना माल बेचे, इसको मैं ज्यादा महत्व का समझता हूं किसानों के लिये और इस देश के लिये । मार्केटिंग का सबसे बड़ा तत्व यह है कि पैदा करने वाले को अच्छे से अच्छा दाम मिल सके । आज हमारे यहां लखनऊ में चिकन का काम करने वाली जो बुढ़िया औरतें हैं, बुर्कानशीन औरतें हैं उनको उस काम की कितनी मजदूरी मिलती है और कुर्ता पहनने वाले को उसको कितना दाम देना पड़ता है, हम लोगों में से कुछ न कुछ को कुछ अन्दाजा होगा । वे औरतें कुछ नहीं पाती हैं । अगर हम यह इन्तजाम कर सकें कि खरीदने वाला जितना दाम दे उसकी मजदूरी उसको मिल सके, सिर्फ हैंडलिंग चार्ज काट लिया जाय तो हम पूरी सेवा करेंगे और पैदा करने वाले को उसकी पूरी मजदूरी दे सकेंगे । इसलिये आज के जमाने में मार्केटिंग एक बहुत महत्व की चीज है और मैं उस पर काफी जोर देता हूं तथा उस क्रेडिट के साथ-साथ मार्केटिंग को जोड़ता हूं । मार्केटिंग से एक फायदा तो यह है कि जो क्रेडिट मिलेगा उसको वसूल करने में मार्केटिंग के जरिये आसानी होगी । दूसरा फायदा यह है कि आज जो हमारी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं—जैसे पहले अढ़तिये जो बीच में होते थे और आढ़त के साथ-साथ उसी में से सब कटान करते थे, वह सब अब नहीं होगा । इससे भी किसान को फायदा होगा । कहीं

भी गोशाला हो, धर्मशाला हो या पाठशाला हो, कहीं कोई गंगा नहाने जाता हो, उन सब का बोझ किसान के सर पर ही पड़ता था। ये सब चीजें अब नहीं होने पायेंगी।

मार्केटिंग सोसाइटीज से जो फायदा किसान को है वह तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि मार्केटिंग सोसायटी के साथ-साथ प्लेजिंग का भी काम होगा। मान लीजिये किसी किसान को १०० रुपये का गेहूं बेचना है जिसे वह ले आया, लेकिन वह सस्ता है, उसे अगर एक-दो महीने के बाद वह बेचे तो उसका दाम ज्यादा मिल सकता है। ऐसी सूरत में उसको इतनी ताकत आ जाय कि उसको मजबूरी न हो कि अपना गल्ला सस्ते दामों पर बेंचे। उसको ७५ रुपये पेशगी देकर गल्ला रख लिया जाय और जब भाव तेज हो उस वक्त उसे बेंचा जाय तो उसका दाम उसको ज्यादा मिलेगा। गल्ला उसी का रहेगा, जब उसे चाहेगा तब बेचेगा और जो भी दाम ज्यादा मिलेगा वह सब किसान का ही होगा। स्टेट बैंक आफ इंडिया से हम बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ५ परसेंट पर किसानों को रुपया मिल जायगा कि वह अपने गल्ले को प्लेज करके रुपया ले सकें। १०० रुपये के गल्ले को रख कर उसे ७५ रुपये मिल जाय तो कुछ दिनों के बाद उसका वह गल्ला १२० या १२५ रुपये में बिक सकता है। तो १२५ का अगर बिका तो ५० रुपये उसके और निकले। १ रुपया या आठ आना जो कुछ ब्याज का आया वह दे दिया तो ४९ या साढ़े ४९ रुपया जो भी बचा, वह उसको मिल जायगा, तो इस तरह से मार्केटिंग सोसाइटी का उसके साथ सम्बन्ध जोड़ने से यह फायदा हुआ।

अब एक उसके साथ तीसरा स्टेप यह है कि हमारा किसान जो लाता है वह सब धान २७ सेर का बिकता है। अच्छे और बुरे का हिसाब नहीं होता। सब एक ही दाम से लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। हम यह चाहते हैं कि उसका ग्रेडिंग भी हो जाय जिससे कि उसके ठीक-ठीक दाम उसको मिल सकें और प्रोसेसिंग भी हो सके, जैसे कि हमने अतर्रे में कोआपरेटिव राइस फैक्टरी खोली है जिससे कि धान वहां साफ हो जाय और अच्छा धान एक तरफ हो जाय और दूसरे और तीसरे नम्बर के जितने भी उसके ग्रेड्स हों वह अलग-अलग हो जायं और ठीक ठीक ग्रेड होने के बाद पैदा करने वाले को उनके असली दाम मिल जायं। तो ग्रेडिंग हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, इन सबके बाद यह वेयर हाउसेज की स्कीम बनी। वेयर हाउसेज की जरूरत यों तो सन् १९४५ में ऐग्रीकल्चर फाइनेंस कमेटी बनी थी उसने बतायी थी। फिर रूरल बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी ने सन् १९५० में उस पर काफी जोर दिया था और फिर रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट जो आजकल हमारे सामने एक रास्ता दिखाने वाली पुस्तक के रूप में है उसने १९५४ में इसका महत्व बतलाया।

यह वेयर हाउसिंग स्कीम इस तरह से है कि गांव के लेवेल पर गोदाम हो, फिर जो क्षेत्रीय सोसाइटियां हैं, बड़ी सोसाइटीज हैं, लार्ज साइज सोसाइटीज जो दो दो, चार चार, छः छः गांवों की हैं उनके पास भी एक गोदाम हो जिसमें वह अपना माल रख सकें। फिर मंडी के स्तर पर मार्केटिंग सोसाइटीज होंगी और उनके गोदाम होंगे। उसके बाद स्टेट लेवेल पर, राज्य स्तर पर यह वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बनाये गये हैं और उसके वेयर हाउसेज होंगे। फिर एक सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है, वह आल इंडिया लेवेल पर अपने वेयर हाउसेज बनायेगा और बड़ी-बड़ी जगहों पर हर राज्य में वह अपने वेयर हाउसेज रखेगा।

यह वेयर हाउस जो बनेंगे उनमें एक तो यह होगा कि किस तरह से उनमें सुरक्षित रखा जाय माल को जिससे कि मौसम और कीड़ों का इस तरह का कोई नुकसान उसको न होने पाये, उसके सामान को और चोरी से और आग से उसका इन्श्योरेंस हो जाये, बीमा उसका हो जाय, और उसके जरिये से सस्ते दामों पर, सस्ते ब्याज पर उसको रुपया मिल सके।

यह जो वेयर हाउसेज होंगे उनकी एक खास खूबी यह है कि मान लीजिये कि किसी एक किसान ने १०० रुपये का माल उसमें रखा। तो १०० रुपये के माल की उसको रसीद मिल गई। तो यह जो रसीद है यह निगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट है। यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को और दूसरे आदमी से तीसरे आदमी को जा सकती है और बिक सकती है। तो उसको जब जरूरत

[श्री मोहनलाल गौतम]

होगी वह अपना माल जिस तरह से बेचता था वैसे ही अपनी रसीद बेच सकता है और वह रसीद एक हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे से तीसरे हाथ को चली जायगी। इस तरह से यह बहुत सस्ते ब्याज पर सुरक्षित माल रखने के लिये और उसमें कोई दिक्कत न हो, इस खयाल से यह वेयर हाउसेज बने हैं।

यू० पी० में जो वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है वह हमने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के ऐक्ट के मातहत यहां स्थापित कर दी है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने उसका चेयरमैन एक नान-आफिशियल रखा है। शायद दूसरे किसी स्टेट में मुझे मालूम नहीं कि नान-आफिशियल है या नहीं, सेंटर में नहीं है और कई स्टेट्स के बारे में जो मैं जानता हूं उनमें नहीं है। हमने एक नान-आफिशियल चेयरमैन रखा है और उसमें इस सदन के दोनों पक्षों के लोग मेम्बर हैं। इसकी जो पेड-अप शेयर कैपिटल होगी वह ४० लाख होगी। ४० लाख में २० लाख का हिस्सा यह सरकार खरीदेगी और २० लाख का हिस्सा केन्द्रीय सरकार खरीदेगी। इसमें सिर्फ दो सरकारें हिस्सेदार होंगी, तीसरे किसी को हिस्सा खरीदने का अधिकार नहीं होगा। प्राइवेट एजेन्सी भी अपने वेयर हाउसेज बना सकती हैं और लाइसेंस ले सकती हैं और उनको भी वे सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी जिनका मैंने जिक्र किया। इन वेयर हाउसेज को ठीक-ठीक चलाने के लिये, इनका प्रबंध ठीक करने के लिये यह बिल है जो मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे यह विश्वास है कि इसमें बहुत ज्यादा मतभेद नहीं होगा। अगर कोई ऐसे सुझाव हों जो ठीक हों तो उनको मानने में एतराज नहीं है। लेकिन यह अपर हाउस में पास हो चुका है और जितने सुझाव आये उन सब पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बिल काफी अच्छा है और इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसको सदन में विचार करने के लिये रखता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ के विचारार्थ लाये गये प्रस्ताव में निम्न संशोधन पेश करता हूं—

"उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ जनमत संग्रह के हेतु दो मास तक घुमाया जाय।"

श्रीमन्, अभी जैसा मंत्री जी ने कहा इस बिल से संबंधित तो कम बातें उन्होंने कहीं ज्यादातर उन्होंने गवर्नमेन्ट की उस स्कीम के बारे में कहा जो वह लागू करना चाहते हैं। परन्तु चूंकि वह बातें सदन के सम्मुख आयी हैं अतः उनको दृष्टिकोण में रखते हुये हमें इस विधेयक पर विचार करना है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पैदा करने वालों को कीमत नहीं मिलती है और बीच के लोग कीमत ज्यादा ले लेते हैं। उन्होंने आलू का उदाहरण दिया ६ रुपया मन से २४–३० रु० मन तक बिकने का। यह बात सही है और मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने इस बात को महसूस किया जिसको इधर से सोशलिस्ट पार्टी वर्षों से कहती आ रही है। परन्तु श्रीमन्, जो उन्होंने सुझाव दिये और जो उन्होंने तरीके बताये उसके सम्बन्ध में मुझे बड़ी शंका हुई कि यह काम ठीक तरह से हो पायेगा। क्योंकि जो मूल कारण है और जिसके लिये पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार है उस बात की ओर मंत्री जी ने कोई इशारा नहीं किया।

सचमुच मंत्री जी की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के लिये जरूरी है कि वह एक प्राइस पालिसी, यानी मूल्य नीति, निर्धारित करे और जिसकी वजह से उन लोगों का जो आज उत्पादन में लगे हुये हैं शोषण न हो सके। किन्तु खेद है कि ऐसी स्कीम न तो मार्केटिंग सोसाइटी के द्वारा और न क्रेडिट लोन के द्वारा चल सकती है। श्रीमन्, जैसा मंत्री जी ने बताया कि किसानों में गल्ला या अपना उत्पादन रोकने की क्षमता बढ़े इसके लिये वह कहते हैं कि मार्केटिंग सोसायटी और क्रेडिट कमेटीज बना दी जायं जिससे उनमें क्षमता आ जाय। मैं निवेदन करूंगा कि देश के गल्ले वा उत्पादन देखते हुए और जो किसान उनको जोतता है उसमें ८६ फीसदी जोत अलाभ-कर हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है कि अपना गल्ला रोक सकेंगे और गोदामों में दे सकेंगे। अगर मंत्री जी इसका

सचमुच मंत्री जी की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के लिये जरूरी है कि वह एक प्राइस पालिसी, यानी मूल्य नीति, निर्धारित करे और जिसकी वजह से उन लोगों का जो आज उत्पादन में लगे हुये हैं शोषण न हो सके। किन्तु खेद है कि ऐसी स्कीम न तो मार्केटिंग सोसाइटी के द्वारा और न क्रेडिट लोन के द्वारा चल सकती है। श्रीमन्, जैसा मंत्री जी ने बताया कि किसानों में गल्ला या अपना उत्पादन रोकने की क्षमता बढ़े इसके लिये वह कहते हैं कि मार्केटिंग सोसायटी और क्रेडिट कमेटीज बना दी जायं जिससे उनमें क्षमता आ जाय। मैं निवेदन करूंगा कि देश के गल्ले वा उत्पादन देखते हुए और जो किसान उनको जोतता है उसमें ८६ फीसदी जोत अलाभ-कर हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है कि अपना गल्ला रोक सकेंगे और गोदामों में दे सकेंगे। अगर मंत्री जी इसका

सर्वेक्षण करेंगे तो स्पष्ट हो जायगा कि १०० किसान पीछे ३ किसान ऐसे हैं जो अपने गल्ले को रखते हैं और उसके साधन उनके पास पर्याप्त हैं। तो ऐसी अवस्था में उनकी वेयर हाउसिंग स्कीम में समझता हूं बहुत ही आवश्यक नहीं है। यह सही है कि आलू एक चीज ऐसी है, जैसा मंत्री जी ने कहा कि जिसके रखने का तरीका कोल्ड स्टोरेज से अच्छा और कोई नहीं है और उसका अन्य तरह रखने से नुकसान हो जाता है। लेकिन जिस तरह से कि यह विधेयक हमारे सामने है उसमें केवल आलू की ही बात नहीं है बल्कि यह तमाम प्रकार की कृषि की चीजों के लिये गोदामों की व्यवस्था करता है। इस सम्बन्ध में हमें केवल एक चीज को लेकर ही विचार नहीं करना है बल्कि सर्वांगीण रूप से तमाम कृषि की उपज की चीजों के सम्बन्ध में हमें सोचना है। कहां तक इस दृष्टि से यह मार्केटिंग सोसाइटीज लाभप्रद हो सकती हैं इसकी एक सीमा है। प्रश्न है कि क्या वह किसान को उसकी उपज के ठीक-ठीक दाम दिला सकती हैं? मेरी समझ में इनके द्वारा यह सम्भव नहीं होगा। उदाहरण के रूप में जब फसल पर गल्ला आता है तो हमारे ९० प्रतिशत किसानों में यह क्षमता नहीं है कि वह गल्ले को रोक सकें, ऐसी हालत में किसान की क्या सहायता यह मार्केटिंग सोसायटी कर सकती है? होता यह है कि फसल के मौके पर जो यह पूंजीपति खरीदार होते हैं वह उनका गल्ला खरीदने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाते। ऐसी हालत में यह सोसाइटी किस तरह से उन लोगों को तेज दामों पर गल्ला खरीदने के लिये विवश कर सकती है और कैसे इस चीज को रोका जा सकता है कि वह गल्ले को कम कीमत पर खरीद कर डेढ़ गुने, दुगुने और तिगुने दामों पर उपभोक्ता को न बेंचें? मैं समझता हूं इस प्रकार का विनियमन यह मार्केटिंग सोसाइटीज नहीं कर सकतीं। इसलिये मंत्री जी का यह दावा तो खत्म हो जाता है कि मार्केटिंग सोसाइटी कायम करने से, बिना किसी मूल्य नीति के निर्धारित किये ही उचित कीमत किसान को मिल सकेगी, यह सम्भव नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने कही और उसके लिये मैं मन्त्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस बात को सोचा, जिसके लिये कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया स्थापित हुआ था और रूरल क्रेडिट सर्वे के बाद सिफारिश की थी कि किसानों को काइन्ड में मीडियम टर्मलोन और लान्ग टर्मलोन दिया जाय। अब तक का जो हमारा तरीका है उसमें साल भर का लोन दिया जाता है उसको किसान अदा नहीं कर पाते और तरह-तरह की मुसीबत में वह पड़ जाते हैं। यह व्यवस्था यदि वह पहले से ही किये होते तो और भी अच्छा था, लेकिन अब भी यदि वह ऐसी व्यवस्था कर देंगे, जैसा कि वह कहते हैं कि ५–६ सप्ताह में हो जायगी तो उससे किसानों का बड़ा हित होगा। इस सम्बन्ध में वह बातें तो बाद में सामने आयेंगी कि यह प्रबन्ध किस तरह से हो। बहुत सी बातों के ठीक होते हुए भी उनके कार्यान्वित करने का तरीका गलत होता है और उस का नतीजा यह होता है कि सही लोगों को उसका लाभ नहीं पहुंच पाता। जब यह चीज लागू हो और उसके जो परिणाम होंगे वह तो सदन के सामने आयेंगे ही, लेकिन जो तीसरी बात उन्होंने कही कि इस स्कीम के मुताबिक किसान को हक होगा कि वह अपना गल्ला किसी जगह जमा कर दे और उसको उसके तीन चौथाई दाम मिल जायेंगे। यह स्कीम अच्छी है और हमारे यहां श्री लोहिया ने इस विषय में एक पुस्तक पहले ही लिखी थी जिसमें १४ सूत्री प्रोग्राम किसानों की दरिद्रता निवारण के दिये थे। क्रेडिट सर्वे में भी यह दिया है कि इसी तरह का तरीका किसानों के लिये हितकर हो सकता है।

अब यह जो गोदाम विधेयक मंत्री जी ने सदन के सम्मुख रखा है जिससे उनकी मंशा यह है कि किसान अपना गल्ला वहां लाकर रखे और इस पर ४० लाख रुपया सूबा सरकार और केन्द्रीय सरकार खर्च करेगी और यहां वेयर हाउसेज बनेंगे, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी ने सदन को इस बात से अवगत नहीं कराया कि ऐसी कौन-सी व्यवस्था बिहार, पंजाब या दूसरे सूबों में चल रही है जिसके तहत वहां के किसानों का गल्ला या दूसरी चीजें गोदामों में रखी जाती हैं, उसके क्या नियम हैं? उनका क्या किराया है यानी परिव्यय है, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि किसान को अपना सामान अलग-अलग रखने के लिये कुछ देना पड़ता है। जब किसान का गल्ला खराब हो जाता है या कोई चीज बिगड़ती है गोदाम में रखने से तो किस रूप में

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

उसे कम्पेंसेंट किया जाता है ? मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि इस बिल में जो सबसे बड़ी खराबी है वह आमतौर से इसलिये हो जाया करती है कि बिना जनता का मत जाने हुए और बिना जनता के मत की सही प्रकार जांच किये हुए यहां पर सदन में बिल लाये जाते हैं। ऐसा बिल अगर आता है तो वह अस्पष्ट रहता है, उसमें स्पष्टता नहीं आती है कि जनता क्या चाहती है।

इसी बिल को देखा जाय। इसमें धारा १८ में यह लिखा हुआ है कि--"गोदाम परिचालक निक्षेप्ता को सिकुड़ अथवा सूख जाने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी हो जाने के कारण हुई उसकी हानि अथवा नमी सोख लेने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक वृद्धि होने से उसके गुण क्षीण होने के कारण हुई उसकी हानि के बदले नियत रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा"। यह कितनी गोलमाल शब्दावली है कि "नियत रीति से अवधारित प्रतिकर" इसके लिये क्या नियम बनेंगे और किस प्रकार से निर्धारित होगा, इसमें कोई सिद्धान्त नहीं प्रतिपादित किया गया है। सिद्धान्त के अनुसार मंत्री जी किस प्रकार प्रतिकर अवधारित करेंगे ? मान लीजिये गेहूं रखा गया है, रबी है और खरीफ में गेहूं तेज होता है। अगर वह खराब हो रहा है तो किस हिसाब से दिया जायगा प्रतिकर, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन होना चाहिये। फिर अगर कोई नियम बनता तो हम समझते कि कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन कोई सिद्धान्त नहीं है तो नियम सही कैसे बन सकता है।

फिर खंड २२ में देखिये,--"गोदाम परिचालक गोदाम में माल जमा रखने के लिये ऐसे परिव्यय ले सकता है जो नियत किये जायं"। क्या पता है सरकार को कि कौन से परिव्यय ऐसे हैं जो किसानों के लिये देना कष्टप्रद हैं ? आलू के सम्बन्ध में जब मैं फरुखाबाद गया तो मालूम हुआ कि ४ रुपया प्रतिमन और उससे भी ज्यादा लोगों ने बताया कि आलू पर गोदाम में रखने का कर लेते हैं। अब, श्रीमन्, अगर स्पष्ट नीति सरकार की होती या जनमत के द्वारा यह जान लिया गया होता कि कौन-सा ऐसा तरीका है या सिद्धान्त है कि जिसके अनुसार यह परिव्यय गोदाम-संचालक लिया करे तो उससे जनता का हित होता और हमें कोई तकलीफ नहीं होती कि हम सरकार के हाथ में यह अधिकार दें, लेकिन एक वेग, अस्पष्ट नीति पर अगर सदन अपनी राय दे दे तो जैसा कि देखा गया है, जब-जब सरकार ने ऐसा अधिकार लिया तो हम उन अधिनियमों में ऐसे अधिकार देकर बाद में पछताये और बार-बार उनमें संशोधन आये। तो मेरा निवेदन तो यह था कि मंत्री जी कम से कम इस बिल को जनमत संग्रह के लिये दो महीने घुमा लेते और यह असस कर लेते कि जनता क्या चाहती है और किन सिद्धान्तों के अनुसार जब माल खराब होने लगे तो किस हिसाब से प्रतिकर देना चाहिये और गोदाम संचालक किस हिसाब से परिव्यय ले, इन बातों की निश्चित रूप से व्यवस्था और एक सिद्धान्त प्रतिपादित तभी हो सकता है जब यह बिल जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय।

दूसरी बात यह है कि आमतौर से ऐसा होता है कि ऐसी योजनाएं जो सरकार लागू करती है उनका व्यापक प्रचार नहीं हो पाता। यहां बिल बन जाता है। मन्त्री जी को किसी अधिकारी द्वारा अगर कोई नीति समझ में आयी तो उसको चालू कर देते हैं, व्यापक प्रचार जनता में नहीं होता है। इस प्रकार सरकार की बहुत सी स्कीमें बेकार पड़ी रह जाती हैं और उन पर जनता कोई कार्य नहीं कर पाती। अगर उन पर जनमत संग्रह हो जाय तो जनता समझ जायगी कि सरकार क्या करने जा रही है। जनता की इसके पक्ष या विपक्ष में जो राय होगी उसे तो देगी ही साथ ही साथ जो लोग इसके पक्ष में होंगे कि वेयर हाउसेज बनें उन्हें इस बात का पता लग जायगा कि सरकार क्या करने जा रही है और उससे लाभ उठाने के लिये वे तैयार रहेंगे। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि बहुत से विधेयक इस सदन में कभी-कभी ऐसे पास हो जाते हैं कि बहुत से सदस्य उनको अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो

इस बात को देखते हुए कि जो लोग यहां इसी लिये बैठे हुए हैं वे जब अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं तो एक ऐसे विधेयक के द्वारा जिसके बारे में जनता कुछ भी नहीं जानती है, जो जनता में घुमाया नहीं गया एक नयी नीति का प्रतिपादन कर देने से वह कहां तक लाभान्वित हो सकेगी ।

माननीय मन्त्री जी ने आलू के लिये कहा । ठीक है, आलू जल्दी सड़ने और खराब होने वाली चीज है । उसको रोकने के लिये किसान के पास उचित इन्तजाम नहीं है । अनाज के रखने के लिये यह हालत है कि सरकारी गोदामों में, जहां के लिये यह मानना चाहिये कि उनकी देखभाल करने वाले लोग एक्स्पर्ट रहे होंगे, ज्य दातर गल्ला घुन जाता है, उसमें पाई लग जाती है, सील से खराब हो जाता है । उससे अच्छी तरह तो किसान अपने घर में भूसा वगैरह में रख कर गल्ला बचा लेता है । तो यह ४० लाख रुपया सरकार अगर केवल आलू के रखने के लिये खर्च करने वाली होती तो उसके लिये एक अलग विधेयक लाना चाहिये था, तब उस पर दूसरी तरह से विचार होता । लेकिन यह खेती के उत्पादन सम्बन्धी है तो मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह विषय काफी सन्देहास्पद है कि यह सरकार इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी किसान को लाभ पहुंचा सकेगी । वही हालत होगी जैसे केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में दूर एक जगह बहुत से क्वार्टर्स बनवाये लेकिन उस जगह बाजार नहीं बनवाया, जिसके कारण लोगों को अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिये बहुत दूर जाना पड़ता था । नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उस स्थान को छोड़ दिया जिसके कारण उसका उतना उपयोग नहीं हो सका जितना होना चाहिये था । तो ऐसी योजना जिसका तारतम्य न हो परस्पर सब चीजों से और उसके सर्वांगीण रूप को सोचा विचारा न गया हो इससे बड़ी परेशानी यह हो सकती है कि जनता उसका लाभ न उठा सके और साथ ही साथ प्रदेश का रुपया बरबाद हो जाय ।

एक बात और है । सरकार ने यह नहीं बताया कि कितना गल्ला उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो वेयर हाउसेज में रखा जा सकता है । मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट पर जो केन्द्रीय सरकार ने एक अधिनियम बनाया है उसी की तहत में यह अधिनियम बनाया जा रहा है । तो उस केन्द्रीय सरकार के अधिनियम को सदन के मेज पर नहीं रखा गया । अगर वह अधिनियम हम को मिल जाता तो हमको मालूम हो जाता कि उन्होंने किन कारणों से प्रेरित हो कर वह अधिनियम बनाया था और उत्तर प्रदेश की सरकार को कहां तक उचित है कि वह यह अधिनियम बनाये ।

दूसरी बात यह कि ये आंकड़े अभी तक मौजूद नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पैदावार होती है और इसमें से कितनी किसानों के पास रखने के लिये बच रहती है और कितनी अल्पकाल में बेंच दी जाती है ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की उस नीति के संबंध में अपने विचार प्रकट कर रहा था जो सरकार ने गोदाम विधेयक को प्रस्तुत करते समय प्रकट की है । श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सरकार ने आज तक हिसाब नहीं लगाया । श्रीमन्, बड़े अफसोस का बात है कि माननीय मंत्री जी जिनके सामने संशोधन पेश करते हैं वह गायब हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--उनके सभा सचिव मौजूद हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--अगर वे आगे कुर्सी पर आ जाते तो हमें पता लग जाता । श्रीमन्, हमने यह कहा था कि इस बिल के बनाते समय सरकार के पास वह आधार उपस्थित जरूर रहे होंगे कि कितना गल्ला उत्तर प्रदेश के गोदामों में भरा जा सकता है, कितना आलू

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

गोदामों में आ सकता है यानी ऐसा गल्ला या आलू जो कृषि के उत्पादन में सरप्लस है वह कितना मात्रा में है, उसका जिक्र मंत्री जी ने नहीं किया ।

मैं अपनी एक कठिनाई और पाता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह भी नहीं बतलाया कि कितने प्रतिशत लोग और किस श्रेणी के लोग हैं जो अपना गल्ला या आलू जैसी अन्य चीजें गोदामों में रखते हैं या रख सकते हैं । इसलिये, श्रीमन्, बिना इसकी जानकारी हुये कि कितने प्रतिशत लोगों के लिये यह कानून बन रहा है और कितने किसान इससे लाभ उठा पायेंगे, इस पर राय देना मुश्किल है । इसलिये मैं समझता हूं कि इसको जनमत संग्रह के लिये भेज दिया जाय और जनमत प्राप्त हो जाय तब इस पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, एक बात और माननीय मंत्री जी ने यह कही कि वह इस बात के लिये आतुर हैं कि किसानों को सही कीमत मिले और किसान के घर से गल्ला न जाय । इस विधेयक को देखने के बाद हमें ऐसा विधान प्राप्त नहीं हुआ जिससे हम समझ पाते कि उसके आने से किसान के घर से गल्ला नहीं जायगा । इसमें यह है कि जो किसान गल्ला या आलू रखना चाहेगा, वह रख सकता है और उसके बदले में उसे कुछ पैसे देने होंगे जो निर्धारित नहीं है । इसमें ऐसा कोई विधान देखने को नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि किसान के घर से गल्ला नहीं जायगा और कितने किसानों का गल्ला सुरक्षित हो सकेगा और वह फसल पर खरीदने वाले का इच्छा पर बेचने का मजबूर नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं रखी है, यद्यपि उन्होंने कहा है लेकिन जो उन्होंने कहा है और इस विधेयक में है उसमें कोई साम्य दिखाई नहीं पड़ता है इसलिये हम समझते हैं कि सरकार के दिमाग में बात अस्पष्ट है । अगर जनमत आ जायगा तो वह बात स्पष्ट हो जायगी । इसलिये हम मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जो अस्पष्टता उनके मस्तिष्क में है वह सदन के मस्तिष्क में भी रह जायगी, क्योंकि जब मंत्री जी के दिमाग में ही बात स्पष्ट नहीं है तो सदन समझेगा क्या ? इसलिये हम समझते हैं कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय ।

एक बात उन्होंने यह कही कि वह यह चाहते हैं कि ५-६ रुपये मन जो आलू की कीमत ज्यादा चली जाती है और इसी प्रकार से गल्ले का कीमत जो ज्यादा चला जाता है उसको रोकने के लिये इस विधेयक में प्रबन्ध किया गया है । विधेयक में अगर यह बात होता और इसमें कोई विधायन करते तो हम पूरे दिल से इसका समर्थन करते । लेकिन जब मैंने विधेयक को देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें ऐसा कोई बात नहीं है । वह अपना पालिसी चलाना चाहते हैं, वह पालिसी किस रूप में आता है उसे बाद में देखा जायगा । लेकिन उन्होंने विषयान्तर के रूप में उसे वर्णन कर दिया । लिहाजा उसके आधार पर भी हम इस विधेयक पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि वही विधेयक प्रवर समिति में जाने के योग्य होता है जिसके सिद्धांत साफ हों, जिसका केवल कुछ धाराएं विवादास्पद हों । प्रवर समिति में भेजने का यह एक सिद्धांत है । इस विधेयक में, किसान को कितना मूल्य मिलेगा, जब वह फसल काट कर जमा करेगा उस समय का कीमत मिलेगी, या जब उसने क्षीणता आने लगेगी उस वक्त का कीमत मिलेगी या आगे फसल के अन्त में जब सबसे ज्यादा तेजी आता है उस वक्त का कीमत मिलेगा, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है ।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक कह दूं कि जब तक सिद्धांत का प्रतिपादन न हो, तो नियम तो किसी सिद्धांत का निश्चित करके लगाये जा सकते हैं लेकिन जब सिद्धांत ही गायब है तो आगे प्रश्न ही क्या पैदा होता है ? ४-५ रुपये मन के हिसाब से व्यक्तिगत कोल्ड स्टोरेज वाले ले रहे हैं । ५-६ रुपये मन आलू बिके और ४-५ रुपये कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिये लगें तो किस प्रकार किसान दे सकता है ? एक तो बहुत थोड़े से किसान हैं जो रख सकते हैं आलू । सरकारी लगान और सरकारी टैक्सों को जमा करने के बाद २-४ प्रतिशत किसान जो हैं अगर वह रखें तो किस मुनाफे पर रखें या किस नियम के अनुसार यह तय किया

जाय कि गोदाम परिचालक को कितने चार्जेज देने चाहिये, आया वह चार्जेज कोल्ड स्टोरेज के बनाने में जो खर्चा पड़ेगा, उसमें जो बरफ या रेफ्रीजरेटर का इंतजाम करने में लगे उससे कितना ज्यादा होगा, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन इस विधेयक में नहीं है। इसलिये मैं बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब तक सिद्धात पहले से स्पष्ट न हो जाय इस प्रकार के अस्पष्ट सिद्धांतों से पूर्ण विधेयक पर इस समय विचार करने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

श्रीमन्, सरकार ने इन तमाम बातों पर सफाई न देकर, लोकसभा में बनाये गये अधिनियम को न रख कर, और आज उसकी इतनी आवश्यकता क्यों आ गयी इसके लिये कोई बात न बता कर, कितने प्रतिशत उत्पादक अपने गल्ले को गोदाम में रखना चाहते हैं सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, इन तमाम बातों को जब तक न बताया जाय तब तक मैं यह समझता हूं कि माननीय सदन इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं होगा। इन तमाम बातों की सफाई होने के लिये लोगों में इस बात का प्रचार होने के लिये कि सरकार इस प्रकार का विधेयक ला रही है और उसने सिद्धांत निश्चित करने के लिये यह जरूरी है कि इसको जनमत संग्रह करने के लिये घुमाया जाय। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इतने जल्दी न करें। जो विधेयक आये सर्वांगपूर्ण आये और जनता की राय से आये। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक बिचार करें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक में, जो प्रस्ताव श्री ब्रजनारायण जी के नाम है, उसको पेश करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सिपुर्द किया जाय और उसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो तथा अपनी रिपोर्ट ४५ दिन के भीतर प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विधेयक है जो इस सदन में बिलकुल अनावश्यक लाया गया है। इसकी कोई भी आवश्यकता इस समय प्रदेश को नहीं थी, क्योंकि इस विधेयक के संबंध में जो उद्देश्य और कारण इसमें लिखे गये हैं वह बिलकुल साफ नहीं हैं....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें लिखा है कि दोनों सदनों की प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। तो विधान परिषद् से तो यह पारित हो चुका है। इस लिये दोनों सदनों का नाम रखना क्या सही है ?

श्री उपाध्यक्ष--अगर यह सदन इसको पास कर देता है तो उनसे प्रार्थना की जायगी कि वह इस पर विचार करें और तब संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की जा सकती है।

श्री शिवप्रसाद नागर--तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विधेयक लाया गया है कि जिस विधेयक की न तो प्रदेश के किसी कोने से मांग थी, न किसी पार्टी ने मांग की थी और न किसी दल ने मांग की थीं। एक उपज माननीय मंत्री जी के दिमाग में उठी और उन्होंने यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत कर दिया। ऐसा मालूम होता है कि इसके कारण और उद्देश्यों में जो लिखा गया है वह तो कुछ और है और इसके अन्दर कुछ और है। ऐसा मालूम होता है कि एक नया मुहकमा कायम करना है सिर्फ इसलिये कि कुछ लोगों को, जो किसी समय सरकार को आबलाइज कर चुके हैं, उनको किसी प्रकार से रोजी-पानी देना है। यह विधेयक पास करके कुछ ऐसे लोगों को उसमें लगा दिया जायगा ताकि वह समय पर फिर काम आ सकें। इसके अलावा और कोई उद्देश्य इसका प्रतीत नहीं होता है।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जहां पर यह लिखा हुआ है कि "सहकारिता के सिद्धान्तों पर कृषि की उपज की उन्नति करने" तो कृषि क उपज में सब से पहला सवाल यह है कि कृषि की कितनी उपज बढ़ी है। मैं यह समझता हूं कि कृषि की उपज में उन्नति नहीं हुई है। केवल

[श्री शिवप्रसाद नागर]

गोदाम विधेयक पास करके गोदामों के ऊपर अधिकार करने से हमारे प्रदेश का कोई भी लाभ प्रतीत नहीं होता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक इस सदन में बिलकुल व्यर्थ लाया गया है और अकारण ही लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें यह लिखा गया है कि "रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये", तो इस समय तक हमारे इस सम्मानित सदन के सामने इस रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट को कभी प्रस्तुत नहीं किया गया और न उसकी सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया। न अभी तक वह रिपोर्ट इस सदन के सामने आई कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह इस सेक्रेटरियेट के कार्यालय के किसी कोने में पड़ी हो किन्तु इस सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत नहीं की गई। हम नहीं कह सकते हैं कि रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की सिफारिशें क्या हैं और यह सदन क्या चाहता है। यह विधेयक यहां पर इस तरह से लाया गया है जिस तरह से कोई अन्धेरे में तीर मारा गया हो और उसका कोई निशाना नहीं साधा गया हो। इस विधेयक का कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ खामख्वाह एक ऐसे अधिकार को प्राप्त करने के लिये लाया गया है जो कि किसी तरह से उचित नहीं है। जिन लोगों ने भवनों को अपने आराम और सुख के लिये बनाया है और अपने रहने के लिये बनाया है उन पर कब्जा करने के लिये यह विधयक लाया गया है और उनके ऊपर के अधिकरण प्राप्त करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। अंग्रेजी जमाने में प्रोक्योरमेंट का जब बड़े जोर का आन्दोलन चला था १९४२-४३ के बाद, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के एक-एक जिले में खत्तियां बनवायी गयी थीं और उनमें लाखों रुपया लगा था। कहीं-कहीं, किसी-किसी जिले में खत्तियों के निर्माण में करीब करीब १,००,००,००० रुपया लगा है। हमारे लखीमपुर जिले में स्टेशन के सामने करीब ४०० खत्तियां बनी हैं जिनके बनाने में सीमेंट, लोहा और मोरंग लगा है और जिनके अन्दर ४,००० मन गल्ला इकट्ठा हो जाता है। क्या जरूरत है इस गोदाम विधेयक को वहां लागू करने की? क्या जरूरत है इसको उन जिलों में लागू करने को जहां बहुत सी बड़ी बड़ी खत्तियों का निर्माण हो चुका है? जब वह बनी हुई हैं तो क्यों नहीं उनका उपयोग किया जा रहा है? क्यों उनको गर्त में डाल दिया गया है?

मैं सीतापुर की बात कहना चाहता हूं। सीतापुर में जो खत्तियां बनायी गयी थीं उनमें राज्य का लाखों रुपया लगा था और बीच मार्केट में पड़ाव पर वह खत्तियां बनी थीं। परन्तु हुआ क्या? मैं आपके द्वारा इस बात को साफ करने की आज्ञा चाहता हूं कि उस समय जो यहां के अन्न मंत्री थे, उनके एक रिश्तेदार ने दरख्वास्त दी कि यह गोदाम उनको दे दिये जायं और वह खत्तियां उनको दे दी गयीं। मैं नहीं जानता कि उनकी जितना लागत थी वह भी राज्य सरकार के कोष में आयी या नहीं, लेकिन वह बेच दी गयीं। आज भी सीतापुर में पड़ाव पर की वह खत्तियां एक प्राइवेट आदमी के कब्जे में हैं और उनके सरकारी कार्य में इस्तेमाल होने की नौबत नहीं आयेगी। उन पर बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इस तरह से वह हमारे राज्य कार्य से निकल जायंगी। इस प्रकार की इमारतें राज्य के पैसे से बनायी जायं, उनमें राज्य का लाखों रुपया लगे और कौड़ियों में वह रिश्तेदारों को दे दी जायं और उसके बाद एक विधेयक लाया जाय कि हम इसके द्वारा गोदामों पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, यह लज्जा की बात है इसके सिवाय मैं और कुछ कहना नहीं चाहता।

एक बात और कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। बात तो ऐसी है कि कहनी नहीं चाहिये, मगर इस समय जबान पर आ गयी है इसलिये आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। एक कुम्हार अपने दरवाजे पर दुधड़ियां बना कर रखता चला जा रहा था। किसी ने पूछा कि भाई इतनी दुधड़ियों का क्या करोगे? उसने जवाब दिया कि इनमें भैंस का दूध रखेंगे। उसने पूछा कि भैंस कहां है? जवाब मिला कि भैंस आयेगी तो दूध होगा। उस समय के लिये यह दुधड़ियां तैयार कर रहे हैं। तो भैंस नहीं है, दूध और मट्ठे का नाम नहीं है, लेकिन दुधड़ियां

तैयार करते चले जा रहे हैं। कृषि उत्पादन घटता चला जा रहा है, उत्पादन बढ़ाने के साधन बढ़ाये नहीं जाते, उसको कोई देखने वाला नहीं, बड़े बड़े कृषि इंसपेक्टर और डाइरेक्टर, बड़े-बड़े एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ अपने अपने दफ्तरों में बैठ कर कागज जोत रहे हैं कलम से, हम किसान हल जोत रहे हैं जमीन पर। कभी भी बाहर निकल कर उन्होंने हमको बताया नहीं कि उपज किस तरह से बढ़ेगी। केवल गोदाम बढ़ाने की बात यहां है, उपज बढ़ाने की नहीं।

आज हमारे सामने विषम परिस्थिति है। हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, तमाम केमिकल मैन्योर हैं तमाम नेचुरल मैन्योर हैं, तरह-तरह की खादें हैं, पानी भी है, कुछ स्थानों पर मान भी लीजिये कि नहीं है, लेकिन जहां है वहां पर भी, उपाध्यक्ष महोदय, उपज बढ़ी नहीं है, न बढ़ रही है। वहां भी दिन प्रति दिन उपज घटती जाती है लेकिन दूसरी तरफ गल्ला रखने के लिये गोदाम विधेयक लाया गया है। तो इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने मन को देख कर नहीं, बल्कि जनता की आवश्यकता और उसके मन को देख कर विधेयक लायें, और इसलिये इस बात को देखते हुए यह विधेयक जनमत के लिये घुमाया जाय। अगर यह बात मंजूर न हो तो दोनों सदनों की एक प्रवर समिति में भेजा जाय और अगर यह भी मंजूर न हो तो इसी सदन की प्रवर समिति को ही भेजा जाय। कम से कम किसी से राय भी तो ली जाय कि आया इसकी आवश्यकता है भी या नहीं। एक अनावश्यक विधेयक ला कर सदन का समय और राज्यकोष का पैसा नष्ट करना यह जनतंत्र और जनहित में नहीं होगा। बस इतना ही मुझे कहना है।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन रखता हूं कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ भेजा जावे जो अपनी रिपोर्ट एक मास के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में सन् १९५२ से पहले किसानों को जमीदार भी लूटा करते थे जो मिडिलमैन थे। उस व्यवस्था को जमीदार विनाश कानून से समाप्त किया गया और किसान का सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया। जो मुनाफा जमीदार खाया करता था वह आज सीधा सरकार लेती है। उसमें किसान को कोई छूट नहीं मिली। कहा जाता था कि किसान को राहत मिलेगी और लगान में भी कुछ सहूलियत होगी। आज बतलाया जाता है कि किसान का माल व्यापारी लोग सस्ता लेकर उससे कई गुने में बेचते हैं। उपभोक्ता के पास कई गुनी कीमत में वह पहुंचता है। उस व्यापारी वर्ग को खत्म करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। यह सच है कि किसान जब बाजार में अपना माल बेचने के लिये जाता है तो उसे यह पता नहीं रहता है कि किस भाव से उसका माल बिका, किसने खरीदा और कौन उसका सौदा कर रहा है? उसे यह भी नहीं मालूम कि गऊशाला, धर्मशाला और प्याऊवाले का कितना उससे काटा जाता है? हां, यह सच है कि अगर इस विधेयक की सुविधा काश्तकार को मिल गई और इसे ठीक से कार्यान्वित किया गया तो उसे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इसमें सन्देह है कि यह हो सकेगा या नहीं। हम देखते हैं कि व्यापारी भी इन गोदामों में अपना माल रख सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे फिर से देखा जाय। हमारी कोआपरेटिव सोसाइटियां काश्तकारों से सहयोग नहीं लेना चाहती हैं और न उसे देना ही चाहती हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज जैसे केन सोसाइटी गन्ना उत्पादक को खड़ी फसल पर कर्जा देती हैं, तो क्या यह सुविधा उन काश्तकारों को भी दी जायगी जिनकी अनाज वगैरह की फसल खेत में खड़ी है? ७५ फीसदी की सुविधा का प्रबन्ध इसमें भी हो तो अच्छा है। ५ रुपये सैकड़ा का सूद जो उसमें लिया जाता है वह बहुत अधिक है, इसे कम करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह]

हम देखते हैं कि गन्ना उत्पादक के लिये पहले ही से कीमत निर्धारित है। इसलिये गेहूं पैदा करने वाला काश्तकार भी गन्ना और तिलहन पैदा करने में जुटा हुआ है। यदि गेहूं, जौ, मटर इत्यादि की हम पहले ही से कीमत निर्धारित कर दें तो काश्तकार उन्हें उगावेगा और अन्न की समस्या हल हो जायगी।

गोदाम तो खोले जा रहे हैं लेकिन कहां ? मंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक गांव में होगा, ४, ५ गांव से ऊपर एक केन्द्र हो।, मंडियों में होगा, राज्य सरकार के और केन्द्रीय सरकार के भी होंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट की सुविधा काश्तकार को नहीं दी गई है। बहुत से काश्तकारों के पास बैल नहीं है। कहीं-कहीं दो काश्तकार मिल जाते हैं और खेती करते हैं, क्योंकि एक के पास बैल होता है और दूसरे के पास नहीं होता। ऐसी सूरत में जिन काश्तकारों के पास बैल नहीं हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा देनी चाहिये। साथ ही साथ ऐसा नहीं होना चाहिये कि गोदाम के ऊपर काश्तकार तमाम दोपहरी भर अपना माल लिये रहे और फिर कह दिया जाय कि तेरा माल आज नहीं लिया जायगा। मैं चाहूंगा कि बारदाने की, बोरों की, सुविधा भी काश्तकारों को दी जाय।

जिनका माल गोदाम में रखा हुआ है उन्हें सूचना देने के लिये इस विधेयक में लिखा है कि जब कभी भी गोदाम में जमा किया गया माल गोदाम परिचालक के वश के बाहर के कारणों से क्षीण होने लगे अथवा उसके क्षीण होने की संभावना हो तो वह तुरन्त निक्षेप्ता को इस आशय का नोटिस देगा। इसमें "तुरन्त" लिखा है। इसे साफ करना चाहिये कि इतने दिन के भीतर होगा। हो सकता है कि नोटिस वापिस आ जाय, इसलिये पूरा पता भी होना चाहिये। अगर नोटिस समय पर नहीं पहुंचता है तो किसान का सारा का सारा माल नीलाम हो जायगा और उसे खबर भी नहीं मिलेगी। यह भी सुविधा होनी चाहिये कि नीलाम किये हुये माल को रुपया देकर वह वापस ले सके।

रेट्स भी निश्चित होने चाहिये। कोल्ड स्टोरेज में आलू तीन रुपये से लेकर पांच रुपये मन तक रखा जाता है। इसलिये रेट्स काश्तकार को पहले ही से मालूम होने चाहियें जिससे हर किसान उसका फायदा उठा सके। ग्रेडेशन का भी अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। इसमें बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है जिससे काश्तकार को पूरा मुनाफा मिल सके। इसमें और अधिक कड़ाई होनी चाहिये। जितनी भी परिभाषा हैं और जो प्रेस्क्राइड रूल्स होने जा रहे हैं उनको भी मंत्री जी पहले से हाउस के समाने रख देते तो उन पर भी विचार हो जाता।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, इसलिये कि मैं बहुत दिनों से यह सोच रहा था कि कोई ऐसा बिल इस सदन के सामने लाया जाय जो किसानों के बहुत ज्यादा लाभ का हो। अभी हमने देखा कि बुवाई के जमाने में, रबी की फसल के लिये गल्ला लेने को बहुत दूर-दूर जाना पड़ा। तहसीलों और बीज गोदामों में जाने पर बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। वहां पहुंचने के लिये दो-चार रुपया भी किराये का दे देना पड़ता था। मंत्री महोदय, को मैं उनके इस विचार और सुझाव के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह उनके हित के लिये आज इस तरह का बिल लाये। मैं तो यह भी चाहता हूं कि उसका प्रसार हर अदालत क्षेत्र में कर दिया जाय जिनमें १०५ आस-पास के गांवों के किसान आकर सुविधापूर्वक अपना गल्ला रख सकें और ले जा सकें। अगर हो सके तो उनके लिये वहां भोजन को व्यवस्था भी की जाय।

मैं अपने माननीय साथियों से यह अपील करना चाहता हूं कि उनकी यही मंशा नहीं होनी चाहिये कि चाहे जैसा बिल हो उसका विरोध ही किया जाय। यह जो बिल आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया है, गांवों वाले किसानों के लिये है, उसका भी वे विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि दो महीने वह प्रवर समिति में और चार महीने संयुक्त प्रवर समिति में अटका रहे ।

अभी रबी की फसल के लिये हमारे क्षेत्र में किसान ९ मील गये और लौट कर आये लेकिन गल्ला न मिला और इस प्रकार से बुवाई में १५ दिन की देरी हो गयी । नतीजा यह हुआ कि किसानों का गल्ला जो होने वाला होता उसमें रुपये में दो आने भी नहीं हुआ। यह बात बीज गोदामों के दूर हो जाने से हुई । पहले तो यह सोचा गया कि बीज गोदाम रखा कहां जाय। किसी प्रकार से एक साहब तैयार हुए और उनके मकान में रखा गया । तो इस प्रकार की परेशानियां होती हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । माननीय सदस्य जो व्याख्या कर रहे हैं उससे मालूम होता है कि वह गोदामों का अर्थ बीज गोदाम समझ रहे हैं। मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि वे बीज गोदाम पर बोल रहे हैं या गोदामों पर ?

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—मैंने जो कुछ कहा है वह समझ कर ही कहा है। गोदामों में बीज गोदाम भी हो सकते हैं और दूसरे गोदाम भी हो सकते हैं। मैं यह सुझाव दे रहा था कि प्रत्येक अदालती क्षेत्र में इस तरह का गोदाम होने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि यह किसानों के हित का बिल है, इसका वे विरोध न करें। आज बहुत सी जगहों पर गल्ला जमा है अगर कसी तरह से भी गवर्नमेंट किसी मकान को कंट्रोल कर के वहां गल्ला इकट्ठा करती है, चाहे किसी रूप में भी इकट्ठा करे तो उसमें आपका भी हित है, जनता का भी हित है, किसानों, गरीबों और मजदूरों का भी हित है। जो बिल यहां आया है अगर वह दो-चार महीने इसी तरह से उधर से इधर घूमता फिरे तो उससे इस प्रदेश का कोई लाभ नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बिल सदन के सामने पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और जो इसमें संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :

> "उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे ।"

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक के मूल आधार सिद्धान्त का सम्बन्ध है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे सदन में एक ऐसा विधेयक लाये जिसकी आवश्यकता थी और जिसके लिये समय की मांग थी।

अपने किसानों के लिये क्रेडिट फैसिलिटीज, ऋण की सुविधा देने का विषय आज से नहीं बल्कि बहुत समय से हमारे प्रदेश के शुभचिन्तकों के विचारणीय रहा है। सन् १९५१ में रूरल बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी ने इस पर विचार किया, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने इस विषय में अपना कार्य सन् १९५४ में समाप्त किया। इसने भी बड़े विस्तार पूर्वक इस समस्या का अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें दीं जो कि हमारे सामने हैं ।

श्रीमन्, इस बिल के उद्देश्य के विषय में मैं यह समझता हूं कि दो रायें नहीं हो सकतीं, न इस उद्देश्य से असहमति का कोई प्रश्न हो सकता है कि जो हमारी ग्रामीण जनता है और जो वास्तव में हमारे देश की बैक बोन है और भारत की आत्मा है उसके लिये सुविधायें पहुंचायी जायं और क्रेडिट फैसिलिटीज के लिये जो भी प्रबन्ध हो सकता है वह किया जाय। अभी मेरे एक मित्र जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ऐसी शिकायत की कि जब कोई ऐसा बिल आवे जिसमें ग्रामीण जनता के हित की बात हो तो उस समय उसके विरुद्ध कोई बात कही जाय या प्रवर समिति की बात कही जाय तो अनुचित है। श्रीमन्, मैं उनकी इस बात से सहमत

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

नहीं हूं। मैं तो यह समझता हूं कि इस ध्येय को सामने रखते हुए ही कि ग्रामीण जनता के हित का प्रश्न हमारे सामने है इस बिल को हम ऐसा बना सकें कि जिस उद्देश्य के लिये यह लाया गया है वह और भी अधिक मात्रा में पूरा हो सके। साधारणतया, श्रीमन्, जब यह अवसर हुआ तब मैंने, प्रवर समिति में जाने के लिये बिलों का विरोध ही किया है। क्योंकि मैं समझता हूं कि केवल वही बिल प्रवर समिति में जाना चाहिये जिसमें परिमार्जन की आवश्यकता हो और गुंजायश हो। आज इस विधेयक के सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष है कि यह बिल पहली बार हमारे सामने आया है, ऐसे दो तीन कमेटीज की सिफारिशें हमारे सामने हैं लेकिन और कोई अनुभव हमारे सामने नहीं है। अतः यह उचित है कि वह एक प्रवर समिति के सुपुर्द हो जाय और एक शान्त वातावरण में सभी दल के लोग बैठ कर उस बारे में विचार कर लें तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसमें कुछ न कुछ परिमार्जन हो सकता है और उसकी उपयोगिता और बढ़ जायगी और जिस उद्देश्य को सामने रखकर इसको लाया गया है वह और भी पूरा हो सकेगा।

श्रीमन्, कोआपरेटिव सोसाइटीज जो हैं आज एक तरह से हमारे भावी भारत के आर्थिक ढांचे की रीढ़ है और आधार है। उसमें हमने देखा है कि हमारी इच्छा रहते हुये भी प्रदेशीय सरकार के भरसक प्रयत्न के रहते हुए हम वह आस्था नहीं पैदा कर सके जो वास्तव में देश की उन्नति के लिये आवश्यक थी। आज कोआपरेटिव सोसाइटीज जो भावी भारतीय आर्थिक ढांचे की शिलाधार होने जा रही है उनमें जड़ मे करप्शन है, जड़ में उनके जानकारी न होने की वजह से जो ग्रामीण जनता है या जो बे पढ़े लिखे लोग हैं वह उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। इतनी पेचीदगियां एक सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन कराने में आती हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग तो क्या पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वह भी चक्कर खाते हैं और मोहताज रहते हैं उन आफिशल्स के जिनको उन्हें नीचे के स्तर पर डील करना पड़ता है।

तो आज जब हम ऐसा विधेयक लायें जिसके द्वारा जो एग्जिस्टिंग ट्रेड चैनल्स हैं उनसे मोड़ खाकर हम दूसरे चैनल्स पैदा कर रहे हों, दूसरे तरीके से एक व्यवस्था कर रहे हों तब सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम उसको इतना सरल और सुगम बनायें और इस बात का ध्यान रखें कि उनके कार्यान्वित करने में, उनके रोजमर्रा के अमल में ऐसी कठिनाइयां न हों कि कहीं शुरू से ही करप्शन फिर इस तरफ भी जड़ पकड़ने लगे। मैं तो समझता हूं कि इसमें एक हफ्ते नहीं, दो हफ्त नहीं, एक महीने, दो महीने की भी देर लगे तो भी उससे कोई अहित नहीं होगा क्योंकि जब हम उद्देश्य को मानते हैं, प्रवर समिति में किसी बिल को भेजते हैं तो प्रत्यक्ष है कि हम उसके सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल इच्छा यह है कि उसमें और परिमार्जन करना चाहते हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि यह बिल जब अन्तिम रूप में आवे तब उसमें ऐसी गुंजाइश न हो जिसका दुरुपयोग शुरू के स्टेज में हो सके और, श्रीमन्, मेरा विचार है कि यदि इस नये प्रयास के आरम्भ में कुछ ऐसी खामियां रह गईं जिनसे भ्रष्टाचार के दरवाजे के खुलने की गुंजाइश हुई या जिसमें लोग पूरा उसका फायदा न उठा पाये तब इस नयी दिशा की तरफ चलने के लिये लोग तैयार न होंगे और जो फायदा हम ग्रामीण जनता को इस विधेयक के द्वारा देना चाहते हैं वह उन्हें न मिल पायेगा।

इसलिये श्रीमन्, यह आवश्यक है कि यह बिल एक प्रवर समिति को भेजा जाय और प्रवर समिति मैंने, श्रीमन्, जानबूझ कर रखा है, संयुक्त प्रवर समिति नहीं रखा है। वह इसलिए कि जैसा श्रीमन् को ज्ञात होगा यह बिल कौंसिल द्वारा पास हो चुका। कौंसिल द्वारा पास हो जाने के बाद इस सदन की समिति में ही इस पर विचार होना ज्यादा उचित होगा। यदि इसके बाद इसमें इस सदन ने कोई संशोधन किया तब वह फिर कौंसिल को जायगा। इसलिए मैंने केवल प्रवर समिति की मांग की है और दो सप्ताह का समय रखा है। दो सप्ताह का समय इतना थोड़ा समय है कि यह आशंका नहीं की जा सकती कि दो सप्ताह की देर होने से कोई बहुत बिलम्ब होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी यह कृपा करें कि इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें, इस बात को जानते हुए कि हम सभी

लोग इसके उद्देश्य से सहमत हैं। अब तक मैंने जितने भी भाषण सुने उनसे मैं यही समझ सका कि किसी भी माननीय सदस्य ने इसके उद्देश्यों से असहमति नही प्र कट की। सभी ने उसका स्वागत किया है और हृदय से स्वागत किया है। केवल यही इच्छा है कि जिस उद्देश्य के लिये यह पारित किया जा रहा है उसकी पूर्ति हो सके, ऐसा न हो कि उस उद्देश्य को धक्का लगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन कुछ शब्दों को बदलते हुए इस प्रकार प्रस्तुत करता हूं—

'सदन यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष एक महीने के भीतर प्रस्तुत करे।'

श्रीमन्, माननीय अग्रवाल जी के संशोधन के बाद मैं इसे शायद पेश न करता और उन्हीं का समर्थन करता अगर अग्रवाल जी दो हफ्ते में अपने को महदूद न कर देते। क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि अगर यह बिल इतने वर्षों जहां रुक गया, दो महीने और रुक जाय तो कोई उतावली नहीं होनी चाहिये। दो हफ्ते के अन्दर इसके साथ पूरा न्याय न कर पायेंगे, सेलेक्ट कमेटी में जब कि इतना बड़ा एजन्डा आ रहा है, एक तरफ नगर निगम विधेयक है और नो कांफीडेंस मोशन भी है, सब की यही कोशिश हो रही है कि सारी ताकत उसी में लगा दी जाय तो दो हफ्ते के भीतर ठंडे दिमाग से सोचा नहीं जा सकता। इसलिये जब ठंडा वातावरण हो जाय तब इस बिल पर सोचा जाय। मगर तब तक १४ दिन की मियाद निकल जायगी इस बिल को लाने के मंत्री जी के, मुझे यह कहने में जरा भी झिझक नहीं है, उद्देश्य और कारण बहुत अच्छे हैं, माननीय नागर जी को शायद कुछ बुरा लगे मेरे कहने पर कि मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता हूं....

श्री शिवप्रसाद नागर—उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्दसिंह जी को, मेरे भाषण से जो सरकार पर घाव लगे हैं, उन पर मरहम लगाने की पूरी छूट है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मरहम लगाने की बात नहीं है। सरकार जो ठीक काम करती है अगर हम उसका समर्थन नहीं करेंगे तो अच्छे और बुरे कामों में फर्क नहीं रह जायगा और इसका असर भी खराब होगा। जनता समझेगी कि महज नुक्ताचीनी के लिये अपोजीशन यहां पर है और कोई Positive बात नहीं कर सकता है। "मुंडे मुंडे मते मतिर्भिन्ना।" मैं कह रहा था कि मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा बिल पेश किया है। मुझे यकीन है कि इसमें उनकी यह कोशिश है कि जितना फायदा किसान को हो सके वह हो और जब कोई ऐसा काम होता है तो मैं तो इधर के बैठने वालों से कहूंगा कि ऐसे काम का स्वागत करना चाहिये।

जो चीज हम चाहते थे वह उधर से आयी है और उसमें भी हम कंजूसी दिखायें तो अच्छी बात न होगी। यह बिल जो पहली मर्तबा में इतना अच्छा बना है वह इसलिये कि नैनीताल की ठंडी हवा में अच्छा काम हो सकता है। नैनीताल जाने का जो विरोध करते हैं वे गलत हैं। वहां पर अच्छी-अच्छी चीजें बन सकती हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा और उनकी तवज्जह दिलाऊंगा कि अगली बार जब नैनीताल जाने की बात उठे, क्योंकि वह भी प्रदेश का भाग है, उसमें वे अपनी ताकत लगायें। मंत्री जी ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण योजना का अंग है जिसके मुताबिक पूरी कीमत पैदा करने वाले को मिल सके। किसान में माल रोकने की ताकत हो। जैसा उन्होंने कहा था कि किसान बहुत सस्ते बेच देता है, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज है, लगान है, मालगुजारी है, तकावी है और उसको सरकार के बढ़े हुए टैक्स भी देने पड़ते हैं जिनके

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

कारण चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उसकी ताकत को बढ़ाने का प्रयास है इसके द्वारा। लेकिन मैं अर्ज करूं कि कहा जरूर जाता है कि यह काम किसान के फायदे के लिये किया जा रहा है लेकिन दरअस्ल उसको फायदा पहुंचता नहीं है। पहली योजना बनी, दूसरी चल रही है लेकिन किसान की हालत मंत्री जी मानेंगे कि सुधरी नहीं। क्योंकि हमारी योजनाओं का कुछ ऐसा हिसाब हो गया है कि किसानों के नाम पर खर्च बहुत होता है, लेकिन किसान पर खर्च बहुत कम होता है। चाहे N. E. S. Blocks लीजिये चाहे I. D. Blocks, हम देखते हैं कि कागजी घोड़े ही दौड़ते हैं। अफसरों की तनख्वाहें ज्यादा हैं, और जीपों की भरमार है। आज कल कहीं भी देखिये तो अफसरों के पास जीपें बहुत रहती हैं। हवालबाग में एक आई० डी० ब्लाक है और वहीं पर एक ट्रेनिंग सेंटर है, पर वहां तीन जीपें हैं। प्रिंसिपल साहब के बंगले से मुश्किल से १०, २० कदम पर स्कूल है लेकिन उनकी अलग जीप है। तो एन० ई० एस० ब्लाक और आई० डी० ब्लाक में होड़ लगती है और यही नहीं अभी कल ही एक प्रश्न के जवाब में मिला था कल प्रश्नों के जवाब में....

श्री उपाध्यक्ष—इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—सम्बन्ध यह है कि हमें किसानों को मजबूत बनाना है। इन जीपों का मेन्टिनेन्स जो होता है वह आखिर होता तो है किसानों की भलाई के नाम पर। मेरा मतलब यह है कि किसान की भलाई के लिये यह सब खर्च घटाया जा सकता है।

अब रही साधनों की बात—बीज, औजार वगैरह सब तरह की चीजें किसानों के लिय जुटाना जरूरी है जो उनके काम की हैं— यह बात मंत्री जी ने फरमायी। सरकार के पास सीमित धन है, जीपों में और पर्दों के नवीनीकरण में अगर इस तरह अत्यधिक से खर्च हो जायगा तो किस तरह से किसान के लिये सस्ता बीज और सस्ती सिंचाई की दरें हो सकती हैं? सरकार कहती थी कि सिंचाई की दरें सस्ती होंगी लेकिन वह और बढ़ती जाती हैं। जरूरत इस बात की है कि जिन उद्देश्य और कारणों से यह बिल आया है उनकी ओर भी जरा ध्यान दिया जाय, महज उन बातों का तजकिरा कर देना ही काफी न होगा, उनके ऊपर अमल भी होना चाहिये। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग, ग्रेडिंग एण्ड प्रासेसिंग का काम भी किया जायगा। परन्तु मुझे डर है कि ग्रेडिंग के बहाने से गोदाम वाले लोग किसान के अच्छे माल को भी खराब करार न दे दें। ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि गरीब किसान से गुस्सा होने, पर अगर वह किसी के हाथ चिकने न कर सके (जैसे वातावरण दूषित हो गया है कि अगर हाथ चिकने न करो तो नाराजगी हो जाती है) या अगर कोई किसान उन ग्रेडिंग आफिसर को खुश न कर पाये तो कहीं वह अफसर किसान की उपज को वह खराब न बता दें। ग्रेडिंग आफिसर की क्वालिफिकेशन आदि की बात तो नियमों में लाने के लिये रखा है, इसलिये जब मंत्री जी नियम बनायें तो इस मामले में काफी सतर्कता बरतें।

माननीय मंत्री जी ने वेयर हाउसेज की यह योजना ४० लाख रुपये की बताई है जिसमें से २० लाख रुपया यह सरकार व्यय करेगी और बाकी २० लाख केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी। बड़ी खुशी है कि यह स्कीम किसानों के लिये बनाई गई है। आलू के लिये बहुत सा रुपया कोल्ड स्टोरेज के लिये चाहिये। गरीब को तो इस तरह के इन्तजाम के लिये ऋण नहीं मिलता लेकिन मंत्री जी ने यहां ऋण देने की बात कही है। केवल इतने से ही किसानों का भला नहीं होगा। सरकार की दो तरह की नीति नहीं होनी चाहिये। मुझे मालूम है कि एक यहां के बड़े ताल्लुकेदार हैं उनको आलू के कोल्ड स्टोरेज के लिये सन् १९५० में ढाई लाख रुपया दिया गया था और वह रुपया उन राजा साहब से अब तक वसूल नहीं हुआ है जिसका १५ हजार रुपया साल सूद होता है और मजा यह है कि कृषि विभाग उनको अपना सामान रखने के लिये इतना ही रुपया सालाना उल्टे देता है जब कि सरकार का ढाई लाख तथा उतना ही ब्याज का रुपया अपना पावना है। इस तरह से किसानों को सुविधा दी

जाय तो उनका भला हो सकता है। उन्होंने दो करोड़ की किसानों को सुविधा देने के हेतु स्कीम बताई है। मेरी मंत्री जी से दरख्वास्त है कि जनता को यह चीज बहुत कम मालूम है। जब हम लोगों को ही नहीं मालूम तो देहात के लोगों की क्या बात है। इस विषय में मंत्री जी पूरी जानकारी करायें तो बड़ी कृपा होगी।

जहां तक इस की धाराओं का सम्बन्ध है आप देखेंगे कि गोदामों के लाइसेंसीकरण के विषय में जो धारा है उसमें एक विशेषाधिकार की बात कही गई है। हम चाहते हैं कि इस तरह के विशेषाधिकार के साथ-साथ अपील की भी व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि अकसर ऐसा देखा जाता है कि आज कल लोग अपनी ताकत का बहुत दुरुपयोग करने लगे हैं। आज ही इस सदन के समक्ष, उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एक ferry का सवाल आया था। माननीय पी० डब्लू० डी० के मंत्री जी ने उत्तर दिया कि गोंडा जिले में एक फेरी है सरजू पर, तो सबसे हाईएस्ट बिडर जो कि १५ साल से फेरी का काम कर रहा है माननीय बलदेव सिंह के कथनानुसार और मंत्री जी ने तसलीम किया कि पिछले दो वर्षों से कर रहा है, उसको वह नहीं दिया गया। तो हर जगह आजकल ऐसा होता है कि बहुत मनमानी अधिकारीगण करने लगे हैं। कई स्थानों पर, चाहे पोलिटिकल रीजंस हों, जैसा कि इस फेरी का मामला था, उसी विशेषाधिकारी को यह सौंप देना चाहे वह कितना ही होशियार क्यों न हो, ठीक नहीं होगा। अगर अपील का अधिकार किसी ऊपर वाले को देंगे तो कम से कम वह अपना डिस्क्रेशन आर्बिट्रेरिली इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

और इसमें कही गयी लोक-हित की बात कि बिना नोटिस दिये लाइसेंस निलम्बित करेंगे। "लोक हित" बड़ी पेचीदा बात है। मैं चाहूंगा कि इसको वह डिफाइन करें, कुछ तो परिभाषा इसकी दें? लोक-हित के हिसाब से, अभी माननीय मंत्री जी इशारा कर रहे हैं कि कुछ नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं उदाहरण दूं कि किस तरह से उसका ऐब्यूज होता है। अल्मोड़े के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रुई खरीदी गयी। टेंडर मंजूर हो गया, १९५७ के मार्च के महीने या फरवरी में ८५ रुपया फी मन के हिसाब से। बाद को चूंकि कुछ पैसा हड़प करना था या क्या बात थी जो प्रेसीडेंट साहब ने टेंडर देने वाले पर Breach of Contract की कार्रवाई न कर नई शर्त्त पर रुई खरीदी। जिससे रुई खरीदी गयी थी उससे अर्जी दिलवायी गयी कि ५० रुपये मन वाली रुई तो खत्म हो गयी १०० रुपये वाली बाकी रह गयी है। फिर १०० रुपये मन के भाव पर करीब ९,००० रुपये की रुई खरीदी गयी। इसी तरह से डाक बंगले का किराया १५६ रुपया राइट आफ कर दिया गया जो कि एलेक्शन के प्रचार के सम्बन्ध में, जब अक्तूबर, १९५७ में प्रेसीडेंट खुद उपचुनाव के प्रत्याशी भी थे और उनके प्रचारकों पर यह किराया बाकी था रहे, (वे इस आदरणीय सदन के सदस्य भी थे) तो वह रुपया राइट आफ क्यों हो गया? तो इन बातों की शिकायतें मैंने कीं। मैंने जब पूछा कि डी० एम० की क्या रिपोर्ट है तो कहा गया कि जनहित में नहीं बताया जा सकता। क्या हिन्दुस्तान की सुरक्षा खत्म हो जायगी? इन बातों के जाहिर करने से? अगर किसी आदमी ने गलती की है तो एक इंडिविजुअल को सजा दिलाने से सरकार की कौन सी पालिसी का पर्दाफाश हो जायगा? मौजूदा बिल का दफा ८ जो लाइसेंस के सिलसिले में उसमें है कि "प्रतिबन्ध यह भी है कि जहां लोक-हित में तुरन्त कार्यवाही आवश्यक हो वहां लाइसेंस-प्राधिकारी कारण लिखने के पश्चात् बिना इस प्रकार का नोटिस दिये लाइसेंस निलम्बित कर सकता है।" यानी किसी आदमी से अगर वह नाखुश हो गया तो वह बिना नोटिस दिये इस बहाने लाइसेंस खत्म कर देगा कि यह तो जनहित के लिए है। इसमें मुश्किल यह है कि अपील का प्रावीजन नहीं है। इसलिए वह प्रावीजन अवश्य होना चाहिए।

अब इसके बाद आगे अगर आप देखें, श्रीमन्, तो धारा १८ में दिया हुआ है कि "गोदाम-परिचालक निक्षेप्ता को सिकुड़ अथवा सूख जाने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी हो जाने के कारण हुई उसकी हानि अथवा नमी

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

सोख लेने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक वृद्धि होने से उसके गुण क्षीण होने के कारण हुई उसकी हानि के बदले नियत रीति से अवधारित प्रतिकर का देन दार होगा।" दूसरे में यह ह, "जब इस सम्बन्ध म विवाद उत्पन्न हो कि भार या परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी या वृद्धि सूख या नमी सोख लेने के कारण ह अथवा अन्य ऐसे कारणों से है जो गोदाम परिचालक के वश के बाहर थे तो यह विवाद धारा ३४ में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका कि इस सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा।"

श्रीमन्, अब इससे एक खतरा है कि मान लिया उसको कोई शैतानी सूझती है या उसे कोई रंजिश है या उसकी नीयत में कोई फर्क पड़ गया तो यह कह देगा कि यह सूख वगैरह तो मेरी ताकत से बाहर की बात है और जो प्राधिकारी होगा वह भी उसी की बात को मान लेगा क्योंकि उन दोनों का तो चोली दामन का साथ होता है। तो ऐस मौके पर चाहे किसी गरीब का हजारों रुपये का नुक्सान हो वह कह देगा कि इतने का ही नुक्सान हुआ या उसको चूहे खा गये या कोई ऐसी चीज हो गयी जो उसके कंट्रोल से बाहर की थी। श्रीमन्, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में ऐसी-ऐसी चूहे खान की बातें मालूम पड़ीं कि गल्ले का चौथाई हिस्सा चूहे खा गये। खैर, उनका जिक्र मैं यहां पर नहीं करता। यह तो उदाहरण दिया है कि इस तरह से गोदाम मालिक कहेंगे कि यह तो हमारे बस क बाहर की बात थी। इसके अलावा अगर सामान न भी खा जाय तो वजन म जितना ज्यादा हो जायगा गोदाम वाला उतना गल्ला निकाल सकता है और इसका निर्णय देना किसके हाथ में रहेगा? "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" के हाथ में। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी और वह व्यक्ति दोनों अगर मिल गये तो न तो उसको कोई अपील होगी, न डैमेजेज का कोई सूट होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि ओपेन कोर्ट आफ ला में उसे जाने का अधिकार हो।

इसी तरह से जो गोदाम रखने वाला होगा उसको तो माल पर (Lien) भी दिया गया है कि अगर उसका किराया बाकी निकलता हो तो वह माल वापस करने से रोक सकता ह, लेकिन अगर किसी किसान का सामान वहां रह गया है उसे वह वापस लेना चाहता ह तो जैसा देखा गया है कि सरकार के यहां रुपया जमा करत वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लेते वक्त बड़ी परेशानी होती है, वैसे ही उस किसान को भी बड़ी परेशानी होगी। सरकार की तरफ से जो किसान को ऋण वगैरह दिया जाता है उसको लेन से किसान इसलिए घबराता है क्योंकि कि उसमें इतनी टेक्निकलिटीज होती हैं कि आज की फसल के लिये ऋण लेना हो तो अगली फसल के बाद मिलेगा। वह महाजन को दूना सूद दे कर उससे रुपया लना पसन्द करता है लेकिन इन परेशानियों की वजह से नहीं लेता। इसलिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिय जिससे किसान को गोदाम से अपना सामान निकालने म कोई दिक्कत न हो। मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये इसीलिये कह रहा हूं ताकि शायद वहां कोई ऐसा रास्ता निकल आये।

क्षतिपूर्ति, का जहां तक सवाल है, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर गोदाम वाले कोई गड़बड़ी करें तो एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह से उनकी कीमत व नुकसान वसूल होना चाहिये।

एक चीज इसमें जमानत की जब्ती के बारे में है। मेरा कहना यह है कि गोदाम वाले को भी न्याय पाने का पूरा अधिकार होना चाहिये। इसमें उसकी जमानत की जब्ती अगर हो जाय तो अपील की व्यवस्था नहीं की गयी है। मेरी अर्ज यह है कि जमानत की जब्ती में भी अपील की व्यवस्था होनी चाहिये।

हां, तो एक चीज आखिर में यह देखेंगे कि जहां नियम दिये हुये हैं उनके तीसरे उपखंड म यह दिया हुआ है कि, "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बन जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मण्डल अपने उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार उसके समक्ष रखे जायं।" मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इसम से "अपने उस सत्र में करे" यह शब्द उड़ा दें क्योंकि श्रीमन्, यह देखा गया है कि इसी सत्र में जो वर्तमान सरकार वादा करती है, वह पूरा नहीं कर पाती है। माननीय पालीवाल जी के नियम कब से पड़े हुये हैं, शायद वह ऐसे कोल्ड स्टोरेज में रखे हैं कि वह नियम विधान सभा के होते हुये भी उनका नम्बर नहीं आ पाता है, जबकि दुनिया भर के कानून हो जायेंगे, लेकिन वह नहीं आयेंगे तो इसी तरह यह नियम भी उसी सत्र में हो जायं सम्भव नहीं हो सकता है।

अभी अखबारों में खबर थी कि ५ तारीख के बाद सेशन खत्म हो रहा है। लेकिन नहीं किया और इसके लिये बहुत बहस हुई। खैर, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। यहां बिल आता ह तो न जाने कहां से टपक पड़ता है। इतना समय भी नहीं होता कि संशोधन दिये जा सकें। इसलिये मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि उस सत्र में संभव न हो तो "ऐट एन अर्लिएस्ट अपर-च्युनिटी" कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि मेरे सजेशन्स कांस्ट्रक्टिव हैं और माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे – जैसा भी बिल आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र रामस्वरूप जी वर्मा ने जो दो मास में जनमत एकत्रित करने के लिये संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिय यहां पर खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को आज तुरन्त ही विचार करने के लिये प्रस्तुत किया था लेकिन इस विधेयक के प्रस्तुत करते समय जो भाषण उन्होंने दिया था उसके संबंध में मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि उनका भाषण इस विधेयक के समर्थन में बहुत कम था बल्कि नहीं के बराबर था। अधिकांश रूप में जो उनका भाषण है उसमें उन्होंने संसद में जो एग्रीकल्चरल प्रोडयूस कार-पोरेशन ऐक्ट बना है, उसके बारे में जिक्र किया है, कुछ सिद्धान्तों की बातें कहीं और कुछ आगे आने वाले सुधारों का उन्होंने जिक्र किया जिनको वह करने जा रहे हैं। जो मूल विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके बारे में बहुत कम बातें ऐसी कहीं जिनको मानकर हम आज ही विचार करने के लिये स्वीकार कर लें।

श्रीमन्, माननीय सदस्य बरेली ने एक संशोधन पेश करते हुये, इस बात को स्वीकार किया है कि इस विधयक पर ज्यादा विचार करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत हो तो दो महीने से भी अधिक समय लग जाय लेकिन इसको, प्रवर समिति में भेजा जाय और इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाय लेकिन मुझे अत्यन्त दुख है कि यह सारी बात कहने के बाद जो उन्होंने संशोधन उपस्थित किया उसमें उन्होंने केवल दो सप्ताह की मियाद रखी और वह भी प्रवर समिति में विचार करने के लिए। मैं, श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि जब सिद्धान्ततः माननीय सदस्य बरेली को यह स्वीकार है कि इस विधेयक में गम्भीरतापूर्वक, समय का विचार न करते हुए, विचार करने की आवश्यकता है तो फिर मेरी समझ में नहीं आया कि वे केवल दो सप्ताह का समय क्यों सीमित करना चाहते हैं और क्यों नहीं जनमत संग्रह के लिए दो मास का समय देना चाहते हैं? जो प्रस्ताव माननीय वर्मा जी ने पेश किया है उसे वे क्यों स्वीकार करने में संकोच करते हैं?

श्रीमन्, एक बात माननीय सदस्य बरेली ने माननीय मंत्री जी को सतर्क करते हुए कहा कि कहीं इस विधेयक से करप्शन का नया सूत्रपात्र न हो जाय। मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह बीज गोदाम जो आज हमारे प्रान्त में मौजूद है इससे पहले जब मुझे अवसर मिला मैंने इनके बारे में जिक्र किया और आज फिर

[श्री देवनारायण भारतीय]

मैं दोहराना चाहता हूं कि इन बीज गोदामों में से बीज लेते समय किसान को कुछ प्रति मन के हिसाब से या प्रति बोरे के हिसाब से कम तौल कर दिया जाता है और जब किसान उसका सवाया जमा करने जाता है तो उससे प्रति बोरा कम से कम दो या ढाई सेर ज्यादा तौलकर लिया जाता है। इस बात को मैंने इस सदन में पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं। मैं इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। बावजूद हमारे सब प्रयत्नों के कम से कम हम अपने जिले में इस करप्शन को नहीं रोक सके हैं। जब आज प्रत्येक ग्राम में या दो-चार ग्राम पर एक गोदाम बनाना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक किसान को यह सुभीता देना चाहते हैं कि वह अपना गल्ला उसमें रख सकें तो वह करप्शन की आशंका जो माननीय सदस्य बरेली ने प्रगट की है मैं उसको बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात के प्रतिबन्ध जो अभी इस विधेयक में नहीं हैं रखने का प्रबन्ध करें जिससे यह करप्शन बढ़ने न पाये। वह किसान जिसके सुभीते के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है वह उस करप्शन का शिकार न बनें। हमारे मित्र नागर जी, सदस्य खीरी ने यह कहा कि कुछ भाई बन्दो को, मित्र हितैषियों को जगह देने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि और मेरा विश्वास है कि वे इस कुनबापरस्ती को इस विधेयक के सम्बन्ध में आगे न पनपने देंगे और इसमें ऐसा प्रतिबन्ध नियमों के द्वारा अथवा धाराओं पर विचार करते समय लगाने की कृपा करेंगे कि जिनसे यह विधेयक कुनबापरस्ती का अवसर न दे सके।

मेरे एक मित्र माननीय हिम्मत सिंह जी ने जो बात कहीं मैं उस पर भी अपना, विचार प्रकट कर देना चाहता हूं। सरकार ने जमींदारी जब्त की लेकिन जमींदारी जब्त करने का कोई भी लाभ किसान तक नहीं पहुंचा। आपने मध्यस्थ को हटा दिया। किसान अपनी जगह पर रहा। उसको कोई लाभ नहीं हुआ। जो भी लाभ हुआ सब संचित होकर सरकार के कोष में जमा हो गया। पहले सात करोड़ के करीब मालगुजारी इकट्ठा करते थे अब २२ करोड़ के करीब इकट्ठा की जाती है। बावजूद इसके कि कांग्रेस और महात्मा गांधी ने शुरू से, वर्षों से इस बात का ऐलान किया कि जहां तक होगा हम किसान का लगान आधा करेंगे जिस समय हमारे पास सत्ता होगी। उस वादे को आज पूरा नहीं किया गया। मैं उसी प्रकार यह संदेह प्रगट करना चाहता हूं कि कहीं यह न हो कि जो बाजार के आढ़ती बाजार के पूंजीपति अथवा देहातों में फैले हुये रुपये वाले लोग जो किसानों के गल्ले से नाजायज फायदा आज उठा रहे हैं, जिस फायदे को रोकने के लिये आज यह विधेयक सदन में लाया जा रहा है, कहीं ऐसा न हों कि उसका लाभ किसानों तक न पहुंचे और वह उनके द्वारा बटोर कर कहीं राज्यकोष में जमा हो जाय। आज राज्य कर्मचारियों के करप्शन से किसान पीड़ित हैं इससे दुगुने पीड़ित न हो जांय जैसे कि आज मालगुजारी के वसूल करने वाले अमीनों के द्वारा किसान पीड़ित हो रहे हैं।

इसके पश्चात् मान्यवर, मैं कुछ अपनी बातें भी आपके सन्मुख रखना चाहता हूं। जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, हम इसका स्वागत उतना हार्दिक रूप में करने के लिये तैयार नहीं हैं जैसा कि हमारे माननीय सदस्य अल्मोड़ा ने किया है। इसमें कुछ अपूर्णतायें हैं। उन अपूर्णताओं के रहते हुये हम इसका स्वागत करने के लिये तैयार नहीं हैं। जाहिरा तौर पर इस विधेयक का उद्देश्य अच्छा प्रतीत होता है। इसमें कोई शक नहीं है परन्तु इसमें कुछ कमियां हैं। इसमें सरकार की ओर से मूल्यांकन नीति को स्पष्ट नहीं किया गया है। सोशलिस्ट पार्टी की ओर से बराबर यह जोर दिया जा रहा है कि सरकार की इस नीति को मान लें और उसको घोषित करे कि जिस समय किसान की पैदावार हो, उस समय किसानों की उत्पादित की हुई वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था बना दें कि उस वर्ष के अगले भाग में किसी समय भी पूंजी लगा कर उन वस्तुओं को संग्रह करने वाले व्यापारी फसल के भाव से दो या ढाई आना रुपया से अधिक मुनाफा नहीं उठा सकेंगे। ऐसा प्रतिबन्ध जब तक सरकार

की ओर से नहीं लगता जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी की मांग है, तब तक मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। इस विधेयक से न तो यह स्पष्ट है कि हमारे प्रान्त में उत्पादन क्या है और न यही स्पष्ट है कि उस उत्पादन को ध्यान में रखते हुये कितने गोदामों की आवश्यकता है। सरकार २, ४ ग्रामसभाओं के बीच में एक-एक गोदाम बनाना चाहती है उसकी संग्रह शक्ति कितनी होगी। जो तहसील में आप गोदाम बनाना चाहते हैं उसमें कितना अन्न संग्रह किया जा सकेगा और जो आप जिले के अथवा प्रान्त के स्तर पर गोदाम बनाना चाहते हैं उनमें आप कितना संग्रह करेंगे, इसका कोई भी वर्णन इस विधेयक में नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सामने जाय तो वहां पर इस प्रश्न पर स्पष्ट हो जाना चाहिये कि कितने गोदाम होंगे और उनमें कितना संग्रह करने की क्षमता होगी और हमारे प्रान्त की आवश्यकता क्या है। यह सारी बातें हमारे सामने आ जानी चाहिये।

हमारे माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय एक बात सामने नहीं रखी कि ८० फीसदी किसान जो ऐसे हैं कि जिनके पास ऐसी जोत नहीं है जिससे वह अन्न उत्पादन करके अथवा अन्य उत्पादित सामग्री उत्पन्न कर के, जैसा कि आलू का जिक्र किया गया, वह गोदाम में जमा करने के लिये बचा भी सकता है या नहीं। बैसाख, जेठ में अथवा उधर कार्तिक अगहन में जब फसल पैदा होती है तो अलाभकर जोत का किसान अपनी पैदावार के अधिकांश को लगान देने के लिये, आबपाशी को देने के लिये और अन्य आवश्यक सामग्री को प्राप्त करने के लिये उसको बेच देना पड़ता है। जिन किसानों के पास अलाभकर जोत है, जिसके पास १, २, ३ एकड़ भूमि है वह क्या अपनी उत्पादित की हुई सामग्री में से कुछ ऐसी बचा भी सकता है जिसको वह आगे के लिये इन गोदामों में जमा कर सकें। मैं माननीय मन्त्री जी से इस पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अलाभकर जोतों के बारे में पुनः विचार करें। यदि वे वास्तव में किसानों को सुविधा देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि किसान समृद्ध हों और किसान के द्वारा प्रान्त की खाद्य समस्या का कोई हल निकल सके तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे सोशलिस्ट पार्टी की इस मांग पर विचार करें कि अलाभकर जोतों पर से सरकारी मालगुजारी हटा ली जाय। उनको मालगुजारी से मुक्त किया जाय ताकि उनको सुविधा मिले और वे जो अन्न अपनी जोतों से पैदा करें उनसे अपना गुजर करें और जो बचे उनको इन गोदामों में जमा करें। इन अलाभकर जोतों से तभी लाभ होगा कि जब आप मालगुजारी उन पर से हटा लें सोशलिस्ट पार्टी की मांग को मान कर।

मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में किसानों की बहुत दुहाई दी है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के साथ-साथ अथवा इससे पृथक कुछ ऐसी बातें भी आज हमारे सामने आती सरकार की ओर से कि जिनसे हमारे प्रान्त की खाद्य समस्या का हल निकलता। हमारे प्रान्त में आज खाद्य समस्या पहली समस्या है और अगर इसका हल न निकला तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि प्रान्त के कोने-कोने में भूख की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है और कहा नहीं जा सकता कि किस समय वह भयंकर रूप धारण कर ले। तो इस खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुये ऐसे प्रस्ताव भी उन्हें रखने चाहिये थे इस विधेयक के साथ अथवा इससे पहले कि जिनके द्वारा हमारे किसानों की उत्पादन शक्ति बढ़ती।

श्री उपाध्यक्ष—इशारा बहुत काफी था। अब विषयांतर हो रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं और इस विषय को छोड़ दे रहा हूं। मुख्य विषय खाद्य समस्या ही था और इसको हल करने के लिये ही यह विधेयक इस सदन के सामने आ रहा है....

श्री उपाध्यक्ष—आपने कह दिया और इतना सरकार के लिये काफी है।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं इस विषय को छोड़ दे रहा हूं, आपकी आज्ञा से। जो दसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे मित्र रामस्वरूप वर्मा जी ने इसको जनमत संग्रह के लिये भेजने के विषय में जो बातें कहीं हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक विधेयक वे और लाना चाहते हैं जिसका संबंध मार्केटिंग से होगा। इसलिये यदि इसको दो मास के लिये जनमत संग्रह के लिये माननीय मंत्री जी भेज देते हैं तो कोई हानि नहीं होती। इस बीच में उनको दूसरा वह विधेयक लाने का अवसर मिल जाता है और जब दोनों विधेयक सदन में हमारे सामने होंगे तो हम अच्छी तरह से उन पर विचार कर सकेंगे और इस विधेयक पर भी, जब यह जनमत लिया जा कर सदन में आयेगा तो हम ठीक से सुझाव दे सकेंगे, ऐसा मेरा विचार है।

एक बात और है। जब कोई बिल सरकार की ओर से पेश किया जाता है तो कहा जाता है कि इसको जल्दी में पास करना है। इस विधेयक के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं है। न तो इसके जरिये किसी आर्डिनेंस की मियाद पूरी होने का भय है कि उसकी मियाद खत्म हो जायगी इसलिये इसको जल्दी पास कर दिया जाय और न कोई और दूसरी बात ही है। एक बात केवल यह है कि संसद में एक कानून पास हो गया है और संभव है कि केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसा आदेश हमारी राज्य सरकार को आया हो कि आप भी अपने यहां इस तरह का गोदाम विधेयक लायें और उसे मंजूर करा लें। तो मैं इसे कोई ऐसी आवश्यक बात नहीं समझता कि जिसके लिये यह जल्दी ही पास किया जाय और इसकी सारी क्रियायें जल्दी-जल्दी में पूरी करा ली जायं। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि इसको दो मास के लिये जनमत संग्रहार्थ घुमाया जाय। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा-सा विधेयक है लेकिन काफी महत्व का है और किसानों के लिये बहुत उपयोगी है। उस पर ऐसे संशोधन का आना, और खासकर उन सज्जनों की तरफ से जो किसानों के बहुत हितैषी कहलाने का दावा करते हैं और दावा ही नहीं करते,हैं भी, और यह कहना कि माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत कम बातें बतलायीं, दूसरी बातें बहुत अधिक बतायीं, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जब वे स्वयं इस संशोधन को पेश कर रहे थे या उसकी ताईद कर रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के बारे में क्या बताया। या तो मैं सुन ही नहीं पाया या उन्होंने कुछ बताया ही नहीं।

एक साहब ने बताया कि जब तक कृषि उपज का मूल्य निर्धारित न हो, तब तक इस विधेयक को लाना ही नहीं चाहिये था। एक बात तो मैं समझ सकता था कि किसानों को ऊंची से ऊंची कीमत मिलनी चाहिए लेकिन इस चीज से इस विधयक का क्या संबंध है, मैं समझ नहीं पाया। मूल्य निर्धारित हो किसानों की पैदावार का, इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं और उचित कीमत उस को दी जाय। लेकिन इस विधेयक के सिलसिले में यह कहना कि किस तरह की गोदामों की बिल्डिंग होंगी और क्या उसका मूल्य होगा, मेरी समझ में नहीं आया कि इसका उससे क्या ताल्लुक है कि यह प्रवर समिति या जनमत को भेजा जावे।

एक बात यह भी कही गयी कि अगर इसको जनमत के लिये भेज दिया जायगा तो यह मालूम हो जायगा कि कितना किराया उसको देना चाहिये। मान लिया कि यह मालूम भी हो जाय तो भी दुनिया भर के किसी विधेयक में यह बात नहीं आती है। यह चीज तो नियमों में आती है। अब रूल्स की बातों के लिये विधेयक को जनमत के लिये भेजने की क्या जरूरत है, यह एक अजीब किस्म की दलील पेश की गयी।

एक माननीय सदस्य सहकारी समितियों की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन साथ में यह भी कह देते हैं कि उनमें बहुत गंदी चीजें हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि वह रीढ़ की हड्डी है। गांवों में एक मिसाल है कि एक सज्जन किसी की शादी होने देना नहीं चाहते थे। वे शादी करने वाले के पास आये जहां लड़की वाला भी बैठा हुआ था। कहने लगे कि शादी

में मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मुसीबत यह है कि मैंने यह कब कहा था कि लड़के को मिर्गी आती है। उसी प्रकार से वह सज्जन कहते हैं कि सरकारी समितियां अच्छी हैं लकिन उनमें करप्शन है। तो ईमानदारी से वे सहकारी समितियों के माफिक नहीं हैं। उन्होंने प्रवर समिति में भेजे जाने का कारण यह बताया कि कानून नया है और रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट और बैंक इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आया है। वैसे यह कानून नया है और कहीं नहीं है। इसलिये उसके अलावा और कोई चीज हमारे पास अनुभव के लिये नहीं है, उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। वे काफी पढ़े लिखे विद्वान हैं और दुनिया की चीजों को देखते हैं, उनका अनुभव है कि हमारे देश में अब तक ऐसा कानून नहीं है, यह सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। सन १९४८ से लेकर अब तक हमारे देश में के करीब-करीब अधिकांश स्टेटों में यह विधेयक बन चुका है। सन् १९४८ में तो बम्बई में बना और मद्रास में सन् १९५१ में बना जिनकी करीब-करीब सारी बातें हमारे इस विधेयक में हैं। तो यह खयाल करना, जैसा कि कुछ भाइयों ने यह भी कहा कि यह एक बिलकुल अजीब और नयी चीज है इसलिये इसको जनमत के लिये भेजा जाय कि लोगों को मालूम हो जाय कि इसमें क्या होने जा रहा है, मैं निवेदन करूं कि यह बिलकुल नयी चीज नहीं है बल्कि यह बहुत पुरानी चीज है। यह तो बहुत खेद और दुख की बात है कि हमारी सरकार इस विधेयक को बहुत देर में लायी जब कि यह विधेयक करीब करीब सारे राज्यों में पास हो चुका, सन् १९४८ से अब तक और उनमें ये ही सब बातें हैं जो इस विधेयक में हैं। वहां के तजुर्बे के आधार पर यह बिल बन या गया है इसलिये यह कोई बहुत नयी बात नहीं है, यह बहुत मामूली बात है।

यह भी शुबहा कुछ लोगों ने किया है कि साहब जो किसान गोदाम में अपने गल्ले को लायेगा तो उसकी हैसियत ऐसी है भी या नहीं कि वह उसको बेच सकेगा या नहीं बेच सकेगा उसको भी देखने की जरूरत है। यानी इसमें पार्टी की बात लाकर जोड़ी गयी है। ठीक है, हर आदमी को कहने का अधिकार है, चाहे मौका हो या न हो। लेकिन जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात कि अलाभकर जोत है, उसका लगान माफ हो जाय, इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर लगान माफ हो जाय, मालगुजारी माफ हो जाय तो बड़ी अच्छी बात हो जाय। मैं भी एक छोटा सा किसान हूं, अगर लगान माफ हो जाय और सरकार बगैर पैसे के चले तो बड़ी अच्छी बात मेरे लिये भी होगी। लेकिन इस चीज का इस विधेयक से क्या सम्बन्ध है। एक साहब ने यह कहा कि वह बेचेगा कि नहीं बेचेगा, इसलिये यह विधेयक भी बेकार हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि इस विधेयक की मंशा को समझने में कुछ कोताही हुई। वह तो जिसके पास क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है इसके लिये तो यह विधेयक है ही, यह कोई धनाढ्यों के लिये नहीं है। और उसकी मंशा केवल यह है कि गरीब अपनी आवश्यकता देने के लिये लाभ उठा सकें जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने शुरू के भाषण में बतलाया कि जो गरीब किसान हैं वे ही अपनी उपज बेचेंगे और वह भी तुरन्त बेंचना चाहते हैं, बेचने पर मजबूर होते हैं और थोड़ी कीमत पर बेचते हैं, इसलिये तो यह विधेयक आया ही है कि वे अपने उन जिन्सों को, अपनी पैदावार को गोदाम में रख कर कर्जा लेकर अपना काम करें। यह विधेयक धनाढ्यों के लिये नहीं है। इसलिये उनकी यह दलील कि इससे उन लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हो पायेगा, यह खयाल भी गलत है।

जैसे और कुछ सज्जनों ने माननीय मंत्री जी से कहा, उसी तरह से मैं भी अपनी थोड़ी सी बातें निवेदन करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है कि यह विधेयक आया और इस विधेयक में करीब-करीब वे बातें हैं जिनका रिपोर्ट में जिक्र है और दूसरे अधिनियमों का इसमें पूरा पूरा समर्थन किया गया है लेकिन इस विधेयक को बहुत कामयाब बनाने के लिये जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में फरमाया था हमें किसानों को उचित दाम देने की चेष्टा करनी है। वह चेष्टा इस अकेले विधेयक से नहीं होने जा रही है इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इससे तो केवल उसको ऋण की सुविधा मिलेगी। जब उसको अच्छा भाव बाजार में होगा

[श्री फतेहसिंह राणा]

तब बेचने का अधिकार होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं बहुत जरूरी है, हालांकि इस विधेयक से वह अलाहिदा हैं। मैं केवल इसलिये उनको निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय उन बिलों को भी बहुत जल्दी ही आदरणीय सदन में लायें ताकि इससे हमारे गोदाम विधेयक का पूरा पूरा किसान और जनता फायदा उठा सके। वह बातें यह है कि सन् १६४६ में केन्द्रीय सरकार की ओर से एक मंडी मार्केटिंग ऐक्ट सारी राज्य सरकारों को भेजा गया था लेकिन दुख की बात है कि हमारी सरकार ने आज तक उस रेगुलेशन आफ मंडी मार्केट को इस भवन में पेश नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सीधी बात है कि जब तक हम मंडी के नियंत्रण का विधेयक इस आदरणीय सदन में नहीं पास कराते हैं तब तक किस तरह से वहां आढ़त ली जाती है, किस तरह से क्या बातें वहां होती हैं, क्या दिक्कतें किसानों को होती हैं, उनका कोई इलाज इस बिल से तो होता नहीं और वह हो भी नहीं सकता। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है माननीय मंत्री महोदय उस मार्केटिंग ऐक्ट को जिसको केन्द्रीय सरकार ने सन् १६४६ में सारी राज्य सरकारों को भेजा उसमें जैसा उचित और मुनासिब संशोधन चाहे करके उसको ठीक बना करके इस आदरणीय सदन में जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है कि हमारी मार्केटिंग सोसाइटीज बन रही हैं वहां हम अच्छी तरह से काम कर पायेंगे और उसमें हमारे इस गोदाम विधेयक से भी काम इतना हो पायेगा इसमें मुझे शुबहा है। जब तक वह मंडी रेगुलेशन ऐक्ट नहीं आ जाता तब तक यह दोनों चीजें हमारी कामयाब नहीं हो सकतीं। इसलिये वह मंडी ऐक्ट लाना जरूरी है।

रही यह बात कि हम अपनी मार्केटिंग सोसाइटी या वेयर हाउसेज बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राय का हूं कि जब तक केन्द्रीय यानी सारे देश का और सारे स्टेट्स का एक इस किस्म का कारपोरेशन जैसे स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन दिल्ली में बना है, वह जब तक नहीं बन जाता और खास तौर से जो किसान की अच्छी चीजें हैं जैसे गेहूं वगैरह है उनके क्रय विक्रय (ट्रेड) को केवल कारपोरेशन द्वारा ही नहीं किया जाता तब तक बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से दो बातों का अनुरोध करूंगा कि एक तो मंडी ऐक्ट और एक ऐसी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन जैसा कि सेंटर में बना है, उसकी व्यवस्था करें जो कि इस तरह की खेती की पैदावार को बेचने और खरीदने का काम करे और उसकी शाखायें या उसी किस्म की स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन हमारे स्टेट लेविल पर बने, तभी इस विधेयक से किसान को पूरा लाभ हो सकेगा।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में कोई हिस्सा लेने को नहीं था। मैंने अभी इस बिल को जो मेरे सामने अंग्रेजी में है शुरू से आखीर तक पढ़ा। हमने फारसी में पढ़ा है हुमां एक चिड़िया होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कि हुमां का साया जिसके ऊपर पड़ जाता है वह बादशाह बन जाता है। लेकिन हुमां किस जगह मिलता है इसका पता नहीं चलता है। मैं इसको एक दफा पढ़ चुका हूं। मैं यह भी दावा नहीं करता कि मेरी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें कहीं भी किसान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुमकिन है इसके मुतारिद कोई चीज हो। इसमें डिपाजिटर का लफ्ज मिला लेकिन यह कहीं नहीं पता चला कि किसान कौन है, इससे किसान का क्या वास्ता है। यों तो जो भी बिल आते हैं आमतौर से रख दिया जाता है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। जनरल डिबेट में लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता है लेकिन जब संशोधन रख दिया जाता है तो इस बहाने से किसी भी सदस्य को बोलने का मौका मिल जाता है। इसमें कहीं भी नहीं पाया कि किसान शब्द का इस्तेमाल कहीं किया गया हो। यू० पी० में चूंकि किसानों की तादाद ज्यादा है इसलिये कोई भी बिल चाहे वास्ता हो या न हो किसी सूरत से किसान का वास्ता उस बिल से जोड़ दिया जाता है। मैंने मंत्री महोदय की पूरी तकरीर तो नहीं सुनी लेकिन जो सुनी उससे मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस नतीजे पर पहुंचा कि जनरल डिस्कशन था ३८ सेक्शन्स के मुताल्लिक । मैं समझता हूं कोई भी शख्स जो वेयर हाउस में गल्ला जमा कर दे चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, वह उसमें गल्ला जमा करने वाले की शक्ल अख्तियार करता है ।

इस बिल में लाइसेंसिंग अथारिटी एक मेन फ़ीगर है लेकिन कौन वह होगा क्या उसके अख्तियारात होंगे पता नहीं चलता । जब रूल्स बनायें जायंगे उनमें रखा जायगा । मैं इस पर जोर न देते हुये और यह कहता हूं कि इसका कोई वास्ता किसान से नहीं है । यह जरूर है कि गल्ला कहां पैदा होता है ? खेतों में पैदा होता है । कौन पैदा करता है ? किसान पैदा करता है । तो उस सूरत में से गल्ला आ जाता है ।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

आज हम देखते हैं कि गल्ले की बड़ी जबरदस्त कमी है, प्राब्लम है, फूड स्केयरसिटी है चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और गल्ले के बारे में बड़ा शोर शराबा है । इस वक्त कहीं भी गल्ला किसान के पास नहीं है । किसान कब गल्ला बेचता है, कब जमा करता है है ? उसके पास तो खाने के लिये भी नहीं होता । मैं आप से कहता हूं कि ९० फ़ीसदी किसान ऐसे हैं कि जिनके यहां खाने की गल्ला नहीं पैदा होता, जमींदारी के टाइम में तो रिआयत भी हो जाती थी, लेकिन आज जब जबरदस्ती गल्ला वसूल किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तो अपने कर्जे को अदा करने के लिये उसको मजबूर हो कर गल्ला बेचना पड़ता है, जब कि उसके खाने भर को गल्ला नहीं होता । सस्ते से सस्ती कीमत पर उसको बेचना पड़ता है और बाद में खाने तक को नहीं रहता है । यह किसान की हालत है । तो सवाल यह है कि, जहां तक इन ३८ सेक्शन्स का ताल्लुक है इनमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मालूम होता कि किसान को किसी किस्म का कोई फ़ायदा पहुंचता हो । लाइसेंसिंग अथारिटी के बारे में इसमें कुछ नहीं पता चलता कि कौन होगी । रूल्स जब बनेंगे तब पता चलेगा ।

सेक्शन १४ में है कि जिसका गल्ला जमा है वह अपने गल्ले का मुआयना कर सकता है । लेकिन कब देख सकता है, कौन सा पीरियड होगा जिस वक्त के लिये उसको इजाजत मिले । तो यह भी रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड होगा । मालूम नहीं कि कौन-सा वह वक्त होगा जिसमें किसान अपना गल्ला देख सकता है । किसान के घर में जो गल्ला होता है, मान लिया जाय रात में बारिश आयी तो वह प्रेसक्राइब्ड आवर्स को नहीं देखेगा, वह अपनी आवश्यकता के मुताबिक उसी वक्त जायगा और अपने गल्ले की ड्यू केयर करेगा । लेकिन यहां एक पाबन्दी है जो इस बिल के देखने से मालूम नहीं पड़ती कि कौन से वक्त देखना पड़ेगा । रूल्स में मालूम होगा ।

सेक्शन १५ में है कि अगर किसी शख्स ने गल्ला किसी जगह जमा किया और वह गल्ला नमी की वजह से या और किन्हीं क्लाइमेटिक कारणों की वजह से कम होने लगे तो उसके लिये प्रेस्क्राइब्ड छीज है वह वेयर हाउसमैन की मिल जायगी । लेकिन वह छीज कितनी होगी इसका कुछ अन्दाज इस बिल में नहीं लगता । उस छीज के बाद अगर कोई नुक्सान होता है तो वेयर हाउस मैन उसके लिये जिम्मेदार होगा । यह भी नहीं बताया है कि किस कदर छूट मिलेगी कहा गया है कि रूल्स में इसका प्राविजन होगा । इस पूरे बिल में कहीं भी इस बात का पता नहीं चलता कि अगर किसी का पूरे तौर से गल्ला नष्ट हो जायगा तो उसकी कीमत जो वेयरहाउस में जमा की गई है वह जमा करेगा या नहीं । दफा १५ में यह है कि अगर किसी का गल्ला खराब होने लगेगा तो कम से कम ४८ घंटे का नोटिस दिया जायगा मालिक को और उसके बाद उसके लिये जरूरी होगा कि वह वहां से अपना गल्ला ले जाय और अगर वह नहीं ले जायगा तो उसका नीलाम एलानिया खुले बाजार में किया जायगा । इस तरह से अगर फौरन् गल्ला बेचा जायगा तो जाहिर है कि उसको उसकी सही कीमत नहीं मिलेगी । कहा यह गया है कि गल्ला जमा करने वाले का जमा करने का मकसद यही था कि उसको उसके गल्ले की सही कीमत मिल जाय और उसे नुक्सान न हो लेकिन अगर

[श्री शिवराज बहादुर]

कोई ऐसी चीज हो जाती है कि जिसका वह जिम्मेदार नहीं है और वेयरहाउस जहां गल्ला जमा किया गया है वही जिम्मेदार है, ऐसी हालत में ४८ घंटे के अन्दर कहना कि अपना गल्ला ले जाओ मुनासिब नहीं है। जब कि यह भी नहीं बताया गया है कि कितने फासले पर यह वेयर हाउसेज होंगे जहां गल्ला जमा किया जायगा, जब कि हमारे यहां सड़कें और आने-जाने के साधन भी अच्छे नहीं हैं, कभी-कभी दो-दो, तीन-तीन दिन में भी लोग नहीं पहुंच पाते, ऐसी हालत में ४८ घंटे का वक्फा देना हरगिज मुनासिब नहीं है कि इतने कलील वक्त में वह अपना गल्ला वहां से ले जाय। इसलिये यह जो ४८ घंटे का वक्त है यह बहुत कम है।

इसके अलावा मैं आप के जरिये से माननीय मंत्री जी की तवज्जेह दिलाऊंगा कि इसमें दफा २६ में बोर्ड आफ आर्बिट्रेटर्स का प्राविजन किया गया है कि अगर जमा किये हुये माल के मामले में कोई किस्म, वजन या ग्रेड के बारे में शिकायत होगी तो लाइसेंसिंग अथारिटी उसके निबटारे के लिये एक बोर्ड आफ आर्बिट्रेटर्स मुकर्रर करेंगे जो उस शिकायत के बारे में अपना फैसला देगा और आगे उसी में यह भी लिख दिया गया है कि उस बोर्ड का फैसला किसी अदालत में अपील के लिये नहीं जा सकेगा। मैं समझता हूं कि यह पावर बड़ी डिस-क्रिशनरी है और कोई भी अपील उस को प्रोवाइड नहीं की गई है यह बहुत गलत है, यह जरूरी है कि अपील का मौका शिकायत करने वाले को दिया जाय। इसी तरह से लाइसेंसिंग अथारिटी के निर्णय पर भी अपील का मौका दिया गया है लेकिन अपील सुनने वाली अथारिटी के फैसले के खिलाफ कोई अपील आगे नहीं रखी गई है। इसलिये इसमें भी अपील की गुंजायश जरूर रखी जाय और हम चाहते हैं कि किसी जुडीशियल अदालत में यह अपील प्रोवाइड की जाय न कि एक्जिक्यूटिव में।

सदन का ज्यादा वक्त न लेकर मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करूंगा कि यह बिल जरूर ऐसा है कि अभी इस पर क्लाज वाइज बहस नहीं हुई है इसको दो या ढोई महीने के लिये तो नहीं बल्कि सिर्फ एक माह के लिये प्रवरसमिति के लिये भेज दिया जाय क्योंकि म्युनिसिपल कारपोरेशन जैसे बिल के लिये जिसमें ५७६ धारायें हैं हमने एक माह का वक्त रखा है इसलिये इसके लिये सेलेक्ट कमेटी में एक माह काफी है। मन्त्री जी ने शुरू में बड़े मुफस्सिल तौर पर इस बिल को सदन के सामने रखा और वह बड़ा एनकरेजिंग मालूम हुआ लेकिन जब मैंने इस बिल को पढ़ा तो मैंने मन्त्री जी की तकरीर में और इस की धाराओं में कोई भी वास्ता नहीं पाया, वह दोनों भिन्न हैं। इसलिये इन सब चीजों पर सफाई के साथ वहां गौर कर लिया जायगा ताकि कोई इस तरह की दिक्कतें न रहें।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, जो माननीय जगदीशशरण जी ने संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बिल देखने में बहुत छोटा सा मालूम होता है, मगर यह है बहुत महत्वपूर्ण, और इसके ऊपर हमें गम्भीरता-पूर्वक विचार करना है। इस बिल का असर उन व्यापारियों पर निश्चय ही पड़ेगा जोकि गोदाम रखे हुए हैं और गोदाम के जरिये से कारोबार करते हैं। इस बिल के देखने से मालूम होता है कि जो योजना सरकार ने इस बिल में रखी है उससे यह मालूम होता है कि एक तो गोदाम रखने वाला होगा और दूसरा जो है, जो माल गोदाम में रखा जायगा उसकी रसीद होगी, उसको कहीं रख करके वह रुपया किसी बैंक से ले ले या और महाजन से ले ले। इस से यह मालूम पड़ता है कि इसमें काम और बढ़ेगा। जो काम एक जगह से हो सकता था, वह अब देखते हैं कि २–३ जगह में जाकर होने वाला है। मैंने यह भी देखा कि जो गोदाम रखने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी इससे रख दी गयी है। माल का इंश्योरेंस कराना, उसकी हिफाजत करना, अगर वह माल सड़-गल जायगा तो उसकी भी हिफाजत करना और तरह-तरह की परेशानी की बातें इस बिल में रख दी गयी है। और एक बात खास तौर से मैंने यह देखी कि जो स्टेट के गोदाम होंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे जिनमें कि कहा जाता कि काश्तकार ले जा करके गल्ला

रखेगा, या जो कोई व्यक्ति उसमें ले जा कर कोई सामान रखेगा, उस पर तो वह रुपया एडवांस कर दिया जायगा---७५ फीसदी रुपया, मगर जो आदमी व्यक्तिगत रूप से गोदाम का काम करता है उसके लिये यह मुमानियत कर दी गयी है कि वह रुपया ऐडवांस नहीं कर सकता ।

श्रीमन्, इसका निश्चय ही इस प्रान्त के व्यापारियों पर असर पड़ने वाला है और उनको इससे धक्का लगेगा । एक बात यह कही गयी कि कोई जरूरी बात नहीं है कि हर एक व्यापारी गोदाम का लाइसेंस करावे, मगर मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि अगर वह सेक्शन ३ को देखेंगे तो उससे लाजमी मालूम होता है कि जो कोई व्यक्ति इस गोदाम का काम करेगा उसको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी और जो बातें इधर से उधर से कही गयी हैं, कहीं सिक्योरिटी देने वालों को गुंजायश नहीं है कि सिक्योरिटी फोरफीट हो जायगी तो वह क्या करेगा, इस बिल में तरह-तरह की परेशानियां हैं । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । हम तो मन्त्री जी से कहेंगे कि इस बिल को २ हफ्ते के लिये प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और वहां बैठकर के गम्भीरतापूर्वक विचार कर लें और विचार करने के बाद फिर सदन में पेश हो जाय । इन शब्दों के साथ, जो संशोधन माननीय जगदीशशरण जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, माननीय मन्त्री सहकारिता तथा कृषि विभाग ने जिस उद्देश्य और कारण के साथ यह विधेयक प्रस्तुत किया है, देखने में ऐसा लगता है कि यह प्रदेश के किसानों की हालत सुधारेगा । मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को अच्छी तरह से हृदयंगम करके मनन करें और मनन करने के बाद फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे । इसमें दो राय नहीं हैं कि अगर माननीय मन्त्री जी प्रदेश के किसानों के लिये चिन्तित हैं तो हम भी प्रदेश के किसानों के लिये चिन्तित हैं । हम भी चाहते हैं कि जो ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, यानी जो कृषि जन्य पदार्थ हैं, उनका उचित मूल्य मिले हम भी समझते हैं और दिली खलवाहिश है कि किसानों की लूट न हो । मगर क्या माननीय मन्त्री जी इस विधेयक के अन्तर्गत हमें एक भी धारा बता सकते हैं जिसके द्वारा वह यह साबित कर सकें कि किसानों की कृषि-जन्य वस्तु की लूट नहीं होगी ? उसके उचित दाम मिलेंगे ? मैं समझता हूं, श्रीमन्, कि माननीय मंत्री जी असमर्थ होंगे इस बात को साबित कर सकने में । यह सही है कि इसमें ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कारपोरेशन ऐक्ट, १९५६, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है उसकी चर्चा है । मगर केवल चर्चा मात्र से वह पदार्थ हमें प्राप्त हो जायगा ऐसी बात न दुनियां में कभी हुई है न आज हो सकती है । यह भी सही है कि स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना की व्यवस्था है । मगर जब यह कहा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में उसी सन् १९५६ के ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कारपोरेशन ऐक्ट की बात को सामने रखते हुए अधिनियम बन गये हैं तो यदि माननीय मंत्री जी के तर्क को सामने रखा जाय तो इतने दिनों तक यह सरकार बैठी कहां रही, यह प्रश्न भी बहुत ही सफाई के साथ पूछा जा सकता है मगर इसको पूछने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि जिस उद्देश्य को माननीय मन्त्री जी हासिल करना चाहते हैं वह उद्देश्य इससे मिल नहीं पायेगा ।

हमारे मित्र राणा साहब चले गये । उन्होंने देवनारायण भारतीय जी के कुछ कथन का मजाक उड़ाया । भारतीय जी ने यह कह दिया कि इसमें अगर सरकार कोई ऐसी बात रखती कि अलाभकर जोत के किसानों का लगान माफ हो तो समझ में बात आती कि किसानों का हित किया जा रहा है । इस पर राणा साहब ने कहा कि यह बात इस विधेयक में कहां से आ गयी । मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के ९५ फी सदी कृषक ऐसे हैं जिनके पास १० एकड़ से कम जमीन है । तो १० एकड़ से कम जमीन वाल किसान जो अनाज पैदा करेगा उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये विवश हो कर बेचना पड़ता है । वह किसान कहां से ले जाकर गोदाम में गल्ला रखेगा । अगर उनको देहात के किसानों की स्थिति की जानकारी होती तो वे इस बात का मजाक न उड़ाते । क्या इस बात से इस सदन के सम्मानित

[श्री राजनारायण]

सदस्य अनभिज्ञ हैं कि किसानों को मजबूर होकर लगान को देने के लिये गल्ला बेचना पड़ता है, घर के बर्तनों को भी नीलाम या दूसरे के यहां गिरवी करना पड़ता है ? जब ऐसी बात है तो अगर भारतीय जी ने यह बात कही कि पहले इस सरकार को किसानों के हित के लिये अग्रसर होना चाहती है कोई ऐसा विधेयक लाना चाहिये जिससे किसानों का सही माने में हित हो तो मैं समझता हूं कि यह समय की पुकार है और माननीय भारतीय जी ने बहुत ही सही और उचित बात कही ।

इसी के साथ-साथ हमारे भारतीय जी ने अगर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रम की कुछ चर्चा कर दी तो उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया । क्या आज इस बात को सरकार मानने के लिये तैयार है ? जो सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती है उस सरकार के मुखारविन्द से इन शब्दों का उद्घाटन होना चाहिये कि ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस के मूल्य में सन्तुलन होगा । हम देखते हैं कि किसानों के खेत में जब गल्ला पैदा होता है तब अनाज सस्ते भाव पर लिया जाता है मगर बाद में उनको खरीदना पड़ता है मंहगा गल्ला आज प्रदेश में कहीं-कहीं गल्ले की लूट हो रही है । क्यों ? इसलिये कि आज २८ और ३० रुपये मन उसे गेहूं खरीदना पड़ रहा है । अभी हमारे माननीय भजनलाल जी इटावा से आये हैं । ये बता रहे थे कि वहां पर ३–४ कस्बों में अभी कुल गल्ले की दुकानें लूटी गयीं इसलिये कि बड़ा मंहगा गल्ला हो गया है और सरकार ने इस विधेयक में कोई भी ऐसी बात नहीं रखी ह जिससे किसानों को फेयर प्राइस मिल सके, जिससे किसान अपनी गाढ़ी कमाई का उचित मूल्य पाये । इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय किसानों को उचित मूल्य मिले, इस बात को कई बार माननीय मन्त्री जी ने दोहराया । मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति इस विधेयक में कहीं नहीं है ।

एक बात मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस विधेयक में, जैसा कि हमारे एक मित्र बरेली के अभी-अभी यहां पर कह गये बिल्कुल सही बात है, यह कहीं नहीं है कि किसान ही अपने खेत का गल्ला ले जा कर गोदाम में रखेगा । क्या बड़े-बड़े आढातये जो किसान को मजबूर करके, परिस्थितियों में फंसा कर के सस्ते भाव पर गल्ला अपना आढत में ले आयेंगे उन आढतियों का गल्ला गोदामों में नहीं रखा जायगा । आज जो भुखमरी है उससे रक्षा करेंगे, आज भूख की ज्वाला से लोग कराह रहे हैं, लोगों की अंतड़ियां तिलमिला रही हैं, गल्ला कहां है ? गल्ला गोदामों में नहीं पड़ा रहेगा कि जब उचित कीमत मिलने का मौका आये तो उस समय उससे गल्ला लेकर बेचा जाय । लेकिन वह मौका कब आयेगा जब किसान मर जायगा ।

श्रीमन्, हमारे मित्र जब सोशलिस्ट पार्टी की चर्चा होती है तो ऐसी ही बातें करते हैं पता नहीं आखिर पार्टियां किसलिये होती हैं ? पार्टियों का आखिर कोई न कोई उद्देश्य होगा और उसको प्राप्त करने के लिये वह अपना कार्यक्रम चालू करना चाहती होगी तो हम सोशलिस्ट पार्टी की चर्चा करते हैं तो क्या बुरा करते हैं । हम उसके उम्मीदवार चुनकर आये हैं । हम अपनी बात कहेंगे और सफाई के साथ कहेंगे और निर्भिकता के साथ कहेंगे । कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम हो हमें उससे डाह नहीं होनी चाहिये । श्रीमन्, हम तो चाहते हैं कि वह इस सदन में आये । इस सदन में देश की सच्ची तस्वीर आये और जब हम सदन के सामने सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करें तो इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों को कोई गुरेज नहीं होना चाहिये ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर यह विधेयक हमारे प्रदेश के पांच करोड़ किसानों के जीवन से संबंधित है तो मन्त्री जी यह बतलायें कि इतने दिन के विचार विनिमय के बाद, तमाम रिपोर्टों को पढ़ने के बाद कितनी निश्चितता है इसमें । श्रीमन्, आप देखेंगे कि जहां नियमों के बनाने की बात है वहां पर दिया हुआ है कि "राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है"। आजकल हम देख रहे हैं कि सरकार जब कोई विधेयक प्रस्तुत करती है तो सरकार नियम बनाने का एक

अधिकार लेना चाहती है । कहीं-कहीं तो ऐसे नियम भी बन जाते हैं जिनकी मंशा विधेयक के विपरीत होती है । इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार जब कोई विधेयक प्रस्तुत करे तो सफाई के साथ आना चाहिये कि एक, दो, तीन, चार, पांच इतने नियम सरकार बनायेगी । यह नहीं होना चाहिये कि सरकार को एक अधिकार दे दिया जाय कि वह नियम बना सकती है । सरकार क्या नियम बनायेगी कि यह अंधकार के गर्त में है, वह नियम इसके अनुकूल होंगे या विपरीत होंगे, अंधकार में है, उनका तारतम्य इससे होगा या विरोध में होगा यह बाद में देखा जायगा ।

श्रीमन्, आगे पृष्ठ ६ पर देखिये, यह है कि "जमा किये गये माल में कमी अथवा वृद्धि के लिये गोदाम परिचालक का उत्तरदायित्व" सही है कि वह होना चाहिये । मगर आगे कहते हैं कि "गोदाम परिचालक निक्षेप्ता को सिकुड़ अथवा सूख जाने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी हो जाने के कारण हुई उसकी हानि अथवा नमी सोख लेने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक वृद्धि होने से उसके गुण क्षीण होने के कारण हुई उसकी हानि के बदले नियत रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा "। लेकिन आज तक हमारी सरकार के दिमाग में सफाई नहीं है कि कौन-सी नीति होगी और किस आधार पर प्रतिकर का देनदार होगा ।

माननीय राणा जो आ गये हैं । मैं उनका बहुत आभारी हूं उन्होंने ऐसी बातें कह दीं जिससे हमें भी मौका मिला कि हम भी अपनी बातें आपके द्वारा उनकी खिदमत में प्रस्तुत करें । मैं पूछना चाहता हूं कि कितने किसानों का भला होगा ? लेकिन जो एक महान क्रान्तिकारी माना जा चुका है । उसके वाक्य को रखना चाहता हूं । उसने कहा है कि जब तक बुर्जुआ स्टेट रहती है तो सरकार द्वारा जितने कानून तथा कायदे बनते हैं उनसे उच्च मध्यम वर्गमा बुर्जुआ वर्ग के लोगों का ही भला होगा । इस विधेयक में जो गोदाम बनेंगे उनमें किन का गल्ला जायगा ? १–१ एकड़ २–२ एकड़, ३–३ एकड़, ४–४ एकड़, ५–५ एकड़, ६–६ एकड़, १०–१० एकड़ वाले किसानों का, ९५ फीसदी किसानों का गल्ला जायगा या ऐसे लोगों का गल्ला जायगा जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं, जिनके पास बड़े-बड़े खेत हैं, जो अपने परिवार का भरणपोषण करने के बाद काफी गल्ला संचित कर सकते हैं ? उन्हीं का भला हो सकता है छोटे किसानों का भला नहीं हो सकता । इसलिये मैं माननीय राणा साहब से कहूंगा कि जैसा उन्होंने कहा कि हम भी किसानों के हितैषी हैं मैं निवेदन करूंगा कि अगर वह किसानों के हितैषी हैं तो उनको हमारे इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होना चाहिये था कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय, पूछा जाय कि किस जनता का इसमें भला है, छोटे किसानों का भला है बहुत संख्यक किसानों का भला है या अगर किसानों का भला हो सकता है तो उन्हीं का हो सकता है जिन के पास प्रचुर मात्रा में गल्ला पैदा करने की शक्ति है ।

इसके बाद दूसरी बात मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि "गोदाम में माल का क्षीण होना तथा उनका निस्तारण" देखें । "जब कभी भी गोदाम में जमा किया गया माल गोदाम परिचालक के वश के बाहर के कारणों से क्षीण होने लगे अथवा उसके क्षीण होने की सम्भावना हो तो वह तुरन्त निक्षेप्ता को इस आशय का नोटिस देगा जिसमें उससे अपेक्षा करेगा कि वह यथाविधि भरपाई की हुई रसीद वापस करके तथा गोदाम परिचालक को देय पूरे परिव्यय दे कर माल तुरन्त वापस करके तथा गोदाम परिचालक को देय पूरे परिव्यय देकर माल तुरन्त वापस ले ले "। "देय पूरे परिव्यय" क्या होगा ? आगे आने वाला नियम इसको निर्धारित करेगा या हर प्रकार के देय निर्धारित करने की अलग-अलग परिपाटी बनाना चाहते हैं । किस नियम के अन्दर निर्धारित किया जायगा । कहीं भी इसकी सफाई नहीं है । तो क्या विधेयक का मूल्य इसी बात में आंका जायगा कि वह अनिश्चित हो, भावात्मक जगत में

[श्री राजनारायण]

विचरण करे और जब भी कोई विधेयक आ जाय हमारे सरकारी पक्ष के सम्मानित सदस्यों की आदत पड़ गयी है कि जो भी कोई अनापशनाप विधेयक आ जाय उसका समर्थन करने के लिये खड़े हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप सब सदस्यों को एकदम से अपने आक्षेप में सम्मिलित न करें।

श्री राजनारायण--मैं आपकी बात को शिरोधार्य करता हूं। क्योंकि ऐसा कहने में माननीय बेचन राम गुप्त भी आ जायेंगे जिन्होंने हमारी बहुत-सी बातों का समर्थन किया है। उसके साथ-साथ रईस बरेली ने भी बहुत-सी बातों का समर्थन किया, यद्यपि वह चाहते हैं कि प्रवर समिति में जाये। परन्तु प्रवर समिति में ले जाने के लिये तर्क प्रस्तुत करते समय उन्होंने हमारी बहुत-सी बातों को माना है। परन्तु एक बात मैं सम्मानित सदस्यों की सेवा में रख देना चाहता हूं कि हमारे इस संशोधन में किसानों का हित बोल रहा है, और माननीय बेचनराम गुप्त के संशोधन में बड़े-बड़े व्यापारियों का हित बोल रहा है जिनके लिये वे चिन्तित हैं। वह बराबर कहा करते थे कि व्यापारियों का बड़ा अहित होगा। हमारे उनके दृष्टिकोण में बड़ा फर्क है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय गौतम जी जो इस समय हैं नहीं जो कि बिल पारित करवा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--कोई विशेष कारण होगा। वे थोड़ी देर के लिये गये हैं।

श्री राजनारायण--मैं उनसे अदब के साथ कहना चाहता था कि वह माननीय रामस्वरूप वर्मा के संशोधन को मानते या स्वतः अपने अन्दर हीनभाव ग्रस्तता न ला कर कहें कि आज सम्मानित सदस्यों ने जो प्रकाश डाला है उससे उनकी बुद्धि विभ्रमता दूर हुई और वह उसे स्वतः वापस लेने के लिये तैयार हो कर आगे आयें तो हम भी उनको धन्यवाद देने के लिये तैयार हैं। नहीं तो जिन किसानों के लिये माननीय गौतम जी चिन्तित हैं उन किसानों, गरीबों, असहायों, दरिद्रों का भला नहीं होगा। माननीय गौतम जी इस तथ्य को क्यों भूल गये जब वह कहते हैं कि हम उचित कीमत दिलाने के लिये गोदामों में गल्ला ले जाना चाहते हैं। अभी-अभी बहुत-सी पार्टियों ने गल्ला गोदामों को लूटने के लिये कार्यक्रम बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो क्षुधा पीड़ित लोग होंगे उनके लिये एक ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि गल्ला इकट्ठा रखें और उसको लूट लिया जाय और इससे दोनों का काम बन जाय। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि गल्ला कहां है और आप गल्ला कहां रखना चाहते हैं? आज २७, २८ रुपये मन गल्ला बिक रहा है। माननीय गौतम जी उन गोदामों में कब गल्ला रखेंगे और कब वह बिकेगा इसका कहीं भी इस विधेयक में निरूपण नहीं है। इन शब्दों के साथ रामस्वरूप जी वर्मा ने जो संशोधन रखा है उसको मानने के लिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा और मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जो इस पर प्रकाश डाला है उससे उन पर कुछ असर हुआ होगा और वह इसको वापस लेने के लिये आगे बढ़ेंगे।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सोशलिज्म को बढ़ावा देने वाले और किसानों के हित के कानून को इस मुनासिब वक्त पर पेश करने के लिये मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे खेद है कि जो संशोधन प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन में पेश किये गये हैं उनका मुझे विरोध करना पड़ रहा है। माननीय श्री रामस्वरूप वर्मा ने यह एतराज पेश किया कि बगैर जनमत संग्रह किये इस बिल पर विचार करना इस आदरणीय सदन के लिये गैरमुनासिब होगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि संविधान के तहत में संविधान के दायरे के अन्तर्गत पूरी तरह से विचार करने का इस आदरणीय सदन को अधिकार है जो कि जनता ने इसको दे रखा है। साथ ही मेरा विश्वास यह है कि इस आदरणीय सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य जनता के जजबात को और जनता की राय को थोड़ा-बहुत जरूर पहचानता है। इसलिये हर कानून को जनमत संग्रह के लिये भेजना कानून के पास करने में देर करना और इस तरह जनहित के विरुद्ध ही होगा।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करना है कि इस कानून के तहत में जो योजना है वह योजना कोई अनिवार्य नहीं है। यह जरूरी नही है कि हर किसान अपना गल्ला जरूरत के तौर पर इन गोदामों में लाकर रखे। जो योजना इस कानून के तहत में लागू होने जा रही है वह एक आप्शनल योजना है। हर किसान को पूरी तरह से छूट है कि वह अपनी पैदावार का पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा इन गोदामों में रखे। इसलिये यह कहना कि यह सरकार इस कानून को पास करके कोई अनिवार्य योजना इस प्रदेश में लागू करने जा रही है जिससे जनता को अनिवारीय नुकसान हो सकता है, यह भ्रम की बात है।

माननीय रामस्वरूप वर्मा ने दूसरी एतराज की बात यह कही थी कि इस कानून को पास करने से पूर्व इसका प्रचार करना आवश्यक है। जो थोड़ा-सा लेजिस्लेशन के प्रिन्सिपुल्स का मैंने अध्ययन किया है उनमें मुझे कहीं यह नहीं दिखाई पड़ा कि कानूनसाजी के पहले यह जरूरी है कि हर कानून का प्रचार किया जाय। इसी तरह का एतराज नागर जी ने भी उठाया था। उन्होंने बताया था कि इस कानून को पेश करने की इस समय आवश्यकता नहीं है और सबूत में यह कहा कि इस कानून की मांग किसी विरोधी पक्ष ने नहीं की थी। मैं समझता हूं वह गलत फहमी के तहत सोच रहे हैं। सरकार सदा जनहित के लिये और प्रदेश की समृद्धि के लिये कानून अपने इनिशियेटिव पर पेश करती है और पास करने की चेष्टा करती है। विरोधी पक्ष की राय लेकर फायदा उठाने की जरूर प्रयत्न करती है लेकिन यह सोचना कि सारी कानून-साजी महज विरोधी पक्ष की राय होने से हो सकती है, यह गलतफहमी है।

दूसरी बात नागर जी ने यह कही कि इस कानून का कोई मन्शा स्पष्ट नहीं है। श्रीमन्, इस कानून की मन्शा बिलकुल स्पष्ट है। इस कानून का मन्शा बहुमुखी है और इस कानून से बहुत से लाभ हैं। आदरणीय मंत्री जी ने यह बताया कि यह विधेयक रुरल क्रेडिट सप्लाई के अन्दर सहूलियत पैदा करने के लिये लाया गया है। आज जो गल्ले के स्टोरोज में ५ से १० परसेंट तक पैदावार नष्ट हो जाती है उसे बचाने के लिये यह कानून लाया जा रहा है। आज ग्रेन इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था के लिये यह कानून लाया जा रहा है। आज प्रदेश में अन्न का संकट है और उसके भाव बढ़ रहे हैं और कोई बफर स्टाक प्रदेश में नहीं है। उस बफर स्टाक को पैदा करने की नीयत से यह कानून आज प्रदेश में लाया जा रहा है। यह कानून किसानों को उचित दाम दिला कर उसको खेती में इंसेंटिव पैदा करने और पैदावार बढ़ाने के लिये पेश किया जा रहा है।

माननीय जगदीश नारायण जी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि इसको एक प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मैं इस से इत्तफाक राय नहीं करता। मुझे उन के व्याख्यान से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनका कुछ ऐसा विचार है कि यह सदन सामूहिक रूप से किसी प्रश्न पर विचार कर सकने की क्षमता नहीं रखता, या जब सामूहिक रूप से किसी प्रश्न पर विचार होता है तो उससे जो नतीजा निकलता है वह उस नतीजे से अच्छा नहीं होता जो कुछ लोगों के एक समिति में बैठ कर विचार करने से निकलता है। यह विधेयक २२ तारीख को सदन में पेश हुआ था। इसको पेश हुए २ सप्ताह गुजर चुके हैं और हर माननीय सदस्य ने इसका अध्ययन किया है; कुछ ने संशोधन भी दिये हैं और इसको देखते हुए मैं उनकी राय से इत्तफाक नहीं करता।

दूसरे माननीय राजनारायण जी ने इस बिल को पेश करने के सिलसिले मे यह फरमाया कि इस से सेन्टर के Agriculture produce ऐक्ट, १९५६ का मंशा पूरा नहीं होता। माननीय मंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा कि इस बिल से उस सेन्टर के ऐक्ट का सारा मंशा पूरा हो जायगा। उन्होंने महज यह कहा था कि यह बिल उस बिल की मंशा को पूरा करने के लिये एक सक्रिय कदम है। दूसरी बात माननीय राजनारायण जी ने यह कही कि प्रदेश में ९५ फीसदी से ज्यादा छोटे-छोटे काश्तकार हैं। वह क्यों कर इन गोदामों में अपना गल्ला रख पायेंगे। इन गोदामों में गल्ला रख देने का यह मतलब नहीं है कि वह महज गल्ला रख लेंगे और उनका

[श्री शिवराज सिंह यादव]

कोई दाम नहीं देंगे । गल्ला इन गोदामों में महज रखा नहीं जायगा बल्कि उनको उसका दाम भी दिया जायगा जो बाजार भाव के अनुसार होगा । मंशा केवल यह है जब बाद में गल्ला तेज भाव से बिकेगा और कंज्यूमर से ज्यादा दाम मिलेंगे तो उसका हिस्सा किसानों को भी बाद में दिया जायगा । इस कानून का मंशा यह है । यह नहीं है कि महज गल्ला उनका खरीद लिया जाय और बाद में उनको कोई मुनाफा न दिया जाय ।

माननीय बेचन राम जी ने इस बिल के सम्बन्ध में यह एतराज किया कि इससे होर्डर्स को बड़ी परेशानी हो जायगी । मैं इस से भी इत्तफाक नहीं करता । इस बिल का मंशा यह है कि जो आज के होर्डर्स हैं वह कल चल कर उस गल्ले के ट्रस्टी बन जायेंगे किसानों के प्रति । वह गल्ले के मालिक न रह कर उसके ट्रस्टी रहेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उसको आग, पानी से बचायेंगे और ऐसा करने में जो मेहनत वह करेंगे जो इंवेस्टमेंट वह करेंगे, उसका बदला वह पायेंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । विधेयक को लाने वाले मंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं और सारी स्पीचेज इधर से और उधर से हो रही हैं । उनका उत्तर देने वाला कोई उत्तरदायी व्यक्ति इस समय यहां नहीं है । तो मंत्री जी के न होते हुए इन का उत्तर कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी अभी तक मौजूद थे, उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बैठे हुए हैं वह सब बातें सुन रहे हैं ।

श्री शिवराजसिंह यादव—मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह से काश्तकारों को एक मौका मिलेगा कि वह भी अपनी पैदावार पर मुनासिब दाम पा सकें । श्रीमन्, मैंने शुरू में अर्ज किया कि यह बिल सोशलिज्म को बढ़ावा देता है ।.....

श्री अध्यक्ष—मैं देख रहा हूं कि सदन में शान्ति नहीं है । आपस में बातचीत चल रही है । सदस्यगण बहस को ध्यान पूर्वक सुनें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री शिवराजसिंह यादव—Socialism के पंडितों का कहना है कि सोशलिज्म लाने के लिये किसी देश को दो काम करने चाहिये । एक तो यह कि दौलत की पैदावार बढ़ावें और दूसरे वह दौलत इस प्रकार से समाज में बिखरे कि उसके पैदा करने वाले लोगों के हाथ में वह जाय और जो लोग उसे पैदा करने में हाथ नहीं रखते उनके पास जाकर जमा न हो । इस बिल से ये दोनों मंशा पूरे होते हैं । आज दौलत पैदा करने के दो ही तरीके हैं--एक खेती और दूसरा उद्योग, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन । खेती से एक सीमित हद तक की पैदावार बढ़ाई जा सकती है लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से आज Technology के समय नये इनवेंशन्स से, दौलत बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है । साथ ही यह भी सही है और आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये भी जरूरी है कि खेती की पैदावार बढ़ाई जावे । इतिहास भी साक्षी है कि ग्रेट ब्रिटेन ने उस जमाने में अपने आपको इंडस्ट्रियलाइज किया जबकि अमरीका से १८३० से १९१३ तक गल्ला मिलने की उसे सम्भावना रही । खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जरूरी है कि किसान को उचित दाम पैदावार के मिलें । इस तरह से यह बिल सोशलिज्म लाने में सहायक होता है ।

आज समाज में तीन भाग हैं--एक पैदा करनेवाला, दूसरा जो उस प्रोड्यूस को अपने चांदी के सिक्कों से खरीदता है और तीसरा वह जो उस अन्न को खाने के लिये खरीदता है । पहले और तीसरे तबके के लोग गरीब हैं । किसानों को वार्षिक आय साल में केवल दो बार होती है, हर महीने नहीं होती । उस आय पर उसके निजी और सरकारी खर्चे निर्भर करते हैं । बीच के लोग इन दोनों की गरीबी का अनुचित लाभ उठाते हैं । तीसरे तबके के लोग ऐसा नहीं कर सकते कि महीने भर का या साल भर का अनाज खरीद कर रख लें, क्योंकि वे भी रोज कुंआ खोदकर पानी पीते हैं । इसलिये इस विधेयक का फायदा गरीबों को होगा ।

मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कहता हूं कि पश्चिमी जिलों में जहां काफी पैदावार होती है आज बड़ी भारी संख्या में गल्ले के व्यापारी बढ़े हुये हैं। इनके आंकड़े देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि कितनी भारी मुनाफाखोरी अनाज में हो रही है। गल्ले के व्यापारी इसी तरह ज्यादा बढ़े हैं जैसे बरसात में घास बढ़ती है। आज प्रदेश में गल्ले के दो तरह के भूखे हैं, एक तो पेट के भूखे (appetite) और दूसरे व्यवसाय के भूखे (appetite)। पिछले जमाने में गल्ले का व्यापार करके लोगों ने भारी मुनाफा कमाया है, इससे वे चाहते हैं कि गल्ले का ज्यादा व्यापार करके जल्दी मालदार बनें। पश्चिमी जिलों में इस साल कीमतें ज्यादा बढ़ी हुई हैं बनिस्बत पूर्वी जिलों के, इसका यही कारण है कि पश्चिम में गल्ले का व्यवसाय करने वालों की संख्या में बड़ी भारी वृद्धि हुई है। जिन दामों में वे खरीदते हैं उससे कहीं अधिक दामों में बेचने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से इस बिल को लाकर हम इस प्रदेश के गरीब किसानों को यह मौका देते हैं कि वह अपनी जरूरियात के वक्त दाम हासिल कर सकें और अच्छे वक्त पर गल्ले को बेच सकें और कन्जूमर्स को जब ज्यादा दाम देना पड़ तो उसमें भी हिस्सा बंटा सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे विचारों में अंतर पड़ता है, जब हम वेस्टेड इंटरेस्ट्स के दृष्टिकोण से इस विधेयक पर दृष्टिपात करते हैं तो हम दूसरी ही दिशा को चले जाते हैं। उस समय यह सुझाव दिया जाता है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय और जितना विलम्ब इसमें लगा सकें लगाया जाय। लेकिन जब हम किसानों के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तब हमको यही कहना पड़ता है कि शीघ्रता के साथ इस विधेयक को पारित करें और यह कार्य जितनी शीघ्रता से करें उतना ही किसानों के हित में अच्छा होगा।

अभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने रूरल सर्वे कमेटी के द्वारा सर्वे कराया था। उसने वेयर हाउसेज की बड़ी प्रशंसा की है और भी जिन संस्थाओं ने इसके बारे में इंक्वायरी करायी है, उन सब का इसमें एक मत है और एक मत से उनकी यह सिफारिश है कि यह बहुत ही उद्देश्यपूरक है। रूरल बैंक इंक्वायरी कमेटी १९५० में बैठी। उसकी भी सिफारिश है कि यह उद्देश्यपूरक है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का वह बहुत बड़ा खतरनाक समय होता है, उसके जीवन में, उसके इतिहास में, एक बहुत ही इतिहासपूर्ण समय होता है जब उसको रुपये की तात्कालिक आवश्यकता होती है। उस समय हमारे यहां के छोटे और बड़े व्यापारी किसान को चूस लेते हैं। उसके चारों तरफ अंधकार रहता है। न हाथरस के आंकड़े और न सरकारी आंकड़े ही उसको सहारा दे पाते हैं और उसका यह विक्षिप्त रूप सारे प्रदेश में चलता है, उसको दूर करने के लिये ये गल्ला गोदाम सहायक होंगे।

सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसके अन्दर रसीद मिलेगी। और वह नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट होगी। वह दूसरे को भी दी जा सकती है। इससे बड़ी उसको सहायता पहुंचाने वाली बात और क्या हो सकती है। यह बहुत विलम्ब से आया, बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। जो लोग किसानों में रहते हैं और निकट से उनको देखते हैं वे सारी बातें समझ सकते हैं लेकिन जो किसी भी कारण से दूसरे की ओर हैं या जिनका मन व्यापारियों की ओर लगा हुआ है, चाहे वे बुर्जुआ की कितनी ही बातें करें...

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जब आप बहस करें तो विधेयक में जो इसके बारे में खंड है, उसका भी जिक्र करें। जैसा कि आपने कहा कि किसानो को रुपया मिल जायगा तो यह भी बताया जाय कि किस खंड के अनुसार रुपया कहां से मिल जायगा। बगैर यह बात बताए बहस हवाई हो जाती है।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इतने भाषण दिये और इतनी पुनरावृत्तियां की हैं कि मैं उनको दुहराना नहीं चाहता था। मैं कह रहा था कि इस विधेयक में यह दिया हुआ है कि यह रसीद नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट होगी। यह उसके उद्देश्य में भी दिया हुआ है और उसके साथ-साथ आप यदि इसके खंड ३० और ३१ को पढ़े तो संभवतः आप इसी परिणाम पर आयेंगे। मेरे पास हिन्दी की कापी है जिसको मैं पढ़ देता हूं--

३०--गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में जमा किये गये माल की रसीद देगा।

३१--यदि गोदाम परिचालक द्वारा दी गई रसीद में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है तो वह पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरणीय होगी एवं सम्यक अनुक्रम से धारी व्यक्ति को उसमें निर्दिष्ट माल उन्हीं शर्तों पर पाने के लिये अधिकृत करेगी जिन पर कि मूल निक्षेप्ता पा सकता।

श्रीमन्, इस विधेयक में काफी संकेत किया गया है लेकिन इसका प्राण जो है कि निगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट ही है। जो सर्वे कमेटी बनी थीं उसने भी ऐसे निगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट की सिफारिशें की थीं। लेकिन जो वे यह हाउसेज हों उनको और सरलीकृत करना चाहिये जिससे किसी को दिक्कत न पड़े। श्रीमन्, मैं सदन का ध्यान किसानों की उस दयनीय अवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं कि जिस समय उनके पास गल्ला होता है उसको ले जाकर वे अपने एक सही स्थान पर रख देंगे और रुपया पा जायेंगे और उनके उद्देश्य की पूर्ति भी हो जायगी। किसानों की परेशानी भी जो हर तरह की है वह भी दूर हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप विधेयक के बाहर जाकर बहस कर रहे हैं। कुछ अन्य सदस्यों ने भी ऐसे ही बहस की और आप भी उसी पर बहस कर रहे हैं। इस विधेयक में मुझे रुपया किसान के पाने की बात मिली नहीं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। तो यह तो आप बतलावें कि वे किस प्रकार विधेयक के अनुसार रुपया पावेंगे। केवल काल्पनिक चीज को सामने रख कर कोई बहस नहीं की जानी चाहिये।

श्री रामलखन मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान जो हैं वे बिना किसी झंझट के, बिना किसी कष्ट के और बिना अपने विनाश किये हुए गल्ले को ले जाकर आसानी से वेयर हाउस में जाकर जमा कर देंगे और उसके लिये उनको रसीद प्राप्त होगी। किसान एक ऐसा शब्द है.....

श्री अध्यक्ष--मैं चाहता हूं कि बहस विधेयक पर हो। आप फिर किसानों के लिये कह रहे हैं लेकिन किसान का शब्द इसमें कहीं आया ही नहीं है।

श्री रामलखन मिश्र--श्रीमन्, किसान शब्द एक बहुत ही व्यापक शब्द है। अध्यक्ष महोदय, वह ऐसा शब्द है कि कृष्ण भगवान् के लिये भी हम किसान कह सकते हैं। इस उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक जनता करीब ८४ प्रतिशत तो किसान ही है। वे खेती करके ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनके लिये किसान के सिवा और कुछ कहने को मेरे पास शब्द नहीं हैं। यह तो ऐसा शब्द है जिसमें कई भाव आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के वेयर हाउसेज में गल्ला रखने वालों के लिये हमें आप किसान शब्द कहने से वंचित कर देंगे तो यह किस तरह से उचित होगा। इनको सिवा किसान कहने के और हम क्या कह सकते हैं।

यह तो मानी हुई बात है कि यह विधेयक बहुत उद्देश्य पूरक है गल्ला पैदा करने वालों के लिये। यदि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जायगा तो उससे विलम्ब ही होगा, और उससे कोई विशेष लाभ भी नहीं होगा। इतने बड़े सदन के अन्तर्गत ३, ४ धाराओं के विधेयक के ऊपर हम बात करके क्या किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं? यह भी हमारे लिये एक सोचने की बात है। सन् १९५० और ५४ में जो सर्वे कमेटीज बनी थीं उन्होंने बड़े ही जोरदार शब्दों में वेयर हाउसेज की सिफारिशें की थीं और मैं भी बड़े ही जोरदार शब्दों में इसकी मांग करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इससे विलम्ब ही होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए जब माननीय मन्त्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे उसको मैंने गौर से सुना और सुना ही नहीं बल्कि उनकी वक्तृता का मेरे ऊपर बहुत असर भी पड़ा । मैंने सोचा कि आज बहुत दिनों के बाद हमारी सरकार एक मर्तबे जरा गांव की तरफ भी नजरे इनायत करने वाली है, किसानों के बारे में भी कुछ सोचने वाली है, किसानों के बारे में कुछ भी करने वाली है । उसके बाद श्रीमन्, मैंने इस विधेयक को पढ़ा, आद्योपान्त मैं इसको पढ़ गया । एक जगह भी मुझे इसमें किसान शब्द नहीं मिला । श्रीमन्, जहां कहीं भी है बस केवल यहां कहा गया है कि गल्ला रखने वाला आदमी । वह जो कोई भी हो, चाहे वह किसान हो चाहे वह व्यापारी हो । यह विधेयक जो आया है यह केवल इसीलिये आया है कि जिस तरीके से प्राइवेट अढ़तिये काम करते हैं वैसे ही आढ़त खोली जाय और उस आढ़त के लिये कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय । इस किस्म की चीज है । मन्त्री जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि किसान अपनी उपज जब खलिहान से निकलती है उसी वक्त उसको पचासों किस्म के काम रहते हैं और वह बनिये के हाथ बहुत सस्ते दामों गल्ले को बेच दिया करता है । मिसाल में उन्होंने आलू की उपज को बतलाया था कि किसान जिस वक्त बेचता है उसका चार छः रुपये मन के हिसाब से बिकता है । लेकिन खाने वाले जिस वक्त खरीदते हैं उसे तो १८, २० रुपये भाव हो जाता है और बीज के वक्त में उसी आलू का दाम ३५, ३६ रुपये तक हो जाता है । तो वह बातें सुन के मेरे हृदय पर बड़ा भारी असर पड़ा कि वाकई में कोई ऐसी चीज होने वाली है जिससे किसान को उसकी मेहनत का, उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा । लेकिन उन मूल्यों के बारे में इस विधेयक में कहीं एक लफ्ज भी नहीं है । यह नहीं इसमें बतलाया गया जैसा मन्त्री जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि जिस वक्त किसान अपनी उपज ले जायगा इन गोदामों में रखने के लिये उस समय जो बाजार भाव होगा उसका ७५ फीसदी दे दिया जायगा । गल्ला रख लिया जायगा । जब बाजार भाव बढ़ेगा उस वक्त बेच के मय बढ़े हुए दाम के उसको रुपया मिल जायगा । वह बात श्रीमन्, अपनी जगह पर रही, इसमें कहीं उसका जिक्र नहीं है । इसमें यहां तक भी जिक्र नहीं है कि वह गल्ला या जो भी अपनी उपज रखने के लिये जायगा उसका दाम क्या होगा ? वह कौन निर्धारित करेगा ? निर्धारित भी होगा या नहीं ? इसका कत्तई जिक्र इसमें नहीं है । तो यह विधेयक बिलकुल एक दूसरी चीज हो गई और मन्त्री जी की स्पीच दूसरी चीज हो गयी । इससे कुछ यह समझ में नहीं आया कि आया इस विधेयक को इतना बड़ा किसानों का हित करने वाला विधेयक कहा जाना कहां तक सही है ? अभी माननीय यादव जी ने कहा कि इससे किसानों की बड़ी उन्नति हो जायगी । तो जब किसानों के उपज का कुछ दाम कहीं निर्धारित होगा नहीं, उनको अपनी उपज के लिये खरीदार वही हैं, पुराने जिनको कि वह बेचता है तो कहां से उसकी उन्नति हो जायगी ? यह मेरी समझ में नहीं आया ।

श्रीमन्, जैसा कि मन्त्री जी ने कहा था उनके उतनी सहूलियत देने के बाद भी एक चीज रह जाती है । हालांकि इस विधेयक में तो वह भी नहीं है । उन्होंने जो यह कहा था कि ७५ फीसदी दाम दे दिया जायगा और २५ फीसदी रोक लिया जायगा । वह जब दाम बढ़ेगा उस वक्त बेच के दे दिया जायगा । इस पर भी एक चीज छूट जाती है कि अगर दाम घट गया तो क्या होगा ? गल्ला हमने जमा किया गोदाम में । बाजार भाव मान लीजिये श्रीमन्, उस वक्त १० रुपये का था हमने जब जमा किया । जमा करने के बाद बाजार भाव ९ रुपये हो गया । तो उस वक्त क्या होगा ? जब बाजार भाव ११ रुपया हो जायगा तो मैंने माना कि बढ़ा हुआ दाम मिल जायगा मगर जब घट गया उस वक्त के लिये न तो कुछ मन्त्री जी ने कहा और इस विधेयक में तो खैर, कोई बात है ही नहीं । केवल दो आदमियों में झगड़ा हो गया तो उसको किस तरह से निपटाया जायगा उसी के लिये इसमें रखा गया है ।

तो जैसा कि और कंट्रीज में है कैनाडा वगैरह में कि फार्मर के लिये एक निश्चित दर सरकार की ओर से तय कर दिया जाता है । कृषि की उन्नति के लिये कि इतने से कम अगर बाजार भाव

[कुंवर श्रीपालसिंह]

होगा तो कृषक का गल्ला उतने पर ही खरीद लिया जायगा। जैसे सरकार ने नियत किया १० रु० मन का भाव और बाजार भाव ९ रु० हो गया तो सरकार उसको १० रु० मन पर खरीद लेगी। अगर बढ़ गया तो बढ़ा हुआ दाम उसे मिल जायगा। अगर इस किस्म को कोई चीज होती तो समझ में आता कि किसानों की भलाई के लिये यह विधेयक आया है। विधेयक में तो उतना भी नहीं जितना मन्त्री जी ने कहा था।

साथ ही साथ श्रीमन्, किन्हीं जगहों पर इसकी भाषा भी बड़ी विचित्र है। एक जगह अध्याय ३ में ११वीं धारा में यह कहा गया है :—

".....उसी प्रकार की परिस्थितियों तथा अवस्थाओं में औसत विचारशीलता वाला कोई व्यक्ति अपने माल की करेगा।" तो "औसत-विचारशीलता" के माने मेरी समझ में नहीं आते कि इसका मापदंड क्या होगा, कैसे मापा जायगा कि "औसत-विचारशीलता" वाला व्यक्ति कौन है। इस किस्म के शब्द हैं। जिस वक्त कोई मुकदमा इजलास में जायगा तो जब वकील लोग, जिनका पेशा ही है हिन्दी को चिन्दी निकालना, वह जब एक, एक अक्षर के ऊपर बहस करेंगे....

श्री अध्यक्ष—यह तो शाब्दिक है। अंग्रेजी में "आर्डिनरी प्रडेंस" शब्द है। और इस में "औसत-विचारशीलता" लिखा है। यह गलत है।

कुंवर श्रीपालसिंह—वही मैं कहता हूं कि यह विधेयक जो है इसमें न तो कोई सिद्धान्त है, न कोई बात है, शब्दों में भी गलतियां हैं, भाव में भी गलतियां हैं....

श्री अध्यक्ष—यह वाक्य तो दुरुस्त हो सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—इसलिये मैं कहना चाहता था कि जितने संशोधन आये हैं प्रवर समिति में भेजने के या जनमत जानने के.....

श्री अध्यक्ष—अभी आप बोलेंगे ?

कुंवर श्रीपालसिंह—सिर्फ दो मिनट चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—२ मिनट में, तो क्या फिर मुझे आप से कहना पड़ेगा ?

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं समाप्त कर रहा हूं, श्रीमन्, जितने भी संशोधन आये हैं प्रवर समिति में भेजने के, जनमत जानने के लिये घुमाने के, मैं समझता हूं इसको किसी में भी कहीं भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य ही बिल्कुल धपले में है। इसमें एक भी धारा जिस मन्तव्य से मन्त्री जी लाये हैं, उसको पूरा करने वाली नहीं है। लिहाजा मन्त्री जी इसे वापस ले लें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
२ सितम्बर, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

परिशिष्ट 'क'

आगरा शहर के कोल डिपो होल्डरों के नाम और उनके कोटे की सूची

क्रम-सं०	कोल डिपो होल्डरों के नाम	आगरा शहर	अप्रैल, १९५८ से सितम्बर, १९५८ का निर्धारित कोटा
			(वैगन)
१	श्री अनन्त राम गुप्ता, नामनर, आगरा ..	आगरा शहर	१३
२	सर्वश्री बुलाकी दास राम गोपाल, देरेसी नं० २ ..	,,	१३
३	श्री बालमुकुन्द, लोहामंडी, आगरा	,,	१३
४	सर्वश्री बासीमल, बाबूलाल नूरी गेट, आगरा ..	,,	१३
५	सर्वश्री बद्री प्रसाद टन्डन एण्ड कं०, छिली इंट रोड, आगरा	,,	१३
६	श्री बी० एल० कोहली , नूरी गेट, आगरा ..	,,	१३
७	सर्वश्री गांधी ग्राम सेवक संघ, विजयनगर, आगरा ..	,,	१३
८	,, हीरा लाल उलफत राय, सिंगनी गली, आगरा ..	,,	१३
९	,, हेमन दास नारायन दास, दयालबाग, आगरा ..	,,	१३
१०	,, इक़बालनाथ कन्हैयालाल, धूलीगंज, आगरा ..	,,	१३
११	श्री लालचन्द पंजाबी, नाई की मंडी, आगरा ..	,,	१३
१२	श्रीमती कौशल्या देवी, स्त्री मनोहरलाल झोआर, शहजादी मंडी, आगरा ।	,,	१४
१३	श्री लालचन्द नैयर, बी० एम० खान, आगरा ..	,,	१४
१४	श्री मोहर लाल चुग, राजमन्डी, आगरा ..	,,	१४
१५	श्री ओम प्रकाश बहल, मडिया कटरा, आगरा ..	,,	१४
१६	श्री प्रकाश चन्द्र गोयल, मदन मोहन दरवाजा, आगरा	,,	१४
१७	श्री फुसिया राम, नूरी, गेट, आगरा	,,	१४
१८	श्री प्यारे लाल जाटव, परतापपुरा, आगरा ..	,,	१४
१९	श्रीमती प्रेम लता धकेरी, राजमंडी, आगरा	,,	१४
२०	सर्वश्री राम भरोशी रामेश्वर प्रसाद, नूरी गेट, आगरा	,,	१४
२१	,, रमेशचन्द्र गुप्ता एण्ड सन्स, नूरी गेट, आगरा ..	,,	१४
२२	श्री रघुबीर सिंह पनवार, नूरी गेट, आगरा ..	,,	१४
२३	श्रीमती राजेन्द्र देवी, गोकलपुरा, आगरा ..	,,	१४
२४	सर्वश्री रामा ब्रादर्स, नूरी गेट, आगरा ..	,,	१४
२५	श्री सोहन लाल, सिटी स्टेशन रोड, आगरा ..	,,	१४
२६	सर्वश्री सूरज भान एण्ड कं०, नूरी गेट, आगरा ..	,,	१४
२७	,, तारा चन्द एण्ड ब्रादर्स, छिपीटोला, आगरा ..	,,	१४
२८	श्री श्यामलाल, छिपीटोला, आगरा ..	,,	१४
२९	श्री लालमन बालमिकी, शाहगंज, आगरा ..	,,	१३
३०	श्री गोविन्द प्रसाद, बेलन गंज, आगरा ..	,,	१३
३१	सर्वश्री श्याम लाल एण्ड सन्स, बेलनगंज, आगरा ..	,,	१३

क्रम-सं०	कोल डिपो होल्डरों के नाम	आगरा शहर	अप्रैल, १९५८ से सितम्बर, १९५८ का निर्धारित कोटा
			(वैगन)
३२	श्री जी० एल० शिरोमणी, सिंगी गली, आगरा ..	आगरा शहर	१३
३३	श्री रोशन लाल सुतेल, नूरी गेट, आगरा ..	,,	१३
३४	श्री जय गोपाल, सक्सेना, पुनिया पारा, आगरा ..	,,	१३
३५	सर्वश्री काशीनाथ गोपाल प्रसाद, गुड़ की मंडी, आगरा	,,	१३
३६	श्री मंगल देव शर्मा, सिविल लाइन्स, आगरा ..	,,	१३
३७	श्रीमती लक्ष्मी बाई जैन, बेलनगंज, आगरा ..	,,	१३
३८	श्री मोहन लाल गुप्ता, प्रतापपुरा, आगरा ..	,,	१३
३९	श्री जय गोपाल त्यागी	,,	१३
			५२३

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४४ पर)

परिशिष्ट 'ख'

फीरोजाबाद तहसील के कोल डिपो होल्डरों के नाम और उनके कोटे की सूची

क्रम-सं०	कोल डिपो होल्डरों के नाम	फीरोजाबाद तहसील	अप्रैल, १९५८ से सितम्बर, १९५८ का निर्धारित कोटा
१	श्री छुट्टन खान	.. प्रापर	१३
२	सर्वश्री गंगा कोल कं० ..	.. ,,	१३
३	,, ज्योति प्रसाद जैन ..	.. ,,	१३
४	,, न्यू ट्रेडिंग कं०	.. ,,	१३
५	श्री शान्ती लाल शर्मा ..	.. ,,	१३
६	सर्वश्री शाहउद्दीन अमीर खान ..	.. ,,	१३
७	,, यू० पी० कोल० कं० ..	.. ,,	१३
८	श्री प्यारे लाल राथौर ..	.. ,,	१३
९	श्री शान्ती स्वरूप	.. ,,	१३
१०	सर्वश्री तेजपाल रचपाल ..	.. ,,	१३
	योग ..		१३०

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४६ एल० ए०—१९५८—८३७ ।